महानगर नई दिल्ली गुरुवार 8 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सुषमा को नम आंखों से दी गई विदाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त

बुधवार को देश की पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार लोदी रोड स्थित शमशान घाट पर किया गया। मंगलवार देर रात अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई जानी मानी हस्तियां पहुंचीं। वहीं दिल्ली सरकार ने सुषमा स्वराज के निधन पर दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

67 वर्षीय सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जहां उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने सुषमा स्वराज को मुखाग्नि दी। इस दौरान बांसुरी के पिता स्वराज कौशल भी मौजूद थे। सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने वालों का तांता सुबह से ही उनके जंतर मंतर स्थित बाकी पेज 8 पर

यह क्षति मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। सुषमा जी ने देश के लिए जो काम किया है, उन्हें उन कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार व समर्थकों के साथ है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुषमा उस वक्त चली गईं, जब उन्हें अभी सार्वजनिक जीवन में रहकर देश के लिए और योगदान देना था। उन्होंने जो भी पद संभाला उस पर साहस, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता का परिचय दिया। वह बहुत ही मिलनसार थीं।
- सोनिया गांधी, कांग्रेस

वरिष्ठ पार्टी नेता सुषमा स्वराज का निधन भाजपा एवं भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है।
-अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री

सुषमा स्वराज की बेटी को ढांढस बंधाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

भावुक हुए मोदी और आडवाणी

भाजपा नेता सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने पहुंचे नेता अपने वरिष्ठ सहयोगी को खोकर भावुक दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू और लालकृष्ण आडवाणी खुद को नहीं रोक पाए और भावुक हो गए। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सुषमा स्वराज बीते सालों में कभी भी उनके जन्म दिवस पर चॉकलेट केक लाना नहीं भूली। उन्होंने कहा कि वे एक होनहार नेता थी जिन्हें उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देने पहुंचे एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल भी भावुक हो गए और काफी देर तक सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे।

सुप्रीम कोर्ट में राम लला विराजमान की ओर से पक्षकार के परासरन ने कहा

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था राम जन्मभूमि होने का सबूत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकार 'राम लला विराजमान' की ओर से बुधवार को दलील दी गई कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ही अयोध्या में विवादित स्थल के राम की जन्म भूमि होने का सबूत है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 'राम लला विराजमान' की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल के परासरन ने कहा कि राम जन्मभूमि खुद ही मूर्ति का आदर्श बन चुकी है और यह हिंदुओं की उपासना का प्रयोजन है। इससे पहले अदालत ने इस विवाद में सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से जानना चाहा कि विवादित स्थल पर अपना कब्जा साबित करने के लिए क्या उसके पास कोई राजस्व रिकार्ड और मौखिक साक्ष्य है।

अदालत ने इस विवाद में सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से जानना चाहा कि विवादित स्थल पर अपना कब्जा साबित करने के लिए क्या उसके पास कोई राजस्व रिकार्ड और मौखिक साक्ष्य है।

परासरन ने संविधान पीठ से सवाल किया कि इतनी सदियों बाद भगवान राम के जन्म स्थल का सबूत कैसे पेश किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रहे संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

परासरन ने पीठ से कहा- वाल्मीकि रामायण में तीन स्थानों पर इस बात का जिक्र है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, इतनी सदियों के बाद हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इस पर पीठ ने उनसे सवाल किया कि क्या इस तरह के किसी धार्मिक व्यक्तित्व के जन्म के बारे में पहले कभी किसी अदालत में इस बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की है। संसद के दोनों सदन में इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे...सिवाय खंड 1 के।' आधिकारिक अधिसूचना के साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संविधान के बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में अब नया केंद्रीय कानून

राज्य में 500 से ज्यादा हिरासत में

जनसत्ता ब्यूरो
श्रीनगर, 7 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के फैसले के बाद से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 500 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

इधर, रजौरी जिले में पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भी गोलाबारी की। बुधवार को देर रात 10:15 पर पाकिस्तान ने रजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से बाकी पेज 8 पर

डोभाल ने कश्मीर का दौरा किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर का बुधवार को तूफानी दौरा किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर पहुंचे डोभाल विश्वास बहाली कदम के तहत घाटी में स्थानीय लोगों बाकी पेज 8 पर

बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने (डाउनग्रेड) का एलान किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया है। इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पाकिस्तान विदेश विभाग ने उन्हें भारत लौटने के लिए कहा है। साथ ही, तकनीकी तौर पर भारत स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है। फिलहाल भारत में पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त नहीं है। वह इसी महीने नई दिल्ली में उच्चायुक्त को भेजने वाला था, लेकिन अब नहीं भेजेगा।

अजय बिसारिया

अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया, भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को जाने को कहा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (एनएससी) की बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसले हुए। बैठक के बाद पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

नीतिगत दर 0.35 फीसद घटाई, मकान, वाहन कर्ज होगा सस्ता

मुंबई, 7 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ती चाल को गति देने के लिए बुधवार को उम्मीद के अनुरूप कदम उठाते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.35 फीसद की कटौती कर दी। यह लगातार चौथा मौका है जब रेपो दर में कमी की गई है। इस कटौती के बाद रेपो दर 5.40 फीसद रह गई।

लगातार चौथी बार नीतिगत दर में कटौती से बैंक कर्ज सस्ता होने और आवास, वाहन कर्ज की मासिक किस्तें (ईएमआइ) कम होने के साथ साथ कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। इसी सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में बैंकों ने आरबीआइ द्वारा नीतिगत दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए नकदी उपलब्ध कराता है। रेपो दर में इस कटौती के बाद रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो दर भी कम होकर 5.15 फीसद, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर घटकर 5.65 फीसद रह गई। रेपो दर में यह कटौती सामान्य तौर पर होने वाली कटौती से हटकर है। आम तौर पर आरबीआइ रेपो दर में 0.25 फीसद या 0.50 फीसद की कटौती करता रहा है, लेकिन इस बार उसने बाकी पेज 8 पर

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में 0.35 फीसद की कटौती कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह कटौती संतुलित है। 0.25 फीसद की कटौती अपर्याप्त मानी जा रही थी जबकि 0.50 फीसद की कटौती अधिक होती। इसीलिए एमपीसी ने संतुलित रुख अपनाते हुए 0.35 फीसद कटौती की है।

उन्नाव बलात्कार कांड : सीबीआइ ने कहा

आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उन्नाव बलात्कार कांड मामले में रोजाना के आधार पर सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत में जांच एजंसी सीबीआइ ने बुधवार को कहा कि पीड़िता के आरोप बिलकुल सही हैं। उसके साथ बलात्कार हुआ और जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

इस बीच एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव सामूहिक बलात्कार कांड पीड़िता की हालत बुधवार को भी नाजुक बनी रही। उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। फिलहाल विभिन्न क्षेत्रों के डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में

अदालत में जांच एजंसी सीबीआइ ने बुधवार को कहा कि पीड़िता के आरोप बिलकुल सही हैं।

सीबीआइ ने जांच के आधार पर कहा कि 4 जून 2017 को उसके साथ विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी सहयोगी शशि सिंह के साथ साजिश कर सामूहिक बलात्कार किया था। बकौल सीबीआइ उन्होंने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पीड़िता और उसकी मां ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत बयान दिया है। अपराध का दिन, समय, जगह की जानकारी सभी दस्तावेज में मौजूद है। नाबालिग पीड़िता के साथ रात 8 बजे बलात्कार हुआ था। इसकी जानकारी पीड़िता बाकी पेज 8 पर

राजधानी एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़छाड़, टीटी निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस में एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ की शिकायत के बाद बुधवार को एक टीटी को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक वेटर को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। रेल कर्मचारियों पर छात्रा को नशीला पदार्थ देने का आरोप है।

पीड़ित छात्रा की एक परिचित ने मंगलवार देर रात ट्वीट करके मामले की जानकारी दी थी। उसने लिखा था, 'पैंट्री स्टाफ और टीटी ने मिलकर उसके (छात्र) साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। उसे नशीली आइसक्रीम दी गई। क्या रेलवे बिना किसी प्राथमिकी के आरोपी स्टाफ के खिलाफ कोई कदम उठाएगा या फिर वे (दोषी) ऐसे ही आजाद घूमेंगे और अन्य यात्रियों को परेशान करेंगे।'

रेल कर्मचारियों पर छात्रा को नशीला पदार्थ देने का आरोप।

उसने आगे लिखा, 'पीड़िता एक छात्र है और उसे डर है कि कानूनी झंझट में फंसने के बाद वह सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी।' उसने बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान ने माना, आतंक के वित्तपोषण का दोषी सईद

लाहौर, 7 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने बुधवार को अदालत में मुंबई आतंकवादी हमलों के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण का दोषी माना है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी सईद पर अमेरिका बाकी पेज 8 पर

दरअसल

सुषमा स्वराज ने बदल दी जिनकी जिंदगी — ममतामयी छवि — अमिट यादें हैं हामिद, जैनब, गीता, कंचन और सोनू की

अपनी 'मां' को यूं याद कर रहे हैं वे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

कद्दावर नेता और कुशल वक्ता होने के साथ ही सुषमा स्वराज को अपने सहज-सरल स्वभाव के लिए भी जाना जाता रहा। जब वे विदेश मंत्री थीं, उन्होंने देश-विदेश में फंसे लोगों की मदद करने के लिए प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। उनकी ममतामयी छवि बनी। अपने विदेश मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। कभी पासपोर्ट में दिक्कत को हल करना तो तो कभी विदेशों में फंसे भारतीयों को छुड़ाना।

अक्सर ऐसे मामलों में सुषमा व्यक्तिगत तौर पर मदद के लिए आगे आ जाती थीं। पाकिस्तान की जेल से छूटकर आए हामिद अंसारी से लेकर सऊदी अरब में बंधक बना दी गईं

जैनब-बी तक आंखों में आंसू लिए याद कर रहे हैं अपनी 'दूसरी मां' को।

हामिद और जैनब अकेले नही है, जो पूर्व विदेश मंत्री के निधन को व्यक्तिगत नुकसान मान रहे हैं। पाकिस्तान से करीब चार साल पहले भारत लौटी मूक-बधिर गीता ने इशारों में बुधवार को कहा कि उसने अपनी अभिभावक को खो दिया है। गलती से सीमा लांघने के कारण गीता करीब 20 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गई थी। गीता को करीब 20 साल पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेले बैठा हुआ पाया था। मूक-बधिर लड़की की उम्र उस समय कथित तौर पर सात या आठ साल की थी।

छह साल तक पाकिस्तान की जेल में बिता कर पिछले साल दिसंबर में ही भारत लौटे अंसारी नम आंखों से सुषमा स्वराज को याद करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी 'दूसरी मां' से वंचित हो गए। ऑनलाइन दोस्त बनी एक लड़की से मिलने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान गए हामिद निहाल अंसारी (36) को वहां जासूसी के आरोप में छह साल तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सजा सुनाई थी। इस बीच मामला केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास पहुंचा, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे को उठाया।

तमाम कोशिशों के बाद दोनों ही मुल्कों के कई लोगों ने मिलकर कोर्ट के सामने यह साबित किया कि हामिद पाकिस्तान में अवैध तरीके से जरूर दाखिल हुआ है, लेकिन वह जासूस नहीं है। हामिद कहते हैं, 'सुषमाजी की कोशिशों से ही मैं घर लौट सका। जब मुझे वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा गया और बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Vivek Kumar Bairva S/o Ganga Ram R/o 9/65, Dakshin Puri, Dr. Ambedkar Nagar, Delhi-110062 have changed my name to Vivek Kumar. 0070668825-1

I, Vipan Kumar Chopra S/o Raj Pal Chopra R/o-122/4-H Gali.No.2, Shankar Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051,have changed my name to Vipan Chopra.,for all purposes. 0040506768-7

I, Vinita D/o Nanak Chand Mittal W/o Maheep Kumar Jindal R/o-A-3/203, 2nd-Floor, Chanderpriya-Aptt., Sector-8, Rohini, Delhi-110085.,have changed my name to Vinita Jindal. 0040506751-6

I, Vineet Kumar, S/o Viveka Nand Singh, R/o-B1-401, Orris Car Nation-Residency, Sikanderpur, Sector-85, Gurgaon (Haryana),have changed my name to Vineet Singh. 0040506768-9

I, Vijay S/o Prem Chand R/o-79/12, Near-Jain Sathank, Ganaur-Mandi, Ganaur, Sonipat, Haryana, have changed my name to Vijay Kumar Permanently. 0040506788-5

I, Vijay Gupta s/o Prem Chand R/o-79/12, Near-Jain Sathank, Ganaur-Mandi, Ganaur, Sonipat, Haryana,have changed my name to Vijay Kumar Permanently. 0040506788-6

I, Vashundhra Solanki D/o Chain Singh Solanki R/o.H.No.36,Vivanta Residences,Matiala Ext.,Delhi-110059 have changed my name to Vasundhra Solanki permanently. 0040506709-1

I, Tarun Kumar S/O, Raj Kumar Garg R/o 36-37, First Floor, Street No. 14, Indra Park, Chander Nagar, Som Bazaar, Dr. Chattwal Street Delhi-51, have changed my name to Tarun Garg for all purposes. 0040506728-1

I, Tarun Kumar Chhabra S/o Sh. Kishan Chand, R/o 1459-B, 2nd Floor, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi-110034, have changed my minor son's name from Anirudh Chhabra to Erish Chhabra for all future purposes. 0040506685-1

I, Subal Debnath S/O, Hari Dass R/o 866, Block B, Transit Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi -110019, have changed my name to Subodh Kumar for all purposes. 0040506759-1

I, Sonu S/o Satish Kumar R/o K-2/28, Krishan-Vihar, Delhi-110086, have changed my name to Sajan for all purposes. 0040506768-10

I, Shri Bhagwan @ Shri Bhagwan Yadav S/o Sh. kundan Lal Yadav R/o H.no.66, Village & Post Office Bhalswa, Delhi- 33 have changed to my name Shri Bhagwan Yadav for all Purposes 0040506824-2

I,Vimala Devi W/o Late Sh.Hari Kishan R/o-H.No.29-D,Pocket-J,Sheikh Sarai-II,New Delhi-17,have changed my name to Vimla Devi for all,future purposes. 0040506812-1

I, Shrey Jain S/o Jeneshwar Dass Jain R/o M-5, Shastri Nagar, Delhi-110052. Informs that in my Class 12th Certificate & Marksheet my father's name was wrongly mentioned as Jeneshwar Dass Jain instead of correct name Jaineshwar Dass Jain. 0040506712-1

I, Shongoi Wanbe D.O.B.-26.02.1984 W/o Asif Iqbal R/o C-19/1 2nd-Floor Hindon Vihar Sec-49 Noida changed my name to Sana Iqbal. 0040506851-9

I, Seema W/o Anil Kumar Sharma R/o-14-D Pocket-B, DDA-Flat, West-Gorakhpark, New-Jafrabad, Shahdara Delhi-32,have changed my name to Seema Kashyap for all purposes 0040506768-5

I, Sanju Bala D/o Basant Kumar, W/o Sudhanshu Mann, R/o D2 - 2601, Cleo County, Sector - 121, Noida, U.P - 201301 have changed my name to Sanju Mann. 0070668815-1

I, Sanjeev Kumar Goel S/o Sh. Dharam Pal Goel R/o G-187, Prashant Vihar, Delhi-85, have changed my name to Sanjeev Goel for all purposes. 0040506724-1

I Anil/Anil S. S/O Sidram Namdev Gaikwad R/O-23/38, Old-Rajinder-Nagar, Near-Gangaram Hospital, New Delhi-110060.Have Changed my Name to Anil Sidram Gaikwad. 0040506788-8

I Ajeet s/o Balwinder R/o-Rz-24/21 Gail no 11 vashishth park west sagar pur Delhi- 46 have to change my name Ajeet Singh for legal future purposes. 0040506751-7

I Adya W/O Himanshu Diwan R/O Flat.No-27, Park-View-Apts PlotNo-16 Sec-12 Dwarka New Delhi-110075 Have Changed My Name To Adya Angurala 0040506851-1

Harikanth Singh S/o Raghuveer Singh Gurjar R/o-I-1207 AVJ Height Zeta-1,Greater Noida,U.P., I have change my name Harikanth Singh Gurjar for all Purposes. 0040506709-5

व्यक्तिगत

I, Sada Brij Singh S/o Yamuna Patel R/o 65/A Gali No.16 Prem Vihar Nangli Dairy Najafgarh Delhi-110043. changed my name to Sada Brij Patel. 0040506851-6

I, Randip Randhawa S/o Surender Singh R/o-D-18-A, Street-05, Mahavir Enclave, Palam, New Delhi-45 have changed my name to Randeep Singh. 0040506751-3

I, Rakesh/Rakesh Kumar/ Rakesh Bansal S/O Panna Lal Bansal R/O-T-25/2, Galino.2, Shivaji-Nagar, Narela, Delhi-110040. Changed my Name to Rakesh Kumar Bansal. 0040506751-8

I, Preeti W/o Ajay Kumar R/o D-40, Defence Colony, Bhopura, Shahibabad, Ghaziabad, UP-201005, have changed my name to Preeti Verma for all future purposes. 0040506725-1

I, Pratima Ganguli W/o Amitabh Ganguli R/o A-19, Sector-39, Noida (U.P.) have changed my name to Pamela Ganguli for all future purposes. 0040506758-1

I, Partibha D/o Ramesh Chander R/o Rohna (23) Tehsil Kharkhoda District Sonipat Haryana-131402 have changed my name to Pratibha for all purposes 0070668822-1

I, Pankaj Kapoor D/o Kamal Kishore Kapoor W/o Deepak Mehra R/o-F-14/1-B, Krishna Nagar, Delhi-110051,have changed my name to Prerna Mehra, for all purposes 0040506768-6

I, Pabitra Kumar Halder S/O-Susen Haldar Addresh-G-12/402 Near-Suding Ranj Sangam Vihar New Delhi 110080, changed My Name To Pabitra Halder. 0040506851-3

I, No.14661844A Sep Thakor Ranjit Kumar Babuji,Serving at- 505 ABW, inform that in my service records,my Son & Daughter's names are wrongly mentioned as Nirbhay & Rachna Ben. Their correct Names are Thakor Nirbhay Kumar Ranjitji & Thakor Rachnaben Ranjitji which may be amended accordingly. 0040506736-1

I, No.14661844A SEP Thakor Ranjit Kumar Babuji, Serving at- 505 ABW, inform that in my service records, my Wife's Name/DOB is wrongly mentioned as Chandrika Ben/05.01.1987. Her correct Name/DOB is Thakor Chandrikaben Ranjitji/ 05.01.1985 which may be amended accordingly. 0040506733-1

I, Niranjan alias Niranjana alias B. Niranjan Naik S/o Shri Bhoja Subba Naik R/o E-117, GF, E-Block, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, have changed my name to Niranjan Naik for all purposes. 0040506716-1

I, Nira Sahni W/o Satish Kumar Sahni R/o E-130, Sector-11, Faridabad, Haryana-121006. have changed my name to Neera Sahni. 0040506788-4

I, Neha D/O Mata Baksa Singh R/O Flat No.838, Pkt-6, Sector-2, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Neha Singh. 0040506751-9

I, Monica Kumar W/o Nitin Kumar R/o-8079, B-11, VasantKunj, New Delhi-110070. have changed my name to Monica Agarwal. 0040506788-1

I, Mohammed Muzahid S/o Mohd Shahid R/o-1161,Rakab Ganj,Behind Delite Cinema, Delhi-110002 have changed my Name to Mohd Mujahid 0040506709-3

I, Mehak Bansal D/o Ravinder Bansal R/o-B-3/87, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to Mahak Bansal permanently. 0040506751-5

I, Lovenika Verma W/o Manish Khurana R/o-B3A-315, Janakpuri, Delhi-110058.have changed my name to Lovenika Khurana permanently. 0040506851-5

I, Loveleet Baigra S/o Mahesh Chander Baigra R/o-1/10101, A-6 Gali No-3L Shahdara Delhi-110032. Have Changed My Name To Loveneet Baigra. 0040506751-10

I, Lila Adhikari W/o Late Kali Das Acharya, R/o K-1/13, C.R. Park, New Delhi-110019, have changed my name from Lila Adhikari to Lila Acharya, for all purposes. 0040506723-1

I, Kushal Kumar Sayal S/o Suresh Kumar Sayal R/o-3/147, Subhash Nagar, New Delhi-110027 have changed my name to Kushal Kumar. 0040506751-2

I, Krishna Kumar Sangeetha W/o Chandra Shekaran Krishna Kumar R/o,K-34/C, F/F, Kailash Colony, N.Delhi-110048,have changed my name to Sangeeta Krishna Kumar. 0040506751-4

I, Bhavana Arora W/O Girish Lamba R/O-A-1, Khyala-Dda Colony, Delhi-18, Have Changed My Name To Bhawna Lamba. 0040506768-2

I Gireesh Sehgal S/O Madan Lal Sehgal R/O-Flat.No-163, Plot.No-65, Surya kiran Apartments IP.Extn Laxmi-Nagar Delhi-110092 changed my Name to Girish Sehgal. 0040506851-4

I Darshana D/O, Murti Devi R/o H-16/120 Tank Road Karol Bagh ND-5 have changed my name to Darshana Sharma for all purposes. 0040506818-2

मैं सतीश कुमार सुपुत्र श्री श्याम लाल जैन पता- 1239 A/86, शान्ति नगर, त्रि नगर, दिल्ली- 110035 ने अपना नाम सतीश कुमार से बदलकर सतीश कुमार जैन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

I, Jamaluddeen S/o Basir Khan R/o C-96/1, Gali No.5, Shastri Park, Delhi-110053, have changed my name to Jamaluddin for all purposes. 0040506677-1

I, Indu Kholiya W/o Sh. Surender Singh Kholiya R/o 29, Sheesmahal Damuadunga, Devi Mandir Canal Road, Ward No.6, Haldwani, Nainital, Kathgodam, Uttarakhand-263126, have changed my name to Indra Devi My LIC Policy No 240468988. 0040506730-1

I, Hemant Kumar Maurya S/o Bhudev Maurya R/o G-5/35-36, Ground Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Hemant Maurya. 0040506768-1

I, Gurucharan Singh S/o Late Makhan Singh R/o 28, Kirari Suleman Nagar, Indra Enclave, Phase-2, Nithari, North-West Delhi-110086, have changed my name from Guru Charan Singh Gill to Gurucharan Singh for all future purposes. 0040506679-1

I, Divya Jayaswal W/o Sh. Prashant Aggarwal R/o Flat No. 136, Samrat Ashoka CGHS Ltd, Plot No. 6, Sector-18A, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name from Divya Jayaswal to Divya Aggarwal for all future purposes. 0040506681-1

I, Dipak Kumar Jha S/o Mithilesh Jha R/o- D-75, Pandav Nagar, Mandawali-Fazalpur, Delhi-110092. changed my name to Deepak Kumar Jha. 0040506788-2

I, Deepak Kumar S/O, Ramvir Saraswat R/o M 138 Sector-12 Pratap Vihar, Ghaziabad-201009, have changed my name to Deepak Kumar Saraswat for all purposes. 0040506753-1

I, Chinu Singh D/o Baldev Singh, W/o Prateek Mann, R/o D2 - 2601, Cleo County, Sector - 121, Noida, U.P - 201301 have changed my name to Chinu Singh Mann. 0070668813-1

I, Bandana Devi W/O Ajay Singh Pathania R/O F-11-D, Mig-Flats, Hari-Nagar, New Delhi-110064. Changed My Name To Vandana Katoch Pathania. 0040506788-10

I, Ashwarya Sahni S/o Satish Kumar Sahni R/o-E-130, Sector-11, Faridabad, Haryana-121006.have changed my name to Aishwarya Sahni. 0040506788-3

I, Ashok Kumar S/o Harphool Sharma, R/o RZ-1123 A/1, Gali No.14/6, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045 have changed my name to Ashok Kumar Sharma for all purposes. 0040506708-1

I, Anjali Kapoor D/o Raj Kumar Kapoor R/o D2 - 2601, Cleo County, Sector - 121, Noida, U.P - 201301have changed my name to Anjali Mann. 0070668811-1

I, Anil Kumar S/o Gian Chand Vij Residence-22/4B Tilak Nagar New Delhi. have changed my name to Anil Kumar Vij. 0040506768-4

I, Anchal Jain S/o Alok Kumar Jain R/o E-50,Sector-21,Noida-201301, have changed my minor daughter's name from Daanyah Kaur Chhatwal to Daanyah Kaur Jain-Chhatwal. 0050152896-1

I, Anant Sharma S/o, Ashutosh Gautam R/o F-9 Brahma Apartments, Sector-7, Plot No.-7, Dwarka, ND-75 have changed my name to Anant Ashutosh Sharma for all purposes. 0040506818-1

I, Anand Kumar S/o Ram Singh R/o.H.No.562, P.P.Colony, Vill.-Baprola,Najafgarh, Delhi-43,have changed my name to Anand parmanently. 0040506709-2

I, Amarjit Kour Bahri S/O-Bhupinder Singh Bahri R/O-wz-134, Ram Nagar, Tilak-Nagar, Delhi-18 Have Changed My Name To Amar Jit Kaur. 0040506851-2

I, Amar Jeet S/o Gurdeep Singh R/o A-29, S/F, Block-A, Chandranagar, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Amarjeet Singh. 0040506751-1

I, Alexander S/O Peshawari Afzal R/O-231/7, Chelmsford, PaharGanj, New Delhi-110055. Changed My Name To Alexander Afzal. 0040506788-11

I, Ajay Kumar S/O Sansar Chand Katoch. R/O-F-11-D, Mig Flats, Hari-Nagar, New Delhi-110064., Changed My Name To Ajay Kumar Katoch. 0040506788-9

I Yam Bahardur Rakas S/O Purna Bahadur R/O 30, Vasant-Marg, Vasant-Vihar-1, Delhi-110057, Have Changed my Name to Yam Bahadur Rakas. 0040506768-8

I Parmod s/o Bharat Singh R/o Flat no-E-603, BPTP-society, sector-37D, Gurgaon. have changed my name to Parmod Lohchab. 0040506768-3

I Apurv Yadav S/O Dharmender Yadav R/O RZ-44A/2A, Gali-No-5, Main Sagarpur, Delhi-110046 Have Changed my Name to Apurv. 0040506788-7

व्यक्तिगत

मैं अर्चना चावला पत्नी श्री संजीव चावला, निवासी- एमएमएस-2/271, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ बयान करती हूँ कि मैंने अपना नाम 'सचदेवा अर्चना देवेन्द्र नाथ' से बदलकर 'अर्चना चावला' रख लिया है। भविष्य में मुझे 'अर्चना चावला' के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

मैं रेनू रावत पत्नी जितेन्द्र सिंह रावत, निवासी-खसरा नं. 104ख, ग्राम बरखुरदारपुर, डिपो कुर्सी रोड, लखनऊ बयान करती हूं कि मैंने अपना नाम 'रेनू बिष्ट' से बदलकर 'रेनू रावत' रख लिया है। भविष्य में मुझे 'रेनू रावत' के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

मैंने अपने पुत्र मोहम्मद तिल्मीज़ आरिफ का नाम परिवर्तित कर अब तिल्मीज आरिफ सिद्दीकी रख दिया है। उसे अब इसी नाम से जाना पहचाना जायेगा। मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी पहिया आजमपुर काकोरी हरदोई रोड लखनऊ

It is for general information that I, Sanjeev Kumar Arora S/o Shri P. L. Arora residing at F-16, Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar-IV, New Delhi - 110 024, declare that name of mine has been wrongly written as SANJEEV ARORA in my minor daughter, name Sonalika Arora, age 16 years in her educational documents (10th Mark Sheet & 10th Certificate) as well as school records. The actual name of mine is SANJEEV KUMAR ARORA respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

खोया+पाया

I, Sanjana D/o Laxman R/o H.no-105 block-h sunder-nagar nagri Delhi-93 have lost my original certificate class-10th year-2007 Rollno-6319076 CBSE Delhi 0040506803-8

Lost My Original Marksheets & Certificates Of Class-10th Roll No-85008, Year-1979 and 12th Roll.No-333282, Year-1982, from CBSE, Delhi Finder May Contact-Nirjal Kaur:8448745755. 0040506803-10

My original CBSE qualifying secondary examination roll-no.8179767, year.2015, senior-secondary examination roll-no.2607500, year-2017, certificates/marksheet, Addhar card, have been lost. Gurusha Sharma D/o Kamal Sharma, A3/323, Paschim-Vihar New Delhi-63. 0040506803-9

I, Gian Kumar Singharia would like to inform the general public that I have misplaced my original Sale Deed & Agreement doc of Flat No.B-218, Ashiana-Gardens, Village-Khanpur, Tehsil-Tijara, Alwar,Rajasthan.If anyone finds it,kindly contact-9999220926 within 10-days from the date-of issue of this Ad. 0040506851-8

I, Aneesh Gupta S/o Amit Gupta R/o-D-4 Krishna Nagar Delhi-110051, lost my Class X-Pass Certificate Year-2018 Roll No.8254394 CBSE, Delhi. 0040506803-7

Lost my original 12th class Migration Certificate Roll.No.9198512, Year-2019,from CBSE.Finder pls contact: Kunal S/o Parmod Kumar H.No.8A, Dhobi Basti,Hari Nagar,Ashram,New Delhi-110014. 0040506812-3

LOST & FOUND

I, Sudeep Sengupta S/o Sailen Sengupta R/o U.D. 04-0406 Udita, 1050/1, Survey Park, Santoshpur, Kolkata, West Bengal-700075, have lost 6 payment receipts bearing Nos. (1) CG-2/CRB/00462/0311 Dt. 29/03/2011 for Rs 925039/- (2) CG-2/CRB/00051/0113 Dt. 14/01/2013 for Rs.925173/- (3) CG-2/CRB/ 00013/0513 Dt. 01/05/2013 for Rs.990000/- (4) CG-2/CRB/00162/0913 Dt. 30/09/2013 for Rs.120039/- (5) CG-2/CRB/00163/0913 Dt. 30/09/2013 for Rs.900000/- and (6) CG-2/CRB/00027/1213 Dt. 04/12/2013 for Rs.11760/- in respect of Flat No CGT-141, Phase II, DLF Capital Greens, 15, Shivaji Marg, New Delhi-110015

Lost Original Property Documents of Plot No.2, Sector-143A, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, belonging to Dhoomketu Builders and Developers Pvt. Ltd., New Delhi. Finder will be suitably rewarded. Contact: P.N. Joshi 9899756660

रिक्त स्थान

मर्चेन्ट कम्पनी में भर्ती
योग्यता-10वीं/12वीं/ग्रेजुएट छात्र
आयु-17-25 वर्ष वेतनमान-25000-45000 अन्य सुविधाएं
sanskaadmndpt@gmail.com
09783613311

PUBLIC NOTICE

Be it known to everyone that my clients Shri Naresh Bansal and Smt. Kanta Bansal both R/o. A-101, Lok Vihar, Pitampura, New Delhi -110034, have severed all their relations & ties with their son Manish Bansal and his wife Shivangi Bansal and disowned/ debarred and disentitled them from their all movable and immovable properties as they are out of their sayings and control. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk and my clients shall incur no liability for the same.
CHAKIT SINGHAL-ADVOCATE
1327, Lawyers Chamber Block, Rohini Court Complex, Delhi -110085

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुवक्किला श्रीमति विमल पत्नी स्व. श्रीराम निवासी 5008, पन्नाला मार्किट, पोस्ट ऑफिस साउथ, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 ने अपने पुत्र रघुनन्दन एवं इसकी पत्नी हिना, को अपनी हर चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि ये मेरी मुवक्किला के आज्ञाकारी नहीं रहे हैं और उनका व्यवहार मेरी मुवक्किला एवं उनके परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरी मुवक्किला को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में ये अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरी मुवक्किला व उनके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।
BIRENDRA KUMAR YADAV - ADVOCATE
24/18, St. 6, Jharoda Mazra, Part-III, Delhi -110084

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Rajbeer Singh S/o Late Sh. Kehar Singh residing at 569/2, Balmiki Basti, Maidan Garhi, D.J.B Tubewell, New Delhi-110068 declare that name of mine/my father has been wrongly written as Buddha/Kehari in my Properties Paper and in other Documents. The Actual name of mine/my father are Rajbeer Singh/Kehar Singh respectively, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Smt. Lata Goel W/o Sh. Vinod Goel And Sh. Vinod Goel S/o Late Sh. R.D. Goel, Both R/o WZ-41-A, Lane No.1, Lajwanti Garden, New Delhi-110046 hereby sever all their relations from their son namely Amit Goel and debarred him of their all movable & immovable properties forever. Any person dealing with deberred son shall be doing so at his/her own risk & responsibility, in future my clients will not be responsible for his any acts and deeds.
PRAVEEN RASTOGI (Adv.)
D-244/06
S/o R.C. RASTOGI
RZ-97, Khushi Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-59. Mob. No. 9810988643

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that my clients Smt. Kamlesh W/o Late Shri Ram Sawroop R/o House No. 1/39, Kunwar Singh Nagar, Ranhola, Delhi-110041. That my client disown his son namely Shri Neeraj S/o Late Shri Ram Sawroop R/o H.No. 1/39, Kunwar Singh Nagar Ranhola, Delhi-110041, aged 33 and daughter-in-law Smt. Chaman Dal Alias Sunita W/o Shri Neeraj 1/39, Kunwar Singh Nagar, Ranhola, Delhi-110041 aged about 31 years, from his all immovable and moveable properties because they are living separately at unknown place without consent of my client and out of control of my client and pick quarrel with my client on account on petty issues. That anybody will deal with son and daughter-in-law of my client is future own risks & consequently and my client shall not liable for any work and liability towards them. My client severed all relation with his son & daughter-in-law through this Public Notice.
JAI INDER-ADVOCATE
Ch. No. 426, Lawyer Chamber Block, District Court, Rohini, Delhi -

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS NIRMLA DEVI W/O LATE BHOOP SINGH SAINI, PINKY AND PRIYA DAUGHTER OF LATE BHOOP SINGH SAINI R/O H.NO.-D-88, LAXMI PARK, NANGLOI, DELHI-110041 HEREBY REMOVE THEIR RELATIONSHIP WITH HEMANT SAINI (AGED 28 YRS) S/O LATE BHOOP SINGH SAINI AND ALSO EXPEL HIM FROM HIS MOTHER'S MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES BECAUSE HE IS OUT OF THEIR CONTROL, IF ANYBODY DEALS WITH HIM, HE/SHE WILL DO SO ON HIS/HER OWN RISK.
Sd/-
VIJAY LAXMI (ADVOCATE)
OFFICE : 113, CLJ
LAWYER CHAMBERS
TIS-HAZARI, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

General public is hereby cautioned, that property bearing address No. 12/62, Nehru Nagar, New Delhi-110062, (First Floor to Top Floor) is not for sale and any person dealing with any person entering into any transaction for sale, purchase etc, shall be doing so at his/her own cost and consequences.
Sh. Parvinder Pal Singh Balla
S/o Krishan Gopal Bhalla
Through Advocate
Mr. RISHI PAL
Ch. No.653, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Be known that my client NARESH S/O OM PRAKASH & LAKSHMI W/O NARESH both R/o L-191, J.J. COLONY, WAZIRPUR, DELHI-52, have disowned and severed all their relations with their son AJAY S/O NARESH and debarred from their movable and immovable properties/ assets due to his misbehavior. If any person, organization, institution dealing with him in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility, for that my client shall not be responsible in any manner whatsoever
Sd/-
DINESH KUMAR (Advocate)
Office No. 5, G.F. DDA Market
RU Block, Pitampura Delhi-34

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Rajkumar S/o Som Prakash R/o BH-136,East Shalimar Bagh, Delhi-88 Allottee/Purchaser of Plot No. BH-136, East Shalimar Bagh, Delhi-88 has applied for conversion of the aforesaid Plot from Lease hold to Freehold in DDA. The original documents DDA Demand Letter, Possession Letter D-Form issued by DDA of above said Plot has been Lost. An FIR on this effect has been lodged vide LR No.1186435/2019 dated 25/06/2019
Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact with the above named person at above Address/ Phone No. 9810526262 within 15 days from the date of Publication of this Notice or Write to Dy. Director (LAB) Residential, C-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mrs. Krishna Kumari acquired the property i.e Plot No. 629/13, Gali No. 17, Situated at Vaka Pratap Nagar Chhanni Gurgaon, Gurgaon, vide Sale Deed dated 27.04.1995 and Sale Deed dated 04.02.1960 executed by Mrs Shanti Devi and Mrs. Savitri Devi in favour of Mr. Somnath is lost and Mrs. Krishna Kumari is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.
AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn., Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

My client RAMESHWAR S/O GYANI RAM R/o A-182, Dr. Ambedkar Basti, Sec-1, R.K. Puram, New Delhi-110022, do hereby severe all his relations and debar his son DEEPAK KUMAR from all his movable & immovable properties due to his disobedience and cruel nature. My client shall not be responsible for any of his son's acts.
Sd/-
ASHOK KUMAR SHARMA (Advocate)
Reg. No. D193A/1981

PUBLIC NOTICE

The Public at large is hereby made aware and cautioned that my client Mr. S.S. Khosla S/o Late O.S. Khosla, C/o- 819 W.E.A., Karol Bagh, New Delhi- 110005 has a subsisting legal lien on 2/3rd Undivided share of built-up property bearing No. 11B/2, measuring 1000 Sq. Yds., situated at main Pusa Road, New Delhi (hereinafter the Said Property) by virtue of Various agreements since February 2017 and consequent physical Possession of Garage Block and Two Bedroom with attached bathrooms, kitchen and appurtenant passages located therein within the said property by virtue of Receipt cum Possession Letter dated 13/05/2017 as also the 24 hour unhindered right of ingress and egress, both so signed and executed by four (namely Mr. Devashish Roy Chaudhury, Smt. Nibedita Chatterjee, Ms. Tapti Ghosh and Mr. Partha Dhiraj Sinha Bose) out of six undivided Co-owners. Anybody dealing with the Said Property or any portion thereof shall do so at his own and sole risk in cost and consequences.
SANJAY K DEWAN-ADVOCATE
Ch. No. 886, Dwarka District Courts, Sector-10, Dwarka, New Delhi -75

सुषमा को सुनना पसंद करते थे लोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जब 90 के दशक में भाजपा को सत्ता में लाने की कवायद में जुटे थे तब अपनी अद्भुत वाकपटुता और आम लोगों से सहज घुलमिल जाने के कौशल की बदौलत सुषमा स्वराज पार्टी में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के रूप में उभर कर सामने आईं। 90 के दशक और 2000 के प्रारंभ में चुनाव प्रचार में उनकी सबसे अधिक मांग रहती थी। खासतौर पर हिंदी पट्टी के इलाके में पार्टी के शीर्ष नेताओं में सुषमा स्वराज को उनकी संतुलित, आक्रामक और बेहद सधी भाषा में विषयों को रखने तथा 'भारतीय नारी' के रूप में उनकी छवि के कारण लोग सबसे अधिक सुनना पसंद करते थे। आडवाणी के साथ खड़ी नजर आने वाली सुषमा लोगों के बीच अपने व्यापक प्रभाव के कारण राजनीति में आगे बढ़ती चली गईं। इसका ही परिणाम था कि वह चार बार लोकसभा के लिए चुनी गईं।

वह दक्षिण दिल्ली से दो बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिनों की सरकार और 1998 में दोबारा सरकार बनने पर वह सूचना व प्रसारण मंत्री बनीं। सुषमा स्वराज का सबसे प्रसिद्ध चुनावी मुकाबला 1999 में सामने आया जब वह बेल्लारी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा की उम्मीदवार बनीं। कुछ महीनों के लिए वह दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं और पार्टी ने उन्हें चुनाव में दिल्ली में भाजपा को दोबारा सत्ता में वापसी कराने का दायित्व सौंपा था। हालांकि, कम समय मिलने के कारण वह ऐसा चमत्कार नहीं कर सकीं।

साल 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मुकाबले में भाजपा ने सुषमा स्वराज को भारतीय नारी के प्रतीक और सोनिया गांधी को विदेशी बहू के रूप में पेश किया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जीतने में सफल रहीं लेकिन सुषमा स्वराज बेल्लारी सीट पर खासा प्रभाव छोड़ने में सफल रहीं। सुषमा स्वराज को 3.58 लाख वोट मिले जबकि सोनिया गांधी को 4.14 लाख वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनका कद बढ़ता गया। भाजपा के सत्ता से बाहर होने पर वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।

...जब सुषमा ने अचानक कहा था, मैंने अगला चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है

इंदौर, 7 अगस्त (भाषा)।

वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने करीब नौ महीने पहले ही यह घोषणा कर सियासी गहमागहमी बढ़ा दी थी कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रचार के लिये यहां पहुंचीं तत्कालीन विदेश मंत्री ने यह घोषणा शहर के एक होटल में 20 नवंबर 2018 को प्रेस कांफ्रेंस में की थी। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था, वैसे तो मेरी चुनावी उम्मीदवारी तय करने का अधिकार मेरी पार्टी के पास है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी।

सर्वजानिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिल श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री तिलक राम व श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री ओमवीर सिंह निवासी:- मकान नं०:-30, गली नं०-1, एफ-ब्लॉक, दयालपुर, दिल्ली-94 ने अपनी पुत्री आंचल को उसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उसके किसी भी गलत कार्य के लिये मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगें।
Ashish Kumar Upadhyay (Advocate)
Off.: E-223, Main Road Khajuri Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Keshav Pahadiya S/o Sh. Bandavan and Smt. Raj Kumari W/o Sh. Keshav Pahadiya both R/o A-165, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 do hereby disowned/ Bedakhal their son Parvin and his wife Smt. Kirti as they are not under control of my clients and my clients have debarred and disowned them from all their moveable and immovable properties and my clients have also severed all their relations with them. Anybody transacting/dealing with them in respect of anything future in doing that on his/her own risk. My clients shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.
A.R. Nasir (Advocate)

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Mr. Ashok Chawla along with his parents Mr. Om Prakash Chawla and Mrs. Sushil Chawla acquired the property i.e Flat No. G-1, on Ground Floor, HIG, on Plot No. B-88, Kaushambi, Ghaziabad, vide Sale Deed dt. 22.01.2003. Further Mr. Om Prakash Chawla and Mrs. Sushil Chawla w/o Mr. Om Prakash Chawla died intestate Leaving their son Mr. Ashok Chawla as their sole survivors and now Mr. Ashok Chawla is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.
AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn., Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

It is for the general public information that my client Om Prakash Wadhwa S/o Late Sh Ram Ditta Ram Wadhwa and his wife Smt. Krishna Wadhwa both R/o B-20-A, Old DDA Flats, Paschimpuri, New Delhi-110063, have debarred, disowned and severed all their relationships with their son namely Vijay Kumar Wadhwa and his wife Renu Wadhwa and their legal heirs from all their movable and immovable properties either self-acquired or ancestral situated in India due to their misconduct, fraud, disobedience, violent, irresponsible misbehavior and attitude. If any person dealing with them in any manner, they shall do so at their own risk and responsibility and my client will not be responsible in future for their acts.
Arun Satija, Advocate
Ch. No. 361, Patiala House Courts, New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE THAT Mr.Surendra Kumar and Mr Raj Kumar, both sons of Shri Nanak Chand and both residing at M-139, Shastri Nagar, Delhi, have agreed to mortgage to our client IDFC First Bank Ltd, having their Registered office at One Indiabulls Centre, Tower 2A & 2B, 10th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013 and Branch office at Bhagwan Sahai Palace, 2nd Floor, Main Road, Naya Bans, Sector 15, Noida (UP),the property more particularly described in the schedule mentioned hereunder written (hereinafter referred to as 'the said property') free from all charges or encumbrances.
All PERSONS claiming any share, interest or right in the said property or any part thereof by way of sale, transfer, assignment, mortgage, charge, lease, license, lien, tenancy, trust, gift, easement, possession, inheritance or otherwise however are hereby required to make the same known to the undersigned in writing, within(14)fourteen days from the date of publication of this notice, with all supporting documents, failing which mortgage over the said property shall be created without reference to all claims if any, and the same shall be deemed to waived/ and or abandoned and will not be binding on our clients.
The schedule above referred to (Detail description of the property) Property bearing No. M-139, area measuring 41.80 sq. mtrs. i.e. 50 sqyds, out of 100 Sq. yds., of portion of Plot No. 139, out of Khasra No. 509, Block M, situated at Village Chowkri Mubarakabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Shastri Nagar, Delhi.
Sd/-
Mithlesh Kumar Sharma, Advocate
M/s Intellective Law Offices, A-74, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024

संसद में स्वराज के प्रहार से विपक्षियों की बोलती बंद हो जाती थी : महाजन

इंदौर, 7 अगस्त (भाषा)।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज को नम आंखों से याद करते हुए बुधवार को कहा कि जब स्वराज संसद में अपने धारदार भाषण से प्रहार करती थीं, तो विपक्षियों की बोलती बंद हो जाती थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महाजन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जब स्वराज संसद में बोलते वक्त विपक्षी दलों पर प्रहार करती थीं, तो ऐसा लगता था कि उन दलों के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। वह घटनाओं के विवरण को तारीखों के साथ बयां कर मुझे अक्सर चौंका देती थीं। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री की भाषण कला की सराहना करते हुए कहा कि जब स्वराज विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करती थीं, तो वह भारत की आवाज बन जाती थीं। वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पुरजोर तरीके से भारत का पक्ष रखती थीं।

स्वराज के साथ बिताए पलों को याद करते हुए महाजन का गला चंद पलों के लिए रुंध गया और उनकी आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर देश के लोग एक तरफ जश्न में डूबे हैं। वहीं दूसरी ओर, स्वराज के निधन से मुझे लग रहा है जैसे मेरे सिर पर पत्थर गिर गया हो। उन्होंने कहा कि स्वराज के निधन से भारत ने एक कर्मठ राजनेता खो दिया।

गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद वह देश और समाज के लिए सक्रिय रहती थीं। भाजपा की 76 वर्षीय नेता ने कहा कि स्वराज मेरी अच्छी सहेली थीं। वह हालांकि मुझसे उम्र में छोटी थीं। लेकिन कर्मठता के लिहाज से वह मुझसे कद में बहुत बड़ी थीं। मैंने राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है।

उत्तराखंड में कश्मीरी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाई गई

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 7 अगस्त।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे कश्मीरी छात्र-छात्राओं की समुचित सुरक्षा के निर्देश राज्य के आला अधिकारियों को दिए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाने तथा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग से केंद्र शासित राज्य बनाने के फैसले का मुख्यमंत्री ने स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र-छात्राओं को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने बताया कि राज्य के उन सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जिन शिक्षण संस्थानों में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ाई करती हैं। कश्मीरी छात्र-छात्राओं को पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वे यहां सुरक्षित है और बिना किसी दबाव के अपनी शिक्षा जारी रखें। रतूड़ी के मुताबिक देहरादून में तीन-चार हजार से ज्यादा कश्मीरी छात्र-छात्राएं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। फिलहाल बकरा ईद के कारण काफी संख्या में कश्मीरी छात्र-छात्राएं ईद मनाने के लिए कश्मीर गए हुए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय चेक पोस्टों पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और सघन जांच अभियान चल रहा है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर खास नजर पुलिस रख रही है। देहरादून के विभिन्न सरकारी संस्थानों और केंद्रीय संस्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। जिन शिक्षण संस्थानों में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं ,उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है स्थानीय नागरिकों और कश्मीरी छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की अफवाहों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। पुलिस अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए है।

छत्तीसगढ़ : राज्यपाल और मुख्यमंत्री बघेल ने जताया शोक

रायपुर, 7 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल उइके ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहनशोक व्यक्त किया है। उइके ने कहा है कि सुषमा स्वराज महान नेता, योग्य नेतृत्वकर्ता और प्रखर वक्ता थीं।

राज्यपाल ने अपने संसदीय कार्यकाल को स्मरण करते हुए कहा कि वह मेरे लिए एक गुरु की भांति थी और जब मैं राज्यसभा में पहली बार गई तो उन्होंने बड़ी बहन के रूप में मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया।

दिल्ली के दिल में सर्वप्रिय सुषमा

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता रहने के बाद केंद्र की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री से दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के समय सुषमा स्वराज की मीडिया वर्ग में ही छवि बनी थी कि वे मीडिया से सरोकार कम रखने लगी हैं। 12 अक्तूबर 1998 को वे साहिब सिंह वर्मा की जगह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थीं। उनका प्रेस क्लब में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद गलियारे में ही यही सवाल उनसे करने पर सुषमा स्वराज ने इसे गलत बताया और दिल्ली के पत्रकारों से नियमित मिलने लगीं। वे महज तीन महीने दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और दिसंबर के चुनाव में दोबारा भाजपा सरकार न बन पाने पर उन्होंने कुछ दिनों में विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी लेकिन काफी समय बाद तक राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारी संभालते हुए जब उनसे आमना-सामना हुआ, उन्होंने नाम लेकर ही बातें कीं। वे दिल्ली की रहने वाली नहीं थीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते और राजनेता के नाते उनके 67 साल के जीवन का अधिकांश हिस्सा दिल्ली में बीता। ओजस्वी वक्ता और पहनावा , आचरण में भारतीय नारी की प्रतिरूप सुषमा स्वराज सुहागन, मांग में सिंदूर, ललाट पर लाल टीका, गले में मंगलसूत्र और साड़ी पहने इस दुनिया को अलविदा कह गईं।

वे भाजपा की संकट मोचक थीं। हवाला मामले में जैन डायरी में नाम आने के बाद पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने फरवरी 1996 में इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कुछ ही महीनों में हवाला आरोप साबित न होने पर खुराना फिर से मुख्यमंत्री बनने में लग गए। उन्हें लगता था कि उन्हें

आडवाणी के जैसे ही पार्टी हाथों-हाथ लेगी लेकिन ऐसा न होने पर वे बगावती तेवर अपनाने लगे। साहिब सिंह आसानी से हटने को तैयार न थे। उनका कहना था कि उन्हें पार्टी ने शर्त के साथ मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। विवाद इस कदर बढ़ गया कि पार्टी ने उस सरकार के मंत्री डॉ हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली। हर्षवर्धन का नाम आते ही दोनों ने किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनवाने की सलाह पार्टी नेतृत्व को दी। दक्षिणी दिल्ली से लगातार दूसरी बार सांसद बनीं सुषमा स्वराज तब भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। उन्हें 12 अक्तूबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया। साहिब सिंह को मनाने के लिए उनके एक रिश्तेदार को मंत्री बनाया गया, वे इससे भी संतुष्ट नहीं हुए।

10 रुपए किलो प्याज

सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री बनने तक दिल्ली का राजनीतिक माहौल भाजपा के प्रतिकूल हो चुका था। डेंगू महामारी के बाद प्याज की मंहगाई और खराब कानून व्यवस्था भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुका था। सुषमा स्वराज नें महंगा प्याज खरीदकर दस रुपए किलो प्याज दिल्ली भर में बिकवाना शुरू किया था। प्याज के लिए दिल्ली में लाइनें लगने लगीं। लोगों का विश्वास कानून-व्यवस्था में कायम रहे इसके लिए वे हर रात खुद पुलिस के साथ गश्त करने लगीं। भाजपा को एकजूट करना और दूसरे मुद्दों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो रहा था। मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा की नाराजगी वे आखिर तक दूर नहीं करवा पाई। उन्हें उन दोनों का सहयोग नहीं मिला। चुनाव में उनका मुकाबला दिल्ली में लोकसभा चुनाव हार कर प्रदेश अध्यक्ष बनी शीला दीक्षित से थे। भाजपा के नेता इसी ख्वाब में रहे कि कांग्रेस में तो भाजपा से ज्यादा गुटबाजी है। चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 52 सीटें मिलीं। भाजपा की सीटें 15 ही रह गईं। बाद में सुषमा स्वराज ने भी अपनी सीट छोड़ दी, उस हौज खास सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। सुषमा स्वराज फिर केंद्र की राजनीति में लौट गईं। उन्होंने उसके बाद भले ही दिल्ली से कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन हर चुनाव में देश से ज्यादा वे दिल्ली में सक्रिय रहीं।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहते हुए वे सबसे सक्रिय मंत्रियों में शामिल थीं। नरेंद्र मोदी के अलावा जिन लोगों को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था, उनमें सुषणा स्वराज का नाम भी प्रमुख था। माना जा रहा था कि वाजपेयी के कमजोर रहने से सुषमा का दावा कम मजबूत था बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। उनकी ख्याति दुनियाभर में पहुंची। उसी दौरान उनकी किडनी खराब हुई, उसे बदला गया। उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। फिर भी लोगों को लगता था कि वे दोबारा मोदी सरकार में बतौर मंत्री शामिल होंगी। वे मंगलवार की रात दिल का दौरा पड़ने से कुछ घंटे पहले तक पूरी तरह से सक्रिय थीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का पुनर्गठन करने पर बधाई संदेश भी भेजा था। दिल्ली की न होते हुए भी वे किसी दिल्ली वाले से ज्यादा दिल्ली की थीं और महज तीन महीने दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह भी एक अजीब संयोग बना कि सुषमा स्वराज से दिल्ली की सत्ता पाने वाली शीला दीक्षित का निधन 81 साल की उम्र में इसी 20 जुलाई को हुआ और सुषमा स्वराज 6 अगस्त को स्वर्गवासी हुईं।

फाइल फोटो

दिल्ली में दो दिन का राजकीय शोक

पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के सम्मान में दिल्ली सरकार ने दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक महान नेता खोया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि सुषमा जी काफी जोशपूर्ण और विलक्षण इंसान थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी के सम्मान में दो दिवसीय राजकीय शोक रखेगी। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी स्वराज के निधन पर शोक जताया।

भारत की राजनीति में सूनापन आ गया है : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

प्रदेश के भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने भी दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक जताया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद विजय गोयल ने भी दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वराज का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपने शोक संदेश में कहा कि सुषमा स्वराज अद्वितीय प्रतिभा, सरल व सौम्य स्वभाव की धनी थीं। उनके निधन से भारत की राजनीति में सूनापन आ गया है।

मनोज तिवारी ने कहा-विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेष नीति को नई उड़ान दी। उनको सदैव एक कुशल वक्ता, मानवीय प्रशासक और धरती से जुड़े नेता के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद विजय गोयल ने अपने संदेश में कहा कि सुषमा स्वराज से उनको राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका हृदय विराट था और उसमें जनता का व्यापक स्थान था।

सुषमा स्वराज का निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति : एबीवीपी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भारत की पूर्व विदेश मंत्री, प्रखर राजनेता और वक्ता सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुषमा स्वराज छात्र जीवन में एबीवीपी की कार्यकर्ता रहीं और 70 के दशक में हुए जेपी आंदोलन में भी सहभागिता की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जो अनुभव पाए थे, उसे समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त भी किया। बुधवार सुबह सुषमा स्वराज के आवास पर जाकर एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

एक सच्चा जनसेवक खो दिया : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत गोस्वामी और जितेंद्र कुमार कोचर ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। कांग्रेस की ओर से तीनों नेताओं ने लोदी रोड श्मशान घाट जाकर स्वराज को श्रद्धांजलि दी।

खास और आम के बीच की दूरी घटाने वालीं नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन अपने कामों से अमर हो चुकी हैं। वे एक ऐसी राजनेता थीं, जो किसी का नाम एक बार पूछने के बाद दोबारा उस व्यक्ति को उसके नाम से ही बुलाती थीं। दिल्ली उनके दिल में बसती थी क्योंकि यही वो रास्ता था जहां से सुषमा पहली बार लोकसभा पहुंची थीं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 1996 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। इस समय उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल को हराया था। उन्हें 13 दिनों की वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। सुषमा के प्रखर व्यक्तित्व, वाकपटुता और लोगों से जुड़ने के उनके अंदाज की वजह से पार्टी ने उन्हें 1998 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली सीट से उम्मीदवाद बनाया। इस बार उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया और दूसरी बार लोकसभा पहुंचीं। दूसरी बार भी उन्हें सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया गया और इसके साथ ही उन्हें दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। यही वह समय था जब उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था।

आम लोगों की शादी के कार्ड में सुषमा का नाम

दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली को प्राथमिकता दी। जितना प्यार वे दिल्ली से करती थीं उतना ही दिल्ली के लोग उनसे करते थे। यही वजह है कि दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के पश्चिमी इलाके के लोग उनसे इतना प्यार करते थे कि अपने बच्चों की शादी के कार्ड में सुषमा स्वराज का नाम अभिभावक के रूप में लिखवाते थे। सुषमा भी लोगों को निराश नहीं करतीं और ऐसे हर समारोह में जातीं थीं। उनकी यही खूबियां थी जिसकी वजह से दिल्ली के लोग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जिनसे सुषमा स्वराज का गहरा नाता रहा। नजफगढ़ स्थित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का जोनल कार्यालय, डाबड़ी फ्लाईओवर, द्वारका में निमार्णाधीन कन्वेंशन सेंटर आदि ऐसे इलाके हैं जिनकी सुषमा स्वराज ने या तो नींव रखी या उद्घाटन किया। उन्होंने किसी न किसी स्तर पर अपना अमूल्य योगदान दिया था।

नमक की अफवाह

सुषमा ने दिल्ली में अक्तूबर 1998 में बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला था। इस समय राजधानी में एक ओर प्याज का संकट था तो दूसरी ओर नमक के संकट की अफवाह फैल गई। इस अफवाह पर सुषमा ने तुरंत कार्रवाई की और सरकरी मशीनरी को सचेत किया। अफसरों के साथ सरकारी स्टोरों पर दौरा किया और छापेमारी के आदेश दिए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास नमक पर्याप्त मात्रा में है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भी सुषमा सचेत थीं। उन्होंने इस धारणा को भी तोड़ा कि महिलाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के एक थाने में आधी रात औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। उन्होंने वहां के कर्मचारियों से एसएचओ के बारे में पूछा। कर्मचारियों ने कहा कि वे दौरे पर गए हैं। इस पर सुषमा ने एसएचओ को बुलाने के निर्देश दिए। असल में एसएचओ थाने में ही सो रहे थे। इस मामले में सुषमा ने एसएचओ को फटकार लगाई।

1998 में ही दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए। सुषमा ने हौजखास विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीतीं भीं, लेकिन उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस वजह से कांग्रेस की सरकार बनी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनाईं गईं। इसके बाद सुषमा ने इस्तीफा दे दिया और वापस केंद्र की राजनीति मे लौट गईं। सुषमा का जाना दिल्ली को बहुत खल रहा है। जिस तरह से सुषमा के दिल में दिल्ली थी उसी तरह दिल्ली के लोगों के दिल में सुषमा थीं।

IIM LUCKNOW
भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ
प्रबन्धन विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
सितंबर 2019		
ग्रामीण और कृषि परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम निदेशक: प्रो संजीव कपूर	2-6	लखनऊ
कम आय वाले उपभोक्ताओं को विपणन कार्यक्रम निदेशक : प्रो. राजेश के ऐथल	4-7	लखनऊ
कोचिंग और सलाह, प्रभावी नेतृत्व के लिए कार्यक्रम निदेशक : प्रो. पंकज कुमार एवं प्रो.पुष्पेन्द्र प्रियदर्शी	16-18	लखनऊ
निर्णय लेने के लिए वित्त (गैर वित्त अधिकारियों के लिए) कार्यक्रम निदेशक : प्रो. प्रकाश सिंह एवं प्रो. अजय के गर्ग	16-20	नोएडा
विपणन निर्णयों के लिए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कार्यक्रम निदेशक : प्रो. प्रदीप कुमार एवं प्रेम पी देवानी	16-20	लखनऊ
रणनीति सोच और नेतृत्व कार्यक्रम निदेशक : प्रो.नीरज द्विवेदी	18-21	लखनऊ
डिजाइन सोच के माध्यम से बिजनेश इनोवेशन कार्यक्रम निदेशक : प्रो. अनिर्बन चक्रबर्ती	19-21	नोएडा
प्रबंधकीय सफलता के लिए प्रभावी संचार कार्यक्रम निदेशक : प्रो. नौरजा पाण्डे	23-25	नोएडा
प्रभावी अनुबंध श्रम प्रबंधन कार्यक्रम निदेशक : प्रो. डी.एस. सैंगर	23-25	नोएडा
बिक्री नेतृत्व और बिक्री बल प्रेरणा कार्यक्रम निदेशक : प्रो. देवाशीष दास गुप्ता	23-26	लखनऊ
अक्टूबर 2019		
बातचीत और अनुनय कौशल कार्यक्रम निदेशक : प्रो. पुष्पेन्द्र प्रियदर्शनी	21-23	लखनऊ
कॉरपोरेट संचार और छवि निर्माण कार्यक्रम निदेशक : प्रो. नौरजा पाण्डे	21-23	नोएडा

कृपया विजिट करें : http://www.iiml.ac.in/admission/mdp/mdpCalendar
या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एमडीपी) को लिखें
भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ
प्रबंध नगर, आईआईएम रोड, लखनऊ - 226013. फोन : 0522-6696282 - 3/8
Email: mdpoffice@iiml.ac.in; mdp@iiml.ac.in

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.
गृहे पोष्यम् विराजते
निगमित कार्यालय/मुख्यालय : जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, छठी मंजिल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400 020 टेली.: (022) 22851765/66/67 ई–मेल: corporate@gichf.com वेबसाइट: www.gichfindia. com
दिल्ली क्षेत्र कार्यालय : यूजीएफ– 10ए–ई, कंचनजुंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
टेली: 011–23731669, 23327548, 41522024, ई–मेल: delhi@gichf.com

नीलामी बिक्री के लिए मुहरबंद निविदाओं द्वारा बोलियों को आमत्रंण

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (जीआईसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा हस्ताक्षरी ने उक्त सूचनाओं में वर्णित देय राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें बुलाने के लिए निम्नलिखित ऋणियों/गिरवीकर्ताओं को मांग सूचना जारी की थी। हालांकि ऋणी/गिरवीकर्ता देय राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	फाइल नं.	ऋणी/सह-ऋणी/ गारंटर का नाम	संपत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि	भौतिक कब्जा की तिथि	31.08.19 तक कुल बकाया (रुपए में)	आरक्षित मूल्य
1.	UP06606000000050 द्वारका शाखा	यशवीर सिंह चौहान	फ्लैट नं. एफ-5, पहली मंजिल, प्लॉट नं. एफ-18, खसरा नं. 156ए, साई उपवन गांव- यूसुफपुर चक्क्षाबेरी, जिला-जीबी नगर, उ.प्र.-201301	02.02.2018	15.03.2019	1195702/-	949378/-
2.	DL0110610002968 दिल्ली शाखा	अनुराधा चारी	फ्लैट नं. 405, तीसरी मंजिल, खसरा नं. 774/26, टॉवर-ए, रॉयल रेजीडेंसी, हाउस निकेतन डेरा मंडी छत्तरपूर महरौली नई दिल्ली-110047	08.09.2017	03.04.2019	4235344/-	34,88,000/-

उक्त परिसंपत्तियों/संपत्तियों (सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम व शर्तों और इसके अंतर्गत नियमों में) की नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त, ''जहां है जैसा है के आधार'' और ''जहां है जो है के आधार'' पर उक्त संपत्तियों की खरीद के लिए मुहरबंद कवर/रों में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. उपरोक्त संपत्तियों को उक्त वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्यों का जमा धरोहर राशि/यों /(ईएमडी) 10 प्रतिशत जमा कराने की आवश्यकता होगी।
3. उक्त जमा को सफल बोलीदाता/ओं के मामले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस किया जाएगा। उक्त जमा धरोहर राशि/यों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. उपरोक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के सहित प्रस्ताव(ओं) संपत्ति की खरीद (संपत्ति का विवरण) के लिए मुहरबंद कवर ऊपरलिखित प्रस्ताव/ओं में होने चाहिए और यह नीलामी तिथि अर्थात् 04.09.2019 की एक दिन पहले जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., यूजीएफ–10 ए–ई, कंचनजुंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, मेट्रो स्टेशन के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
5. चूंकि, निविदाओं के खुलने के बाद, इच्छुक बोलीदाता जो आरक्षित मूल्य से कम में नहीं, अपनी बोलिया जमा करा चुका हैं, बोली राशि में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के स्वयं के निर्णय पर अवसर दिया जाएगा।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों/निविदाओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., यूजीएफ–10 ए–ई, कंचनजंग्गा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, मेट्रो स्टेशन के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में स्थित स्थल पर उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में 05.09.2019 को सुबह 11.00 बजे खोला जाएगा।
7. सफल बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति पर तुरंत पहले से जमा ईएमडी के संयोजन पर बिक्री मूल्य की राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा, असफल होने पर जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। बिक्री मूल्य का 75 प्रतिशत प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर स्वयं बिक्री के सुनिश्चितीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर देययोग्य होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि को जमा करने में असफल होने पर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
8. सफल बोलीदाता को सभी बकाया राशि अर्थात् म्यूनिस्पिल कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली प्रभार, पानी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर (यदि लागू हो), यदि कोई है और बिक्री मूल्य के अतिरिक्त संबंधित संपत्तियों के संबंध में सभी बकाया सहित अन्य आकस्मिक शुल्क, लागत का वहन करना होगा।
9. ऊपर उक्त संपत्तियों की जांच प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा अनुसार और अनुरोध पर की जा सकती है।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसपर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
11. निविदा फॉर्म या अन्य सूचना रु. 100/– केवल के मूल्य पर किसी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से उपलब्ध कराए/प्राप्त किए जा सकते हैं।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक: 04.08.2019 हस्ता./–
स्थान: नई दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी)

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.5 डि.से.	35.5 डि.से.	32.5 डि.से.	32.5 डि.से.
न्यूनतम	25.6 डि.से.	25.6 डि.से.	25.6 डि.से.	25.6 डि.से.

गायब हुए दो युवकों की शराब पिलाकर की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 7 अगस्त।

- चार आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर चालक की नौकरी से हटाए जाने की रंजिश के चलते की गई हत्या
- रबूपुरा इलाके के मेहंदीपुर और चंडीगढ़ गांव के बीच जंगल में मिले शव
- दोनों मृतक 31 अगस्त को ट्रैक्टर ट्राली से भूसा बेचने बल्लभगढ़ गए थे

रबूपुरा इलाके से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हुए दो युवकों की हत्या शराब पिलाने के बाद नशे की हालत में कर दी गई। दोनों का शव इलाके के मेहंदीपुर व चंडीगढ़ गांव के बीच स्थित जंगल से बरामद किया गया। हत्या के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या चालक की नौकरी से हटाए जाने की रंजिश के चलते की गई थी। मामले की जांच कर रही थाना रबूपुरा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से वारदात को लेकर अहम सुराग मिला थे।

रबूपुरा इलाके के खेड़ा गांव के रहने वाले नरेश पाल पुत्र रमेश चंद्र और असलम पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम तिरथली गत 31 जुलाई को ट्रैक्टर ट्राली से भूसा बेचने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ गए थे। दो अगस्त को उनकी ट्रैक्टर- ट्राली लावारिस हालत में दनकौर इलाके में खड़ी मिली थी। इस मामले पर परिजनों ने तीन अगस्त को गुमशुदगी का मामला थाना रबूपुरा में दर्ज कराया था। युवकों को तलाश करने को लेकर ग्रामीणों ने यमुना एक्सप्रेस वे को जाम भी किया था। परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जताई थी। एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच में घटना के बाबत अहम सुराग मिला। जांच में शफीक निवासी ग्राम धनपुरा, कलुआ ग्राम तिरथली और मेहंदीपुर निवासी सलमान व मुज्जमल का नाम प्रकाश में आया। अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की घटना को अंजाम देना मंजूर किया। आरोपियों की निशानदेही पर नरेश पाल और असलम का शव मेहंदीपुर और चंडीगढ़ गांव के बीच के जंगल से बरामद किए गए। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी शफीक अपने मामा के ग्राम तिरथली में ट्रैक्टर चालक के रूप में नौकरी करता था। उसकी आपराधिक गतिविधियों में संलिपतता पाए जाने पर मामा ने उसे काम से हटा दिया था। उन्होंने शफीक के स्थान पर नरेश को काम पर रख लिया था। इसको लेकर शफीक नरेश से रंजिश रखता था।

शफीक ने अपने दोस्त मुज्जमल, कलुआ और सलमान के सात मिलकर नरेश की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के तहत एक अगस्त को जब नरेश और असलम भूसा बेचकर लौट रहे थे, तो चारों उन्हें रास्ते में मिल गए। सभी बल्लभगढ़ के पास ट्रैक्टर ट्राली में सवार हो गए थे। रास्ते में सभी ने मिलकर शराब पी थी। योजना के तहत चारों ने मिलकर नरेश और असलम की हत्या कर दी और शव जंगल में फेंक दिया था।

आइपी में खाली सीटों पर होगी स्पॉट काउंसलिंग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में बची सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आइपी की वेबसाइट के माध्यम से नौ अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर पीके उपमन्यू की ओर से जारी सूचना के मुताबिक स्पॉट काउंसलिंग के दौरान दाखिला ले चुके सभी उम्मीदवार, उम्मीदवार जिन्हें कोई सीट आबंटित नहीं हुई, पहली या दूसरी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं कराने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आइपी की प्रवेश परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जैसे जेईई, कैट, क्लैट आदि पास की हैं, आवेदन कर सकते हैं।

स्पॉट काउंसलिंग के लिए आवेदन शुल्क के रूप में दो हजार रुपए अदा करने होंगे। इस काउंसलिंग में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 40 हजार रुपए शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। विश्वविद्यालय जल्द ही स्पॉट काउंसलिंग की तिथियां घोषित करेगा।

जेवर हवाई अड्डे की जमीन नागरिक उड्डयन विभाग को मिली

- प्रशासन और यीडा ने रन्हेरा गांव की 80 हेक्टेअर भूमि पर कब्जा लेकर तारकशी की
- पर्यावरण मंत्रालय की सात आपत्तियां दो महीने के भीतर करना होगा दूर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 7 अगस्त।

जेवर में प्रस्तावित नोएडा ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (नियाल) के बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे के लिए चिन्हित रन्हेरा गांव की करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लेकर नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज करा दिया है। वहीं, हवाई अड्डे को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु पवित्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईपीसी) की लगाई गई सात आपत्तियों को अगले दो महीने में दूर करना होगा।

हवाई अड्डे के लिए जिला प्रशासन को छह गांवों की कुल 1238 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना है। अभी तक 718.9 हेक्टेयर भूमि के एवज में 1765.4 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। कब्जा ली हुई जमीन पर खंबे लगाकर तारकशी का काम शुरू किया जा चुका है। हवाई अड्डे के ग्राही के चयन के लिए वैश्विक निविदा (ग्लोबल ई टेंडर) जारी हो चुका है। इसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। तकनीकी निविदा छह नवंबर और निलामी 29 नवंबर को खोली जाएगी।

उधर, जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे को लेकर पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जो सात आपत्तियां लगाई है, उनमें छह हजार पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग से लेनी होगी। इसकी एवज में नियाल 18 हजार पौधे लगाएगी। समिति ने पक्षियों एवं जीवों के संरक्षण के बारे में भी जानकारी मांगी है। जिसके लिए प्राधिकरण अधिकारी नौ अगस्त को देहरादून स्थित भारतीय वन जीव संस्थान जाएंगे और वहां के अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नियाल 14 तालाबों को वहीं गांवों के आसपास स्थानांतरित करेगा।

खबरों में शहर

आइएमए ने टाली हड़ताल

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

भारतीय चिकित्सा संघ ने बुधवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के खिलाफ आठ अगस्त को प्रस्तावित अपनी हड़ताल को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया है। संघ का कहना है कि उसने यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से मिले कुछ स्पष्टीकरण और आश्वासनों के बाद उठाया है। आइएमए ने एक बयान में कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर में हालात, पूर्वोत्तर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य हिस्सों में भीषण बाढ़ और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के मद्देनजर अपनी हड़ताल टाल दी है। डॉक्टरों के निकाय आइएमए ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से विधेयक को लेकर सभी आपत्तियां दूर हो जाने तक इसे मंजूरी नहीं देने की अपील की।

थरूर मानहानि मामले पर अदालत का फैसला सुरक्षित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला कथित तौर पर 'बिछू' कह देने वाली टिप्पणी पर मानहानि और अन्य आरोप तय करने का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने थरूर के वकील और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह अब 27 अगस्त को फैसला सुनाएंगे। बुधवार को दलीलों के दौरान थरूर के वकील ने कहा कि यह शिकायत विचार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राजीव बब्बर व्यथित पक्ष नहीं हैं क्योंकि यह टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं है। अदालत ने सात जून को इस मामले में थरूर को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

अब नहीं होगा ऑटो का रोड ट्राई टैस्ट : सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

ऑटो मीटर अपग्रेड कराने के बाद अब चालकों को रोड ट्राई टैस्ट नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। मामले में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि इन परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रालय को नई व्यवस्था के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि मीटर में नया किराया अपग्रेड करने के बाद चालकों के लिए यह टैस्ट जरूरी होता था। मीटर अपग्रेड कराने का शुल्क भी दिल्ली सरकार ने अधिकतम 400 रुपए तय किया है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

हिंदी अकादमी, दिल्ली: कथा-संगोष्ठी, त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग, मंडी हाउस, शाम छह बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : सूचना के अधिकार कानून पर चर्चा, सभागार-2, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्स), 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : सूरज घई की कला प्रदर्शनी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसायटी गैलरी, 1 रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से 8 अगस्त तक।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

वामदलों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राज्य के विभाजन के खिलाफ वामदलों ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) सहित अन्य वामदलों ने मंडी हाउस से संसद मार्ग तक पैदल मार्च किया। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के महासचिव डी राजा, भाकपा के राज्यसभा सदस्य बिनॉय विश्वम, माकपा की वरिष्ठ नेता बृंदा करात सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। राजा ने कहा कि संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर का विभाजन कर केंद्रशासित क्षेत्र घोषित करने के सरकार के फैसले से संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वामदलों के आह्वान पर बुधवार को आयोजित किए गए देशव्यापी आंदोलन के तहत दिल्ली में शांति मार्च का आयोजन किया गया।

येचुरी ने कहा कि सरकार ने तीन साल पहले कश्मीर के मामले में कोई भी फैसला करने से पहले सभी पक्षकारों से पर्याप्त विचार-विमर्श करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने विचार विमर्श की प्रक्रिया में शामिल होने वाले पक्षकारों को जेल में डाल दिया और समूचे इलाके की संचार सेवाएं ठप कर इसे देश के अन्य इलाकों से अलग कर दिया। येचुरी ने कहा कि यह न सिर्फ संघीय व्यवस्था बल्कि भारत की एकता और अखंडता के लिए चेतावनी है।

आंगनबाड़ी में चलेंगे प्ले स्कूल : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

आंगनबाड़ी केंद्रों को दिल्ली सरकार प्ले स्कूल के तौर पर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑन लाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टैब वितरित किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्य सचिव विजय देव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इन केंद्रों को खाना खाने का सेंटर के तौर पर ही जाना जाता था। अब दिल्ली सरकार इन्हें एक प्ले स्कूल की तरह विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को शुरुआत में ही अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और दिल्ली के शिक्षा स्तर को और बेहतर किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को समान शिक्षा मिले। इस दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि डेढ़ साल पहले दिल्ली सरकार ने इन केंद्रों की जांच की थी और कई खामियां पाई थी, जिन्हें दूर करके के लिए वह काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में कर्मचारियों को वेतन की भी परेशानी थी।

हेरोइन के साथ दो अफगानी नागरिक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 80 लाख रुपए कीमत के छह सौ ग्राम हेरोइन के साथ अफगानिस्तान के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है जबकि मध्य जिला पुलिस ने 15.3 किलो गांजा के साथ आंध्र प्रदेश से लाने वाला एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है।

अपराध शाखा के अधिकारी राजीव रंजन के मुताबिक अफगानिस्तान के नागरिकों मस्जिदी फीरोज और जाबीउल्ला रहिमी को एक सूचना पर गीता कॉलोनी से पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वे पहले च्यवनप्राश, हिंग मसाला और जड़ी-बूटी बेचते थे। दो साल पहले जबिउल्ला राहिमी से मिलकर अफगानिस्तान से हेरोइन लाकर यहां बेचने लगे। बीते दस सालों से वे इस धंधे में हैं। बरामद हेरोइन की कीमत 80 लाख रुपए आंकी जा रही है।

उधर मध्य जिला पुलिस ने 15.3 किलो गांजा के साथ मनीष ठाकुर नामक नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसे आइपी एस्टेट के महावत खान रोड के पास दबोचा गया। पूछताछ में पता चला कि वह आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था।

नंदनगरी में हुई हत्या में तीन गिरफ्तार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में अपने 30 साल के पड़ोसी की कथित हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुमित (29) और राज (22) नंदनगरी के रहने वाले हैं जबकि तीसरा आरोपी अजय त्यागी (31) मोदी नगर का रहने वाला है। पीड़ित की पहचान विकी के रूप में की गई है। ये तीनों सोमवार से फरार थे और उन्हें गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, तीन से चार लोगों ने विकी को उसके घर के बाहर सोमवार रात को गोली मार दी। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। विकी के खिलाफ लूट के चार मामले दर्ज थे। इनमें शाहदरा जिले में तीन और नंदनगरी का एक मामला शामिल है। पूछताछ में इन तीनों ने खुलासा किया है कि विकी का सुमित से दो दिन पहले झगड़ा हुआ था। इससे गुस्साए सुमित ने उसे मार डालने की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल चौथा व्यक्ति अभी फरार है।

पोक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ा

दक्षिणी जिला पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी शातिर बदमाश अमरीश को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पोक्सो एक्ट का आरोपी हापुड़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ फतेहपुर बेरी थाना में पोक्सो एक्ट का माामला दर्ज है। उसने एक दूधिया को गोली मारकर आठ लाख रुपए लूट लिए थे।

जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक अमरीश की तलाश के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही थी। एक सूचना पर डासना गाजियाबाद में उसके ठिकाने के बारे में पता चला। पुलिस ने टीम का गठन किया और उसकी तलाश के लिए मेरठ से लेकर गढ़ मुक्तेश्वर तक छापेमारी गई थी।

जाकिर नगर अग्निकांड : कश्मीरी महिला का शव श्रीनगर रवाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

जाकिर नगर में आग लगने के दौरान चौथी मंजिल से छलांग लगाने वाली कश्मीरी महिला सोहा का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। सुबह परिवार शव लेकर फ्लाइट से श्रीनगर रवाना हो गया। दरअसल कश्मीर के मौजूदा हालात के कारण वहां फोन और इंटरनेट सेवा बंद है। ऐसे में सोहा के करीबी को मंगलवार फ्लाइट से श्रीनगर भेजा गया था। उसने ही परिवार को हादसे की सूचना दी। जिसके बाद परिवार दिल्ली पहुंचा और सोहा का शव लेकर रवाना हो गया। उधर हादसे में मृत हुए छठे युवक की बुधवार को पहचान हो गई। मृतक की शिनाख्त वसी-उर-रहमान के रूप में हुई है। पुलिस ने बुधवार के बाकी सभी के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए।

> आग लगने के दौरान महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी

दक्षिण-पूर्वी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रहमान परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर रहता था। इसके परिवार में पत्नी साइमा व अन्य लोग हैं। हादसे में साइमा भी घायल है। रहमान का शव तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर बुरी तरह जली हुई हालत में मिला था। मंगलवार को उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। बुधवार को रिश्तेदारों ने उसकी पहचान की। वह कुछ दिनों पूर्व ही इमारत में किराए पर रहने आया था। वह निजी कंपनी में नौकरी करता था। उधर होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों को बुधवार को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में अभी भी पांच लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर बुधवार तड़के एक बार फिर हादसे वाली इमारत की पहली मंजिल पर आग लग गई।

बदमाशों ने कारोबारी पर चलाई गोली, लूटपाट में रहे विफल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

- कारोबारी 35 लाख रुपए नगद लेकर जा रहा था घर
- पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज बदमाशों की तलाश में

केशवपुरम इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मंगलवार देर रात हुई इस घटना में गोली लगने के बाद घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक कारोबारी सुधीर परिवार के साथ त्रिनगर में रहते हैं। उनका मोबाइल का कारोबार है। मंगलवार देर रात दुकान बंदकर वे कार से घर लौट रहे थे। उनके पास करीब 35 लाख रुपए थे। सुधीर जैसे ही केशवपुरम इलाके में पहुंचे तभी तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर मोटरसाइकिल कार के आगे खड़ी कर दी। इसके बाद बदमाश कारोबारी से लूटपाट की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर एक बदमाश ने पीड़ित के पैर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

जिससे डर कर बदमाशों को मौके से फरार होना पड़ा, जिससे वह लूटपाट को अंजाम नहीं दे पाए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

आगजनी घटना की रिपोर्ट हो सार्वजनिक : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के जाकिर नगर में हुई आगजनी की घटना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक हुई आगजनी घटनाओं में जो भी लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंन आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वक्त पर कोई काम नहीं करती है। इसके बाद जब भी ऐसी घटनाएं होती है, तो उन पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करती है। इस प्रकार की घटनाएं दिल्ली सरकार की असफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा आम जनता व संबंधित पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।

नोएडा में स्तनपान की होगी मोबाइल ऐप से निगरानी

- स्तनपान शिशु की मृत्यु की दर को कम करता है
- जन्म से एक घंटे के भीतर स्तनपान है जरूरी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 अगस्त।

बेहतर सेहत के लिए बच्चे को स्तनपान कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने 'बेबी फ्रेंडली मोबाइल ऐप' शुरू किया है। जिले में तैनात आशा और महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री (एएनएम) जिला अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसव केंद्र में जाकर रोजाना स्तनपान का डाटा फीड करेंगी।

जिले में गर्भवती और उनके परिजनों को बच्चे की बेहतर सेहत के लिए जन्म से एक घंटे के भीतर ही स्तनपान कराने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मां के दूध से बच्चों को मिलने वाले फायदे बताने के लिए गोष्ठी, प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। सेक्टर- 30 स्थित जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना शर्मा ने बताया कि स्तनपान व्यवहार को बढ़ावा देता है और शिशु मृत्यु दर कम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसका नाम बेबी फ्रेंडली ऐप रखा गया है। इसके जरिए जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान को बढ़ावा देना है। निगरानी की वजह से लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों में भी जागरूकता आएगी।

इसमें नर्स प्रसव केंद्र से रोजाना किसी भी एक बच्चे के स्तनपान का ब्यौरा ऐप में दर्ज करेगी। इससे यह पता चल पाएगा कि कितने बच्चों को पहले एक घंटे में स्तनपान कराया जा रहा है। इस ब्यौरे का शासन का भेजी गई मासिक रिपोर्ट से मिलान किया जाएगा। ऐप के डाटा का मासिक रिपोर्ट से मिलान नहीं होने पर शासन स्तर से कार्यवाही की जाएगी।

केरल की नन को 'जीवन शैली' की वजह से धर्मसभा से निकाला गया

कोच्चि, 7 अगस्त (भाषा)।

● नियमों का उल्लंघन करने वाली जीवनशैली अपनाने का आरोप ।

केरल में एक नन को रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत आने वाले 'द फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्मसभा' (एफसीसी) से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नन द्वारा कविता प्रकाशित करने, कार खरीदने और दुष्कर्म के आरोपी एक पूर्व बिशप के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के कारण की गई है।

अलुवा आधारित धर्मसभा की प्रमुख एन जोसफ की ओर से पांच अगस्त को आरोपी नन लूसी कलाप्पुरा को पत्र जारी किया गया। इसके मुताबिक कलाप्पुरा 'फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्मसभा' के नियमों का उल्लंघन करने वाली जीवनशैली अपनाने के मामले में संतोषजनक जवाब देने में विफल रही हैं, इसलिए उन्हें धर्म सभा से बर्खास्त किया जाता है।

पत्र में लिखा गया कि उन्हें उचित समय पर चेताया गया था, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया, इसलिए 11 मई को धर्मसभा की आम परिषद की बैठक में कलाप्पुरा को 'सर्वसम्मति' से बर्खास्त करने का फैसला किया गया है।

कलाप्पुरा को जनवरी में जारी नोटिस में एफसीसी ने ड्राइविंग लाइसेंस लेने, कार खरीदने, ऋण लेने, किताब प्रकाशित करने और वरिष्ठों की जानकारी के बिना धन व्यय करने को नियमों का उल्लंघन करार दिया था। प्रांतीय वरिष्ठ ने सिस्टर लूसी को कविता संग्रह का प्रकाशन करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि लूसी ने चर्च नेतृत्व को उस समय नाराज कर दिया था जब उन्होंने पिछले साल दुष्कर्म के आरोपी फ्रैंको मुल्लाकल के खिलाफ पांच नन की ओर से वायनाड में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

अवैध शराब की 243 पेटियां बरामद, छह आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर (राजस्थान) 7 अगस्त (भाषा)।

पुलिस ने जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में बीकानेर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को एक ट्रक से अवैध शराब की 243 पेटियां बरामद की। साथ ही ट्रक के पीछे चल रही एक कार से अवैध शराब की 11 पेटियां बरामद कीं।

थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर बीकानेर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की जांच में सेब की पेटियों के नीचे रख कर ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की 243 पेटियां और उसके पीछे चल रही एक कार से अवैध अंग्रेजी शराब की 11 पेटियां बरामद कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि बरामद की गई अवैध शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में सवार संदीप कुमार (29), राजेंद्र कुमार (29) और कार में सवार मुकेश कुमार, महेंद्र कुमार जाट, अनिल कुमार और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN: L74999MH1955PLC009593
Registered Office: 36, Devkaran Mansion, Mangaldas Road, Mumbai, Maharashtra, 400002
Tel. No. 022-21649143/ 22069609. **Website:** www.keva.co.in; **Email:** investors@keva.co.in

POST BUY-BACK PUBLIC ADVERTISEMENT

FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

This post buyback public advertisement ("Advertisement") is made pursuant to Regulation 24 (vi) of Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 ("Buyback Regulations"). This Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement published on Wednesday, June 12, 2019 ("PA"), and the Letter of Offer dated Tuesday, July 2, 2019 (the "Letter of Offer"/ "LOF") issued in connection with the Buyback of fully paid equity shares of ₹ 10/- each ("Equity Shares") of S H Kelkar and Company Limited (the "Company"), through the tender offer route using nationwide electronic trading terminal of BSE Limited ("BSE"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. The Company had announced the Buyback of up to 33,00,000 (Thirty Three Lakhs Only) fully-paid-up Equity Shares of face value ₹10/- each from all the eligible shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on record date (i.e. June 20, 2019), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at price of ₹180/- (Rupees One Hundred and Eighty Only) per equity share payable in cash, for an aggregate maximum consideration not exceeding ₹ 59,40,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crore Forty Lakhs Only) (**"Buyback Size"**). The Buyback size represents 9.96% & 7.17% of the fully paid up equity share capital & free reserves as per audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively for the financial year ended March 31, 2019 (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback).

1.2. The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/ POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments thereof, issued by SEBI.

1.3. The tendering Period for the Buyback Offer opened on Monday, July 15, 2019 and closed on Friday, July 26, 2019.

2. DETAILS OF BUY BACK

2.1. 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹180/- (Rupees One Hundred and Eighty only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buyback was ₹ 59,40,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crores Forty Lakhs Only) excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, filing fees, advisors fees, public announcement expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses etc.

2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited (**"Registrar"**), considered 8,033 applications for 3,42,09,195 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 10.36 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. 55 bids representing 6,398 shares were rejected. The details of the valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	No. of shares validly tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	5,10,280	7,729	14,64,461	286.99
General category of other shareholders	27,89,720	249	3,27,38,336	1173.53
Total	**33,00,000**	**7,978**	**3,42,02,797**	**1036.45**

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been emailed/dispatched by the Registrar to the Buyback to eligible Shareholders on Tuesday, August 06, 2019.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited / BSE Limited on Tuesday, August 06, 2019. Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction were rejected by Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to Eligible Shareholders were transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholder.

2.6. Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Escrow Account on Tuesday, August 06, 2019. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders/Concerned Seller Member by Clearing Corporations on Tuesday, August 06, 2019.

2.7. The extinguishment of 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) Equity Shares accepted under the Buyback are currently under process and shall be completed on or before Tuesday, August 13, 2019.

2.8. The Company and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post the Buyback is as under:

(Equity Shares have a face value of ₹10/- each)

Category of Shareholders	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	No. of Equity Shares	Amount (₹ in Lakhs)	No. of Equity Shares	Amount (₹ in Lakhs)
Authorised Share Capital				
- Equity	15,40,64,500	15,406.45	15,40,64,500	15,406.45
- Preference	1,19,35,500	1,193.55	1,19,35,500	1,193.55
Issued, Subscribed and Paid-up Capital	14,46,20,801	14,462.08	14,13,20,801	14,132.08

3.2. Details of the eligible shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% (of the total equity shares bought back) have been accepted under the Buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares Accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted % of Total Post buy as back Equity Shares
1	Ramesh Vinayak Vaze	5,12,000	15.52%	0.36%
2	Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool	4,18,424	12.68%	0.30%
3	Keva Constructions Pvt Ltd	3,22,618	9.78%	0.23%
4	Fidelity Investment Trust Fidelity Series Emerging Markets Fund	2,82,596	8.56%	0.20%
5	Kedar Ramesh Vaze	2,80,000	8.48%	0.20%
6	Fiam Group Trust For Employee Benefit Plans	1,33,734	4.05%	0.09%
7	Hdfc Trustee Company Ltd. A/C Hdfc Capital Builder Value Fund	1,24,933	3.79%	0.09%
8	Prabha Ramesh Vaze	99,025	3.00%	0.07%
9	KNP Industries Pte Limited	95,000	2.88%	0.07%
10	Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund	70,143	2.13%	0.05%
11	Barclays Wealth Trustees India Private Limited	67,234	2.04%	0.05%
12	Fiam Emerging Markets All Cap Fund, LP	52,911	1.60%	0.04%
13	IDFC Multi Cap Fund	46,079	1.40%	0.03%
14	Morgan Stanley India Investment Fund, Inc.	42,902	1.30%	0.03%

3.3. The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record date i.e. as on June 20, 2019) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback#	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoters	8,23,03,421	56.91	8,09,53,112	57.28
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	4,31,36,543	29.83	6,03,67,689	42.72
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	75,35,461	5.21		
Other (public, public bodies corporate etc.)	82,7,713	5.72		
Shares held by Employees Trust	33,73,663	2.33		
Total	**14,46,20,801**	**100.00**	**14,13,20,801**	**100.00**

#Subject to extinguishment of 33,00,000 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited.
(Formerly known as Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400028.
Tel: +91-22- 68266000-3; **Fax:** +91-22- 6826 6088;
E-mail: mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net;
Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi;
SEBI Registration No.: INM 000003606

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Advertisement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirm that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of Board of Directors of S H Kelkar and Company Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Ramesh Vaze	**Kedar Vaze**	**Deepti Chandratre**
Managing Director	Director	Company Secretary
(DIN: 00509751)	**(DIN: 00511325)**	

Date: August 7, 2019
Place: Mumbai

SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 66/67, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Corporate Identity Number (CIN): L24100MH1961PLC012066
Tel. No.: +91 22 6624 6200; Fax: +91 22 2202 9364;
Email: legal@savita.com; Website: www.savita.com;
Contact Person: Uday Rege, Company Secretary & Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED

This post buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereof ("Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated May 30, 2019 published on May 31, 2019 ("Public Announcement") and letter of offer dated July 5, 2019 ("Letter of Offer"). The capitalised terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. Savita Oil Technologies Limited (**"Company"**) had announced the Buyback of upto 2,51,000 (Two Lakh Fifty One Thousand) fully paid-up equity shares of the Company of face value ₹ 10/- (Rupee Ten Only) each (**"Equity Shares"**), representing upto about 1.75% of the total number of Equity Shares of the Company, from all the equity shareholders/ beneficial owners of the Company holding Equity Shares as on the record date i.e. Wednesday, June 12, 2019 (**"Record Date"**), on a proportionate basis, through the tender offer using stock exchange mechanism (**"Tender Offer"**), at a price of ₹ 1605/- (Rupees One Thousand Six Hundred and Five Only) (including premium of ₹ 1595/-) per Equity Share (**"Buyback Price"**) for an aggregate maximum amount of upto ₹ 40,28,55,000/- (Rupees Forty Crores Twenty Eight Lakhs Fifty Five Thousand Only) (**"Buyback Size"**) excluding costs such as brokerage, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., **("Transaction Cost")** (**"Buyback"**), which represents 4.74% of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the latest audited standalone balance sheet of the Company as on March 31, 2019, is within the statutory limits of 10% (Ten Percent) of paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) under the board of directors approval route as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Buyback Regulations.

1.2. The Company had adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/ POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, BSE notice no. 20170202-34 dated February 2, 2017 and BSE notice no. 20170210-16 dated February 10, 2017 and such other circulars or notifications including amendments thereof as may be issued from time to time.

1.3. The Buyback opened on Tuesday, July 16, 2019 and closed on Monday, July 29, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback were 2,51,000 Equity Shares (Two Lakh Fifty One Thousand), at a price of ₹ 1605/- (Rupees One Thousand Six Hundred and Five Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buyback was ₹ 40,28,55,000/- (Rupees Forty Crores Twenty Eight Lakhs Fifty Five Thousand Only) excluding Transaction Cost.

2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited (**"Registrar"**), considered 8,561 valid bids for 1,06,23,850 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 42.33 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
a) Reserved category for Small Shareholders	37,650	8,051	1,24,060	329.51%
b) General category for eligible equity shareholder other than the Small Shareholders	2,13,350	510	1,04,99,790	4921.39%
Total	**2,51,000**	**8,561**	**1,06,23,850**	**4232.61%**

2.4. All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the respective eligible equity shareholders, on Tuesday, August 6, 2019.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Ltd. ("ICCL") on Tuesday, August 6, 2019. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out directly to the Eligible Sellers by ICCL. If bank account details of any Eligible Sellers holding Equity Shares in dematerialized form were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India of any or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Sellers will be transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Sellers holding Equity Shares in dematerialized form.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on Tuesday, August 6, 2019. Excess demat Equity Shares or unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Seller Members/custodians by the ICCL on Tuesday, August 6, 2019.

2.7. The extinguishment of 2,51,000 Equity Shares accepted under the Buyback in dematerialized form is currently under process and shall be completed on or before Wednesday, August 14, 2019.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The present capital structure of the Company, pre Buyback i.e. as on Record Date and post Buyback, is as follows:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback		Post Buyback	
		No. of Equity Shares	Amount in ₹ Lakhs	No. of Equity Shares	Amount in ₹ Lakhs
1.	Authorized Share Capital	3,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3,000.00	3,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3,000.00
2.	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	1,43,22,083 Equity Shares of ₹ 10/- each	1,432.21	1,40,71,083* Equity Shares of ₹ 10/- each	1,407.11

**Subject to extinguishment of 2,51,000 Equity Shares.*

3.2. Details of eligible equity shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of post buyback Equity Shares
1.	Gautam N. Mehra#	1,63,101	64.98%	1.16%
2.	HDFC Trustee Company Ltd. A/C HDFC Balanced Advantage Fund	19,918	7.94%	0.14%
3.	Pari Washington India Master Fund, Ltd.	11,080	4.41%	0.08%
4.	L&T Mutual Fund Trustee Limited	6,512	2.59%	0.05%

#On behalf of Mehra Syndicate (an AOP) and Lord Krishna (Trust).

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre Buyback i.e. as on Record Date and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback		Post Buyback*	
	Number of shares	% to the existing Equity Share capital	Number of shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoter and Persons in Control	1,02,59,134	71.63	1,00,96,033	71.75
Foreign Investors (including Non-Resident Indians, FPIs and Foreign Mutual Funds)	6,74,651	4.71	39,75,050	28.25
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	16,91,577	11.81		
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	16,96,721	11.85		
Total	**1,43,22,083**	**100.00**	**1,40,71,083**	**100.00**

**Subject to extinguishment of 2,51,000 Equity Shares.*

4. MANAGER TO THE BUYBACK

ITI CAPITAL LIMITED

ITI CAPITAL LIMITED
(Formerly known as Inga Capital Limited)
Naman Midtown, 21st Floor, 'A' Wing,
Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West),
Mumbai - 400 013, Maharashtra;
Tel. No.: +91 22 4031 3489; **Fax No.:** +91 22 4031 3379;
Contact person: Mr. Mihir Pandhi/Ms. Nimisha Joshi;
Email: savita.buyback2019@iticapital.in;
Website: www.iticapital.in;
SEBI Registration No: INM000010924;
CIN: U74140MH1999PLC122493.

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Savita Oil Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Gautam N. Mehra	**Suhas M. Dixit**	**Uday Rege**
Chairman and Managing Director	**Whole Time Director and CFO**	**Company Secretary and Compliance Officer**
DIN: 0000296615	**DIN: 0002359138**	

Date : August 07, 2019
Place : Mumbai

PRESSMAN

जनसत्ता

संकट और उम्मीदें

मौजूदा वित्त वर्ष में तीसरी बार नीतिगत दरों में कटौती कर रिजर्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया है कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसीलिए एक बार फिर रेपो दर में 0.35 फीसद की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो दर को भी संशोधित किया गया है। रिजर्व बैंक ने यह कदम इस उम्मीद में उठाया है कि अब तो वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरें घटाएंगे। देखने की बात यह है कि अब बैंक कर्ज की दरें घटाते हैं या नहीं। इससे पहले भी दो बार जब केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में कटौती की थी, तब भी बैंकों से जोर देकर कर्ज सस्ता करने को कहा गया था। लेकिन ज्यादातर बैंकों ने ऐसा नहीं किया। कुछ बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं भी तो बहुत ही मामूली, जिनका ग्राहकों को लाभ नहीं के बराबर मिलता। ऐसे में घर, वाहन या अन्य जरूरतों के लिए कर्ज सस्ता नहीं हुआ और बाजार उठ नहीं पाया। अभी भी हालत यह है कि कर्ज महंगा है। जाहिर है, बैंकों की हालत संतोषजनक नहीं है, डूबते कर्ज की मार से बैंक अभी तक उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में सस्ता कर्ज देना बैंकों के लिए भी कम जोखिम भरा नहीं है। यही वजह है कि इस साल फरवरी से लेकर अब तक नीतिगत दरों में चार बार कमी किए जाने के बाद भी बैंकों ने अपनी तिजोरी नहीं खोली है।

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इन दिनों जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी के स्पष्ट संकेत हैं। सबसे बुरी हालत ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा क्षेत्र की है। ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियों ने उत्पादन बहुत ही कम कर दिया है और बड़ी संख्या में कामगारों की छुट्टी कर दी है। रियल एस्टेट भी ठंडा पड़ा है और इसकी मार सीमेंट कारखानों पर पड़ी है। छोटे कारोबार और उद्योग भी ठप हैं। ज्यादातर उद्योगों की हालत तो यह है कि कर्ज लेने की स्थिति में भी नहीं हैं। अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र मंदी की चपेट में हैं और नौकरियां जाने से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयावह रूप लेगी। मौद्रिक नीति में इन चिंताओं की झलक साफ है। इसीलिए केंद्रीय बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटा कर 6.9 फीसद कर दिया है। इस साल जून में केंद्रीय बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान सात प्रतिशत रखा था। केंद्रीय बैंक भी मान रहा है कि न तो बाजार में मांग है और न ही निवेश आया।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत को वैश्विक मंदी या बाहरी कारणों का हवाला देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मांग बनाने और उद्योगों को संकट से निकालने के लिए पहल बैंकों को ही करनी होगी और कर्ज सस्ता करने की दिशा में बढ़ना होगा। केंद्रीय बैंक की कोशिश पिछले छह-सात महीनों में मौद्रिक नीति को उदार बनाने की रही है और जनवरी से लेकर अब तक चार बार नीतिगत दरों में कटौती करके उसने ऐसा किया भी है। अप्रैल 2010 के बाद यह पहला मौका है जब नीतिगत दरें अपने सबसे कम स्तर पर हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हर दो महीने में नीतिगत दरों में कटौती के बावजूद बैंक कर्ज महंगा हो रहा है। इस साल जनवरी में बैंकों की औसत कर्ज दर 10.38 फीसद थी जो मई में बढ़ कर 10.41 फीसद हो गई। रिजर्व बैंक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह व्यावसायिक बैंकों पर कर्ज सस्ता करने के लिए दबाव बनाए। तभी नीतिगत दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा।

सियासत की सुषमा

राजनीति की दुनिया में ऐसे कम लोग होते हैं, जिन्हें अपने पक्ष के साथ-साथ विपक्ष और इस तरह सबके दिल में जगह मिल पाती है। सुषमा स्वराज ऐसे ही लोगों में से एक थीं। मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन से पहले उनके जीवन के फलक का विस्तार कुछ इस तरह का हो चुका था कि एक छोर से दूसरे छोर तक के राजनीतिकों को अब उनकी कमी शायद हर मौके पर खलेगी। सही है कि उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन राजनीति की दुनिया में शुरुआत से लेकर हाल तक उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका से लेकर निजी व्यवहार तक के मामले में जैसी जमीन बनाई, उसने उन्हें एक तरह से सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। यह बेवजह नहीं है कि अपनी पार्टी से जुड़े नेताओं, लोगों और समर्थकों के लिए फिलहाल वे एक खालीपन पैदा कर गई हैं, वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी उनकी शख्सियत को सलाम किया है। अपने विपक्ष के खेमे में अगर वे इस तरह की स्वीकार्यता अर्जित कर सकी थीं तो इसका मुख्य कारण यह था कि विचारधारा के मोर्चे पर दिखने वाले मतभेदों को उन्होंने कभी मनभेद में तब्दील नहीं होने दिया। ऐसे तमाम मौके आए जब देश में व्यापक जनता के हक में कोई फैसला आया तो उनकी खुशी से झूमती तस्वीरें दूसरे विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी दिखीं।

अपने व्यक्तित्व में इतना विस्तार उन्होंने कोई एक दिन में हासिल नहीं किया था। चौदह फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज जब उम्र के हिसाब से बालिग ही हुई थीं, तभी उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपने भावी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। सुषमा के भीतर राजनीतिक हौसले का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आपातकाल के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में पूरे उत्साह और दम से हिस्सा लिया। इस दौर के बीतने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। यानी मुख्यधारा की राजनीति में उन्होंने कदम रखा और 1977 में ही पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। महज पच्चीस साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में श्रम मंत्री बन कर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का मुकाम हासिल करने वाली सुषमा स्वराज का सफर क्रमशः आगे बढ़ता गया। अस्सी के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब वे इस पार्टी में शामिल हो गईं। विधायक से सांसद और फिर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में अगर उन्हें हर जगह सक्षम समझा गया तो यह उनकी अपनी अर्जित क्षमता ही थी। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली, उसी में उन्होंने अपनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता साबित की।

अपने राजनीतिक सफर के दौरान वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश भर में किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी बनीं। 2014 में बनी भाजपा सरकार में जब उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था, तब भी वे अपने मानवीय सरोकारों के लिए ही ज्यादा जानी गईं। जब भी किसी ने कोई मदद मांगी, उन्होंने निराश नहीं किया। प्रखर और ओजस्वी वक्ता के रूप में भाषण देते हुए उन्हें सुनना और देखना भी एक विशेष अनुभव था। बेहद प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक के साथ-साथ उन्होंने अपनी छवि इस तरह सर्वस्वीकार्य बनाई थी कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया था। इतने व्यापक फलक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपने नजदीक से लेकर दूरदराज तक में जैसी जगह बनाई थी, उसमें उनके जाने के बाद एक शून्य और मायूसी का अहसास स्वाभाविक है।

कल्पमेधा

शारीरिक क्षमता से बल प्राप्त नहीं होता। वह अदम्य इच्छा शक्ति से मिलता है।
-महात्मा गांधी

शराबबंदी से कतराती सरकारें

स्वामी अग्निवेश

अफसोस की बात यह है कि देश में कोई भी सरकार शराबबंदी पर गंभीर नहीं रही। सांसद-विधायक-मंत्री जिस संविधान की शपथ लेते हैं, उसकी धारा-47 में बहुत साफ लिखा है कि नशीले पदार्थों की रोकथाम सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान की धारा 51 (ए) में भी कहा गया है कि आजादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं, उन्हें हमें संरक्षित करना है। हमारी आजादी की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। गांधी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराबबंदी था।

आज पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस-बी, सी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश ही नहीं अमेरिका और यूरोपीय देश भी इनकी चपेट में हैं। यह बात सही है कि किसी बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता है, कई चीजों के एक होने से कोई बीमारी होती है। लेकिन कुछ मूल कारण होते हैं जो इन रोगों का कारण बनते हैं। कैंसर के मूल में जहां तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे के सेवन जैसे कारण हैं, वहीं लीवर संबंधी बीमारियों का कारण मद्यपान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के आकड़ों के अनुसार अल्कोहल की बढ़ती खपत सिर्फ रोग नहीं बल्कि कई अन्य समस्याओं का भी कारण है। शराब की वजह से दो सौ प्रकार के रोग होते हैं तो शराब पीकर वाहन चलाने से वैश्विक स्तर पर दुर्घटनाओं में मौतों की बाढ़ आ गई है। शराब के नशे में धुत होकर हत्या, बलात्कार और लूट जैसे अपराधों की घटनाओं को हम दिन-प्रतिदिन देख-सुन रहे हैं। जाहिर है, लोगों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज में अपराधों का एक बड़ा कारण तो है ही।

शराब पीने वालों में हम भारतीय भी पीछे नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आज भारत के कुल वयस्क लोगों का तीस प्रतिशत शराब पी रहा है जो 2030 तक पचास फीसद होने का अनुमान है। एक अन्य आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लीवर के दस लाख नए मरीज आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ इलाज के दम पर लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता है।

नशे को भारतीय समाज में कभी भी अच्छा नहीं माना गया। हमारे देश के महापुरुषों ने समय-समय पर शराब और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। महर्षि दयानंद से लेकर अधिकांश समाज सुधारकों ने शराब और नशे को धर्म, जीवन और समाज के लिए अनुपयोगी बताया। यहां तक कि आजादी की लड़ाई में शराबबंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक महत्त्वपूर्ण काम था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराब के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। बापू कहते थे-'अंग्रेजों का देश से जाना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण देश में पूर्ण शराबबंदी है। यदि मुझे अड़तालीस घंटे की भी हुकूमत दे दी जाए तो मैं एक साथ बिना मुआवजा दिए शराब की सारी दुकानें बंद करा दूंगा।' उनका कहना था कि शराब शरीर और आत्मा दोनों को मार देती है।

देश की आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी का जो सदस्यता फॉर्म भरा जाता था, उसमें शराब का सेवन न करने का प्रण लेना पड़ता था। उस दौरान व्यक्तिगत तौर पर कोई कांग्रेस नेता भले ही शराब का सेवन करता रहा हो, लेकिन वह शराब के पक्ष में नहीं था। सन 1956 में संसद के दोनों सदनों में पूर्ण शराबबंदी पर बहस हुई। देश में शराबबंदी की मांग को लेकर जस्टिस टेकचंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हो सकी।

आजादी के बाद से ही सरकारें शराब से मिलने वाले राजस्व पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगीं। सरकारों का लक्ष्य शराबबंदी नहीं, बल्कि शराब की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलना हो गया। आज नगर-महानगर लेकर गांव और कस्बों तक में शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल और चल रही हैं। नकली शराब पीकर मरने की खबरें भी आती रहती हैं। यानी नकली शराब का कारोबार तो और भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। कुछ महीने पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि फिर भी सरकारें चेती नहीं हैं।

अब शराबबंदी न करने के पीछे सरकारों का तर्क होता है कि इससे विकास प्रभावित होगा। लेकिन आजादी के तुरंत बाद गांधी और पटेल के राज्य गुजरात में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। गुजरात का विकास इतने वर्षों में नहीं प्रभावित हुआ। दरअसल, सरकारों में इतना नैतिक बल ही नहीं रहा कि वे शराबबंदी कर सकें। देश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही, किसी ने शराबबंदी पर गंभीरता से विचार नहीं किया। सवाल तो यह है कि यदि शराब के राजस्व से ही विकास संभव था तो गुजरात पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा?

एक आंकड़े के अनुसार हम भारतीय प्रतिवर्ष दो लाख करोड़ रुपए की शराब पी रहे हैं। यदि इस पैसे

को लोग घरेलू जरूरतों पर खर्च करें तो देश का काफी विकास हो सकता है और सामान खरीदने पर भी सरकार को भरपूर राजस्व मिलता है। विमहांस एक बड़ी संस्था है। उसने शराब से मिलने वाले राजस्व और उसके कारण होने वाले नुकसान के अध्ययन में पाया कि शराब से यदि सौ रुपए की आमदनी होती है तो शराबजन्य बीमारियों और अपराधों को रोकने पर सरकारों को एक सौ चौबीस रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में शराबबंदी से राजस्व घाटे का तर्क बेहूदा है। जबकि सच्चाई यह है कि शराब पर पाबंदी से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और काम में तेजी होगी। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। अभी तक यह देखने में नहीं आया है कि शराबबंदी के कारण बिहार का विकास प्रभावित हो रहा हो।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि इस व्यापार में सरकारों को घाटा है तो वे इसको बंद करने के पक्ष में क्यों नहीं हैं! दरअसल, शराबबंदी के पीछे सरकार का राजस्व कम होने का डर कम, सरकार में बैठी आबकारी लॉबी और उसके समर्थक विधायक-सांसदों का निजी घाटा है। यह देश की राजनीति का नैतिक पतन नहीं तो और क्या है! यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे तमाम नेता-जनप्रतिनिधि शराब व्यवसाय से जुड़े हैं और शराब माफियाओं से चंदा और मदद लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी शराब माफियाओं से चंदा मिलता है। शायद यही वजह है कि सरकारें शराबबंदी जैसा कदम उठाने का साहस नहीं कर पातीं।

अफसोस की बात यह है कि देश में कोई भी सरकार शराबबंदी पर गंभीर नहीं रही। सांसद-विधायक-मंत्री जिस संविधान की शपथ लेते हैं, उसकी धारा-47 में बहुत साफ लिखा है कि नशीले पदार्थों पर रोकथाम सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान की धारा 51 (ए) में भी कहा गया है कि आजादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं, उन्हें हमें संरक्षित करना है। हमारी आजादी की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। गांधी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराबबंदी थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि देश का नौजवान शराब पीना नहीं छोड़ेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कहा था कि गुजरात का विकास इसलिए हुआ कि वहां पूर्ण शराबबंदी है। अभी देश के अन्य राज्यों में शराबबंदी नहीं है, इसलिए शराब तस्कर गुजरात में चोरी-छिपे शराब पहुंचा रहे हैं।

कुछ दिन पहले दिल्ली में हेपेटाईटिस-बी और लीवर संबंधी बीमारियों के कारण और निदान पर एक संगोष्ठी हुई थी। उसमें यह सामने आया कि अपने देश में लीवर संबंधी पचास फीसद रोगों का प्रमुख कारण शराब का सेवन है। देश में शराब की खपत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जब तक हम शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक नहीं लगाएंगे लीवर की बीमारी और दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम नहीं कर सकते हैं। आज अगर देश के बच्चों-नौजवानों को नशे की लत से बचाना है तो सबसे पहला कदम देश में संपूर्ण शराबबंदी की घोषणा करने का उठाना होगा। शराबबंदी का कानून भी आतंकवाद निरोधी कानून जैसा सख्त होना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

यादों में जुगनू

हेमंत कुमार पारीक

हाल ही में टीवी पर किसी कार्यक्रम में झिलमिलाते जुगनू दिखे तो अचानक सजीव जुगनुओं की याद आ गई। फिर बरसात की रातें याद आने लगीं। बारिश के उन दिनों झींगुर, मेंढ़क और जुगनुओं की भरमार हुआ करती थी। मेढ़कों के टर्राते ही बारिश का आगाज होता था। तब आमतौर पर होता यही था कि जब मेंढ़क टर्राने लगते थे, तब हम अंदाजा लगा लेते थे कि अब बारिश होने वाली है। उस समय गांव क्या, शहर में भी इधर-उधर मंडराते हुए जुगनू दिख जाते थे। वे आंखों में ठहरते थे और 'पाकीजा' फिल्म के गाने का वह टुकड़ा बरबस होठों पर आ जाता था- 'जुगनू हैं जमीं पर बिखरे हुए हैं तारे...!' लेकिन टीवी में कृत्रिम तरीके से बनाए गए जुगनुओं को देख कर मन कड़वा हो गया था। कैसी बारिश है, जिसमें न तो काले-काले बादल दिखाई देते हैं और न कड़कती-चमकती बिजली दिखती है।

उस वक्त बारिश की पहली बौछार पड़ते ही मैदान में हरी-हरी घास दिखने लगती थी। मन में उमंग पैदा होती। नदियों की बाढ़ देखने को मन मचलने लगता था। सारा कुछ छोड़ कर और घरों से निकल कर सीधे मैदान की तरफ भागने का दिल करता था। हालांकि हमारा घर बाढ़ में डूबने से बच जाता था, लेकिन उसी में और बहुत सारे लोग थे, जिनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती थी। तब हम बच्चे शायद इन संवेदनाओं से अनजान थे, इसलिए गेड़ियां लिए बच्चे सड़क पर आ जाते थे। कंचे और गुफनी निकल आती थीं। ग्रामीण खेल थे बिना पैसे वाले। जुगनुओं को देख बच्चे माचिस के खाली खोखे या छोटी-छोटी शीशियां लिए इधर-उधर भागने लगते थे। जुगनू पकड़-पकड़ कर शीशियों में भरते और चमकाते, लोगों को दिखाते और मजा लूटते थे। हालांकि बचपन था। पता नहीं था कि जुगनू भी एक जीव होता है। उसे भी कष्ट होता है। अब यह सब सोच पाता हूं। मगर अब तो जुगनू कहीं दिखते ही नहीं।

इसी तरह एक कीट और होता था, जिसे 'वीर बहूटी' कहते थे। पता नहीं कहां से अचानक प्रकट होते हैं ये जीव? चूंकि इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, इसलिए फिलहाल इसे प्रकृति का चमत्कार ही कह कर काम चलाना पड़ेगा कि बारिश में ही नजर आते हैं ये कीट-पतंगे। वीर-बहूटी हरे-हरे मैदान में आहिस्ता से चलती दिखती थी। मखमली लाल रंग होता है उसका। स्पर्श करते ही उसकी सारी गतिविधियां रुक जाती थीं। काफी देर तक उसी अवस्था में पड़ी रहती वह। उसे भी शीशी में कैद कर हम एक-दूसरे को दिखाते थे, बिना यह सोचे कि उसकी जिंदगी पर हमारे मनोरंजन का क्या असर पड़ रहा होगा। दरअसल, बड़ा मोहक होता था उसका रूप और रंग। पता नहीं, इन सबको क्या हुआ? अचानक कहां चले गए सब? एक और जीव होता है, जिसे अंग्रेजी में मेंटिस (टिड्डा) कहा जाता है। उसे बच्चे 'रामजी का घोड़ा' कहते थे। बिल्कुल घोड़ेनुमा उसके हावभाव होते थे। गर्दन ऊंची उठाए घोड़े की तरह शान से दो पांवों पर दौड़ लगाने को तैयार दिखता था। उसके आकार के हिसाब से बड़ी-बड़ी आंखों वाला वह जीव हरी-हरी घास में ऐसे दुबक जाता था कि पता ही नहीं चलता था। आहट पाते ही लंबी कूद लगाते हुए कहीं दूर चला जाता था।

जुगनुओं की याद आते ही इतने सारे जीव आंखों के सामने सजीव होने लगे। पर कहां गए ये सब? क्या दूसरे कई जीव-जंतुओं की तरह इनका अस्तित्व भी खत्म होने को है? ये सब इतने छोटे हैं कि इनका खयाल तक हमें नहीं आता। पर बरसात के मौसम में ये सब चार चांद लगा देते थे। इन सबका होना बारिश के मौसम को सुहाना बना देता था। इन सबके अलावा और भी नभचारी जीव हैं जो हर मौसम में दिखते हैं। जैसे कि कौए अभी भी गांव देहात में कांव-कांव करते नजर आते हैं, पर शहरों में ऐसा लगता है कि ये वहां से पलायन कर गए हैं।

आदमी सिमट रहा है एक दायरे में। उसे केवल अपने बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन अन्य जीवों की उपस्थिति हमें कितना ऊर्जावान बनाती है! इन्हें देख कर आनंद की अनुभूति होती है। प्रकृति ने हमें इन नायाब तोहफों से नवाजा है। अब स्थिति यह है कि हमारे जीवन में बनावटीपन हावी हो रहा है। बनावटी खुशी हमारे चेहरों पर होती है। अंदर कहीं एकाकीपन भरा पड़ा है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हम कागज के फूलों का सहारा लेते हैं।

हम अक्सर कहते हैं, समय नहीं है। इतना कुछ हम करते हैं खुद को खुश रखने के लिए। लेकिन वास्तविक खुशी और आनंद धीरे-धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है, जिसके आगोश में हम अपने सारे दुख भूल जाते रहे हैं। क्या होगा, जब सब कुछ सूख जाएगा? एक अनंत मरुस्थल होगा। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे? कागज के फूल और रेत का असीमित भंडार! आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्ग हुए माता-पिता से पूछेगी- 'ये जुगनू, वीर बहूटी, मेंटिस, मेंढ़क, तितली, भौंरे, कौवे और कोयल कहां हैं!'

कश्मीर के साथ

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और धारा 370 हटाने की ऐतिहासिक पहल से घरेलू परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी भारत लाभ वाली स्थिति में आ गया है। इससे वे ताकतें सन्निपातग्रस्त दिख रही हैं जो सोचती रहीं कि विवश और विभाजित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को छू नहीं सकती। जितना सन्न पाकिस्तान-अमेरिका हैं उससे अधिक हमारे वे लोग हैं जो धमकी देते थे कि इस धारा को छुआ तो केवल हाथ नहीं बल्कि पूरा शरीर जल जाएगा। दरअसल, वर्तमान हालात में पड़ोसी देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को यह संदेश देना आवश्यक हो गया था कि जम्मू-कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग कहता ही नहीं बल्कि मानता भी है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल के अनुसार पाकिस्तान का सुन्न हो जाना इसलिए भी स्वाभाविक है कि यह कदम कश्मीर पर भारत-पाक वार्ता की रूपरेखा को पूरी तरह से बदलेगा।

गौरतलब है कि द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत ने लंबे अरसे से कश्मीर पर रक्षात्मक रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने इसके लिए जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने की हामी भरी और आतंकवाद को भी बर्दाश्त किया लेकिन अब, जब देश में कश्मीर की घरेलू स्थिति पूरी तरह से बदल गई, यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख को भी इससे अलग कर दिया गया है, तब कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत का आधार ही खत्म हो गया है। अब पाक अधिकृत कश्मीर पर दावे को छोड़ कर कोई लंबित मामला नहीं बचा। इसी पाक-अधिकृत कश्मीर में गिलगित और बल्तिस्तान भी शामिल हैं। अब कश्मीर मसले के हल के लिए किसी पिछले दरवाजे की जरूरत भी खत्म हो गई है।

विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ मोर्चों पर भारत को अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक हताशा और घरेलू दबाव में पाकिस्तान भारत के इस फैसले का अंतरराष्ट्रीयकरण जरूर करेगा। लेकिन उसके विकल्पों पर यदि गौर करें तो वह हमारे खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार कर सकता है। भारत के फैसले के विरोध की आग को भड़काने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने का काम वह कर सकता है। हालांकि यह उसके लिए जोखिम भरा कदम होगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर में यदि वह जेहाद भड़काने की कोशिश करेगा तो भारत न सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा, बल्कि आतंकी वित्तपोषण रोकने के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी उस पर दबाव बना सकता है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक सेहत और खराब हो सकती है।

पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि वह और लक्षित हमले व बालाकोट जैसी कार्रवाई सहन नहीं कर पाएगा। वह इस मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जा सकता है, मगर हमारे यहां संवैधानिक स्थिति को बदलने संबंधी भारतीय कानून में किसी तरह का बदलाव अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं रह गया है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के किसी प्रस्ताव में अनुच्छेद-370 का जिक्र नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के महीनों बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए अपनी पहल से इसे हटाने या बदलाव करने का अधिकार भी भारत को ही है।

पिछले सत्तर सालों से भारतीय नेता कश्मीर को अपना अभिन्न अंग कहते आ रहे हैं पर उपरोक्त विवादित धाराओं को संविधान से हटा कर मौजूदा केंद्र सरकार ने कश्मीरियों को भी यह कहने का गौरव प्रदान कर दिया है कि भारत उनका अभिन्न अंग है। अभी तक यह रिश्ता एकतरफा-सा था और इस राज्य के भारत में पूर्ण विलय के मार्ग में ये धाराएं अघोषित बाधा सरीखी थीं जिन्हें केंद्र सरकार ने रुग्ण अंग की तरह संविधान से काट फेंका है। निश्चित ही जम्मू-कश्मीर का शेष भारत के साथ सेतुबंध कल्याणकारी व देश को सुदृढ़ करने वाला होगा।

● *राकेश सैन, खंडाला फार्मिंग कॉलोनी, लिदड़ां, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

गीदड़ भभकी

संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। उसके प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि धारा 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, साथ ही भारत को पुलवामा जैसे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर उसके थल सेना प्रमुख जनरल बाजवा का कहना है कि वे कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दरअसल, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस तरह की बचकानी और उकसाऊ टिप्पणियों, हरकतों और करतूतों से उसी को नुकसान होगा। पाकिस्तान की समझदारी इसी में है कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उछालने की बजाय भारत का अंदरूनी मामला मान कर चुप बैठ जाए।

● *संजू कुमार, चौबारा, हनुमानगढ़, राजस्थान*

बचने की जरूरत

केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35-ए को खत्म कर इतिहास रच दिया है पर कुछ भारतीय इस खुशी के माहौल में जहर उगल रहे हैं। वे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर भड़काऊ टिप्पणियां डाल कर जाने-अनजाने पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वे कहीं कश्मीर में जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं तो कहीं कश्मीरी लड़कियों से शादी की। ऐसी प्रतिक्रियाएं कश्मीरियों को आहत करने वाली हैं और इसका फायदा पाकिस्तान आसानी से उठा सकता है। लिहाजा, हमें सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी टिप्पणियां डालने से हर हाल में बचना चाहिए।

● *आस मोहम्मद, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

अपूरणीय क्षति

भारतीय राजनीति में जब भी किसी ऐसी महिला की बात की जाएगी जिसने सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को जोड़ने का काम किया तो वे निस्संदेह सुषमा स्वराज ही होंगी। विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज ने विश्व पटल पर भारत का ऐसा प्रतिनिधित्व किया जो अब तक कुछ ही लोग कर पाए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष जिस बेहतर ढंग से हमेशा रखा उससे वे अटलजी की परंपरा को आगे ले जाती प्रतीत होती थीं। वे प्रखर वक्ता थीं। मर्यादित व गरिमामय भाषाशैली उनके आभूषण थे। विदेश मंत्री रहते हुए उनके द्वारा जिस तरह विदेश में फंसे भारतीयों को सहायता दी गई वह अतुलनीय थी। संसदीय परंपरा की ध्वजवाहक रहीं सुषमाजी का जाना भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है।

● *अर्पित शुक्ला, नई दिल्ली*

खेल कार्यक्रम

भारत बनाम वेस्ट इंडीज	8 अगस्त
आस्ट्रियन मोटरसाइकिल ग्रांप्री	11 अगस्त
विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप	8-18 अगस्त
कनाडा ओपन (टेनिस)	11 अगस्त

जन्मदिन

राजपाल सिंह	8 अगस्त	हॉकी
दीपा कर्मकार	9 अगस्त	जिमनास्ट
सौरभ घोषाल	10 अगस्त	स्क्वास
प्रभोजोत सिंह	14 अगस्त	हॉकी
लक्ष्य सेन	16 अगस्त	बैडमिंटन

ताकत नहीं तकनीक दिलाएगी ओलंपिक में स्वर्ण

संदीप भूषण

आज तकनीक ने सभी कामों को आसान बना दिया है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र का आगे बढ़ना वहां इस्तेमाल में लाई जा रही उच्च तकनीक और मशीनों पर ही निर्भर है। इसी तरह खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है। रोजाना कोई न कोई ऐसी मशीन खेल का हिस्सा बन रही है जिसके सहारे खिलाड़ी अपनी क्षमता का सही आकलन कर उसका उपयोग कर पा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्शक पाने वाला फुटबॉल हो या भारत में धर्म माना जाने वाला क्रिकेट, इनमें तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एथलेटिक्स को सिर्फ पावर गेम के तौर पर देखा जाता रहा है लेकिन इसमें भी कई उच्च तकनीक के गैजेट खेल और खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। 2020 ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय एथलीटों के लिए भी इस तरह के गैजेट उनकी क्षमता और प्रदर्शन को निखारने में लाभप्रद साबित हो सकते हैं।

दरअसल, भारतीय खेल जगत में आमतौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि हमारे एथलीट अफ्रीकी मूल के एथलीटों या दक्षिणी अमेरीकी एथलीटों का मुकाबला कर सकने में सक्षम नहीं हैं। इसके पीछे उनके यहां की भगौलिक स्थिति को जिम्मेदार बताया जाता है। यह काफी हद तक सही भी है। अफ्रीकी या अमेरिकी एथलीट काफी मजबूत होते हैं। लेकिन, दूसरी तरफ आस्ट्रेलियाई और यूरोपीय देशों के एथलीट भी हैं जो अफ्रीकी एथलीटों जितने मजबूत नहीं होते लेकिन, वे विश्व पटल पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सीधा जवाब है उच्च तकनीक का बेहतर इस्तेमाल।

नई खोज

इंटल कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहां मैराथन धावक या फर्राटा धावकों के प्रदर्शन को मापने के लिए स्टॉप वाच का उपयोग किया जाता था, वहीं अब इसकी जगह कई उम्दा गैजटों ने ले ली है। पहले उनके प्रदर्शन को सिर्फ समय और शारीरिक क्षमता के आधार पर आंका जाता था लेकिन अब कई पहलुओं पर इसकी समीक्षा होती है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर और जाइरोस्कोप जैसी मशीनें एक सेकंड के भीतर एथलीट के शरीर का हर डाटा पेश कर देती हैं। इसके साथ ही वेयरेबल सेंसर जैसी तकनीक के सहारे एथलीट के रफ्तार, ताकत, उसके शरीर के तापमान, उसके आसपास के तापमान, उसके पैर का जमीन से संपर्क और दौड़ते वक्त उसके शरीर के कंपन को मापा जा सकता है। इस तरह की छोटी-छोटी और गहरी जानकारी से धावक और उसके प्रशिक्षक दोनों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्ट्रेड नाम की एक कंपनी ने ऐसा गैजेट तैयार किया है जिसे एथलीट के जूतों में फिट किया जा सकेगा। इसे एप्पल वाच जैसे स्मार्ट यंत्रों से जोड़ा जाएगा। इस गैजेट की मदद से बगैर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए सभी डाटा को देखा जा सकेगा। मसलन, मैराथन के बीच में ही किसी एथलीट को कोच के परामर्श की जरूरत पड़ती है, तब इस यंत्र की मदद से वह कुछ जरूरी डाटा के मुताबिक एक्सपर्ट निर्णय ले सकता है और तत्काल जीत की कोशिश कर सकता है।

इसके सहारे वह देख सकता है कि उसे फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। अपने गति को वह कितना बढ़ा सकता है जिससे उसे जीत हासिल हो। गति के बढ़ाने या घटाने से उसके शरीर पर तत्काल क्या प्रभाव हो रहा है। उसकी गति और हवा की गति में कितने का अंतर है। वह हवा के विपरीत भी किस गति से दौड़कर मंजिल को पा सकता है। इस तरह की कई छोटी-छोटी जानकारियां एथलीट मैराथन के बीच में ही देख सकता है।

इससे पहले इतनी जानकारी जुटाने के लिए वीओ2 का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे प्राप्त जानकारी के आधार पर ही कोच अपने खिलाड़ियों के लिए रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन इसके उपयोग को लेकर एक अड़चन भी है। इसे लैब में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेड के आने से इस सीमा को तोड़ते हुए एथलीट वीओ2 जितनी जानकारी कहीं भी और किसी समय प्राप्त कर सकता है।

एलीट एचआरवी

इस गैजेट को 2014 में लाया गया था। इसमें एचआरवी का मतलब है, हार्ट रेट वैरिएबलिटी। मतलब, इस गैजेट के सहारे एक एथलीट के धड़कन को मापा जाता है। साथ ही उसके नर्वस सिस्टम का भी आकलन किया जाता है। इसमें दर्ज डाटा से मैच के दौरान खिलाड़ी के तनाव और उससे उबरने की पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। हाथ के अंगुलियों या फिर छाती के पास इसके सेंसर को लगाया जाता है और एक एप्लिकेशन के सहारे परिणाम को हासिल किया जाता है। इस गैजेट को बनाने वाली कंपनी के मुख्य वाणिज्य अधिकारी, विवेक मेनन ने कहा कि एथलीटों के फिटनेस और उनकी क्षमता को परखने के लिए पहले से इस्तेमाल हो रहे तरीके को और उच्च स्तर का बना रहे हैं। इससे आसानी और तेजी से बड़ी संख्या में डाटा हमारे सामने होगा।

एलीट एचआरवी की मदद से कुछ इस तरह एथलीट के शरीर का डाटा लिया जा सकता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहां मैराथन धावक या फर्राटा धावकों के प्रदर्शन को मापने के लिए स्टॉप वाच का उपयोग किया जाता था, वहीं अब इसकी जगह कई उम्दा गैजटों ने ले ली है। पहले उनके प्रदर्शन को सिर्फ समय और शारीरिक क्षमता के आधार पर आंका जाता था। अब कई पहलुओं पर इसकी समीक्षा होती है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर और जाइरोस्कोप जैसी मशीनें एक सेकंड के भीतर एथलीट के शरीर का हर डाटा पेश कर देती हैं।

दिग्गजों को हराने के लिए डिफेंस पर ध्यान लगाना होगा : सविता

जनसत्ता संवाददाता

भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान सविता का मानना है कि तोक्यो में 17 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक टैस्ट टूर्नामेंट में दिग्गज टीमों के खिलाफ डिफेंस ही उनका और टीम का बड़ा हथियार होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की नंबर दो टीम आस्ट्रेलिया, चीन और जापान को हराने के लिए उन्हें डिफेंस में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

एफआइएच रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज भारतीय महिला टीम को आस्ट्रेलिया, 11वीं रैंकिंग वाली चीन और 14वीं रैंकिंग वाली मेजबान जापान की टीम से खेलना है। सविता ने कहा कि हम पिछले साल गोल्डकोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। हालांकि हम एक गोल से हार गए थे लेकिन हमारा प्रदर्शन शानदार रहा था। टूर्नामेंट के सेमी फाइनल मैच में दुनिया की दूसरी नंबर की टीम को हर विभाग में टक्कर देना हमारे लिए बेहतरीन रहा। 29 साल की इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा कि इस बार हम पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम सभी एक इकाई के रूप में खेलेंगे और डिफेंस पर खास ध्यान होगा। हमें डिफेंस में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मुझे लगता है कि यही जीत की कुंजी साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। हम लोग लंबे समय से साथ खेल रहे हैं। हम एकदूसरे के कमजोर और मजबूत पक्ष से वाकिफ हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं और इससे एक इकाई के रूप में अच्छे प्रदर्शन में हमें मदद मिलेगी। भारतीय टीम रविवार को तोक्यो के लिए रवाना होगी। उसे 17 अगस्त को मेजबान जापान के खिलाफ पहला मैच खेलना है। हालांकि आंकड़ों की माने तो जापान का पक्ष मजबूत है। अब तक इन दो देशों के बीच खेले गए 65 मुकाबलों में से 34 में जीत जापान के पाले में गई है। भारत को 15 मैचों में जीत मिली है। पिछले दस मैचों की बात करें तो भारत ने तीन में जीत दर्ज की वहीं जापान के खाते में चार जीत गई। तीन मुकाबले ड्रॉ रहे।

साक्षात्कार

सविता ने कहा कि एफआइएच सीरीज फाइनल्स 2019 में जीत से उनका हौसला बढ़ेगा और इससे तोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम कई दिग्गज टीमों से खेले। लेकिन, छोटी-छोटी गलतियों के कारण मैच गंवानी पड़ा। खिलाड़ियों ने इस बार जमकर तैयारी की है और उनके खेल में काफी बदलाव भी आया है। इससे हमें काफी मदद मिलेगी।

कलाबाजी

पेरू के लीमा में आयोजित पैन अमेरिकी खेलों के दौरान कलात्मक जिमनास्टिक में कांस्य पदक जीतने वाली अमेरिका की इविटा ग्रिसकेनास

सौ साल में कई दिग्गज दिए ईस्ट बंगाल ने

सुरेश कौशिक

फुटबॉल का गढ़ है कोलकाता। 'मैदान' पर ढेरों क्लबों ने प्रतिभाओं को उभारा है। मगर इसकी शान और जान रहे हैं तीन फुटबॉल क्लब। खेल की दीवानगी जितनी इस शहर में है उतनी देश के किसी और हिस्से में नहीं। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की प्रतिद्वंद्विता तो जगजाहिर है। तीसरी तोप टीम मोहम्मडन स्पोर्टिंग बुरे दौर से गुजर रही है। आजकल चर्चा में है ईस्ट बंगाल जिसका यह शताब्दी वर्ष है। पहली अगस्त से जश्न शुरू हो गया है और साल भर कार्यक्रम होते रहेंगे।

किसी भी फुटबॉल क्लब के लिए सौ साल पूरे करना उपलब्धि है। जब सफर और रेकॉर्ड शानदार रहा हो तो उससे जुड़ा हर शख्स अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। टीम के इतिहास और इससे जुड़े रहे सितारा खिलाड़ियों को लेकर बहस छिड़ जाती है। कौन से खिलाड़ी महान रहे और किस दौर की टीम सर्वश्रेष्ठ थी, इसे लेकर आलोचक भी बंट जाते हैं।

जिन लोगों ने क्लब को सींचा, जिन हस्तियों ने उसे लोकप्रियता और पहचान दिलाई, उनके योगदान को याद किया जाता है। एक अगस्त को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुए शताब्दी वर्ष के पहले समारोह में उन लोगों को सम्मानित किया गया जो संस्थापक सदस्यों की अगली पीढ़ी से थे। खिलाड़ी और कोच के रूप में नाम कमाने वाले पीके बनर्जी व्हील चेयर पर आए। मोहम्मद हबीब, श्याम थापा, सुभाष भौमिक और सुरजीत सेनगुप्ता उनके साथ थे। इनके साथ-साथ मनोरंजन भराचार्य को भी सम्मानित किया गया। मशहूर पत्रकार और प्रख्यात कमेंटेटर नोवी कपाड़िया भी सम्मानित हुए। इस समारोह में कपिल देव और सौरव गांगुली भी आए। कपिल देव को भारत गौरव का सम्मान दिया गया। बाईचुंग भूटिया ने समारोह की शुरुआत की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 13 अगस्त को इस कड़ी में दूसरा समारोह होगा जिसमें ईस्ट बंगाल अपने पूर्व कप्तानों को सम्मानित करेगी।

जहां तक कोलकाता फुटबॉल का सवाल है, मोहन बागान ने तो 1911 में ही कमाल कर दिया था जब नंगे पांव खेलते हुए उसके खिलाड़ियों ने इंगलिश टीम ईस्ट यार्क्स को हराकर आइएफए शील्ड जीती थी। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने 1940 में देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप को जीतकर इतिहास रचा था। मोहम्मडन कोलकाता का ही नहीं, देश का पहला क्लब था जिसे खिताबी सफलता का श्रेय मिला।

ईस्ट बंगाल क्लब 1920 में अस्तित्व में आया। गठन की कहानी भी दिलचस्प रही। एक खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया और जोर बागान नामक टीम में टूट हो गई। टीम के उपाध्यक्ष और चेयरमैन सुरेश चंद्रा चौधरी ने स्टार हाफ बैक शैलेश बोस को टीम में शामिल करने का अनुरोध ठुकराए जाने पर सुरेश ने रमेश चंद्रा सेन, और अरबिंदो घोष के साथ मिलकर अक अगस्त 1920 को ईस्ट बंगाल क्लब की नींव रख दी।

इसके बाद रेड एंड गोल्ड जर्सी में खेलने वाली ईस्ट बंगाल ने अपनी पहचान को बनाया। आठ फेडरेशन कप खिताब, तीन आइ लीग खिताब, तीन अंतरराष्ट्रीय खिताबों सहित छोटे-बड़े 161 टूर्नामेंट जीतकर अपना जलवा दिखाया। 1924 में द्वितीय डिविजन चैंपियन बनकर ईस्ट बंगाल ने कोलकाता फर्स्ट डिविजन लीग में कदम रखा। 1942 में कोलकाता फर्स्ट डिविजन लीग चैंपियन बनकर अपना धाक जमाई। अगले साल आइएफए शील्ड जीतकर उसने अपनी पहचान को बढ़ाया। फिर 1945 में प्रतिष्ठित कोलकाता लीग और आइएफए शील्ड की दोहरी सफलता का जश्न मनाया। 1949, 50 और 51 में आइएफए शील्ड जीतकर हैट्रिक करने वाली ईस्ट बंगाल पहली टीम बनी। 1972 में एक ही सीजन में आइएफए शील्ड, कोलकाता लीग, डूरंड कप और रोवर्स कप जीतने का कमाल किया। कोलकाता लीग की सफलता में तो टीम ने एक भी गोल नहीं खाया। यह कहानी 1991 में फिर दोहराई गई। 1975 में ईस्ट बंगाल ने लगातार छठी बार कोलकाता लीग खिताब जीतने का रेकॉर्ड बनाया। इसी वर्ष ईस्ट बंगाल ने आइएफए शील्ड ने फाइनल में मोहन बागान को 5-0 से धोया। यह आज भी रेकॉर्ड है। देश के दूसरे हिस्सों से आए फुटबॉलरों ने भी ईस्ट बंगाल की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई। 1980 से विदेशी खिलाड़ियों के आने का दौर शुरू हुआ। ईरानी खिलाड़ी माजिद बकसर, जमशेद नसीरी और खोंडासई ने इस टीम के खेल में विदेशी रंग दिया। इसके बाद तो चीमा ओकेरी, चिबुजोर और दूसरे विदेशी खिलाड़ियों ने ईस्ट बंगाल को ताकत दी।

जश्न

मोहम्मद हबीब, अकबर, हरजिंदर, गुरदेव, श्याम थापा, बाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ी भी टीम की सफलता में नायक बने। 1973 की टीम जिसमें सुधीर करमरकर, गौतम सरकार, हबीब, सुभाष भौमिक और अकबर से युक्त टीम को सर्वकालीन श्रेष्ठ टीम में रखा जा सकता है। 1975 की टीम भी गजब की थी जिसमें श्याम थापा और सुरजीत सेनगुप्ता जैसे धुरंधर थे। सन 50 के दशक में वेंकटेश, धनराज, अप्पा राव और अहमद खान वाली टीम को भी कई आलोचक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्लब की सबसे बड़ी उपलब्धि 2003 में सुभाष भौमिक की कोचिंग में एशियन क्लब चैंपियनशिप जीतना है। 2010 से 2017 तक ईस्ट बंगाल ने लगातार आठ बार कलकत्ता लीग जीतकर अपना ही कीर्तिमान बेहतर बनाया था। 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर ईस्ट बंगाल रोमानिया में यूथ फेस्टिवल में खेली थी। कई विदेशी टीम को भी ईस्ट बंगाल ने विभिन्न टूर्नामेंट में फतह किया है।

ईस्ट बंगाल के शताब्दी वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते बाएं से कपिल देव, सुनील छेत्री और सौरव गांगुली।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी संसद ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

संसद ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ा कर 33 किए जाने के प्रावधान वाले महत्त्वपूर्ण विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने सत्र के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2019 बिना चर्चा के लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखते समय सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि यह विधेयक धन विधेयक है इसलिए यदि उच्च सदन इस पर चर्चा नहीं भी करेगा तो भी यह स्वतः पारित हो जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को धन विधेयक घोषित किया था। सभापति नायडू ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि दिवंगत नेता के सम्मान में हमें इस विधेयक को बिना किसी वाद-विवाद के पारित करना चाहिए।

विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि यह एक छोटा सा विधेयक है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 30 बढ़ा कर 33 करने का प्रावधान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन करती है। सदन में बनी सहमति के आधार पर सभापति ने इस विधेयक को बिना चर्चा के वापस लौटाने का प्रस्ताव किया । जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।

इससे पहले बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि वह वे चाहते हैं कि शीर्ष न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी प्रतिनिधित्व हो। उल्लेखनीय है कि अभी शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) समेत 31 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) कानून, 1956 आखिरी बार 2009 में संशोधित किया गया था। तब सीजेआइ के अलावा जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई थी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि जजों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्त्वपूर्ण मामलों में फैसला लेने के लिए आवश्यक संवैधानिक पीठों का गठन नहीं किया जा रहा है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक जून 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में 58,669 मामले लंबित थे।

नई दिल्ली में बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार के समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा।

बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाए

पेज 1 का बाकी

सरकार ने ट्वीट पर जारी बयान में बताया कि कुल पांच फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाया (डाउनग्रेड) जाएगा। दूसरा फैसला भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने का है। तीसरा फैसला भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों और व्यवस्थाओं (समझौतों) की समीक्षा करने का है। चौथा फैसला मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने और संरा सुरक्षा परिषद में उठाने का है। पांचवां फैसला 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एकजुटता जाहिर करने और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का लिया गया है।पाक प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शीर्ष सैन्य और असैन्य नेतृत्व भी शरीक हुए। एनएससी सैन्य और असैन्य शीर्ष नेतृत्व का सर्वोच्च फोरम है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की जाती है

दक्षिण एशिया में संभावित सैन्य वृद्धि को टालने के लिए तत्काल वार्ता की जरूरत : अमेरिका

वाशिंगटन, 7 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि दक्षिण एशिया में तनाव को कम करने और संभावित सैन्य वृद्धि को टालने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत की 'तत्काल आवश्यकता' है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और राजनयिक संबंधों को कमतर करने के कुछ घंटों बाद आया।

> अमेरिका ने बुधवार को उन खबरों का जोरदार खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले इसकी सूचना दी थी।

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दक्षिण एशिया के घटनाक्रम को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि तनाव को घटाने और संभावित सैन्य बढ़ोतरी को टालने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत की तत्काल जरूरत है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का स्वागत करेगा और हम ऐसे प्रयासों का समर्थन जारी रखेंगे जो तनाव घटाते हैं और भारत व पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने सभी पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने का आह्वान किया है।

उधर, अमेरिका ने बुधवार को उन खबरों का जोरदार खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले इसकी सूचना दी थी। अमेरिका और भारत में कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह बैंकॉक में मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के संबंध में अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पिओ को सूचित किया था। दक्षिण और मध्य एशिया के विदेश राज्य मंत्री ऐलिस जी वेल्स ने ट्वीट किया, प्रेस रिपोर्टिंग के विपरीत, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को रद्द करने की पहल से पूर्व अमेरिकी सरकार से परामर्श या सूचना नहीं दी।

प्रधानमंत्री मोदी देश को आज कर सकते हैं संबोधित

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश को संबोधित कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम बार देश को लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को सैटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक जीवित सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था। संसद ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाने वाला विधेयक भी पारित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के उनके औपचारिक संबोधन में कुछ ही दिन बचे हैं।

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था राम जन्मभूमि होने का सबूत

पेज 1 का बाकी

तरह का सवाल उठा था। पीठ ने पूछा-क्या बेथलेहम में ईसा मसीह के जन्म जैसा विषय दुनिया की किसी अदालत में उठा और उस पर विचार किया गया। इस पर परासरन ने कहा कि वे इसका अध्ययन करके अदालत को सूचित करेंगे। इससे पहले अदालत ने इस विवाद में सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से जानना चाहा कि विवादित स्थल पर अपना कब्जा साबित करने के लिए क्या उसके पास कोई राजस्व रिकार्ड और मौखिक साक्ष्य है। पीठ ने निर्मोही अखाड़े की ओर से वरिष्ठ वकील सुशील जैन से कहा कि चूंकि वे इस समय कब्जे के बिंदु पर हैं, इसलिए हिंदू संस्था को अपना दावा साबित करना होगा। संविधान पीठ ने कहा-अभी, हम कब्जे के मुद्दे पर हैं। आपको अपना कब्जा साबित करना है। यदि आपके पास अपने पक्ष में कोई राजस्व रिकार्ड है तो यह आपके पक्ष में बहुत अच्छा साक्ष्य है। निर्मोही अखाड़ा विभिन्न आधारों पर विवादित स्थल पर देखभाल करने और मालिकाना हक का दावा कर रहा है। अखाड़े का कहना है कि यह स्थल प्राचीन काल से ही उसके कब्जे में है और उसकी हैसियत मूर्ति के संरक्षक की है। पीठ ने जैन से सवाल किया- राजस्व रिकार्ड के अलावा आपके पास और क्या साक्ष्य है और कैसे आपने अभिभावक के अधिकार का इस्तेमाल किया। जैन ने इस तथ्य को साबित करने का प्रयास किया कि इस स्थल का कब्जा वापस हासिल करने के लिए हिंदू संस्था का वाद परिसीमा कानून के तहत वर्जित नहीं है। यह वाद परिसीमा कानून, 1908 के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। यह संपत्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत मजिस्ट्रेट के कब्जे में थी। परिसीमा की अवधि मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश के बाद शुरू होती है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई की वजह जारी है, अतः परिसीमा द्वारा वर्जित होने का कोई सवाल नहीं उठता है।

उन्होंने कहा कि हमारा वाद तो मंदिर की देखभाल के लिए संरक्षक के अधिकार की बहाली का है और इसमें प्रबंधन और मालिकाना अधिकार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 1950 में जब कब्जा लिया गया तो अभिभावक का अधिकार प्रभावित हुआ और इस अधिकार को बहाल करने का अनुरोध कब्जा वापस दिलाने के दायरे में आएगा।

सुषमा के निधन पर भाकपा ने शोक व्यक्त किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने उनके निधन से एक सम्मानित नेता खो दिया है। पार्टी की ओर से बुधवार को जारी शोक संदेश में कहा गया है कि स्वराज, उन राजनेताओं में शामिल थीं जिनका सम्मान सभी राजनीतिक दलों में था। पार्टी ने स्वराज के सेवा भाव और सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भाकपा के महासचिव डी राजा और राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वराज को पुष्पांजलि अर्पित की।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर ट्रेन की रफ्तार 160 किमी करने का प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे यात्रा में क्रमशः साढ़े तीन और पांच घंटे कम लगेंगे और रातभर में गंतव्यों तक पहुंचा जा सकेगा।

दिल्ली मुंबई मार्ग पर इस परियोजना पर लागत 6,806 करोड़ आएगी जबकि दूसरे मार्ग पर 6,685 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह परियोजना 2022-23 तक पूरी होगी। यह मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे का हिस्सा है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं लेकिन उन्हें बुधवार को सार्वजनिक किया गया। इसी बैठक में कश्मीर पर निर्णयों पर मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी। सरकार ने बयान में कहा कि इन मार्गों पर रफ्तार में वृद्धि से सेवा और सुरक्षा में सुधार आएगा व क्षमता बढ़ेगी।

पाकिस्तान ने माना, आतंक के वित्तपोषण का दोषी सईद

पेज 1 का बाकी

ने 10 लाख अमेरिकी डालर का इनाम रखा है। सईद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर से 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में पेश किया गया, जहां पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने उसके खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है।

विभाग के अधिकारी ने बताया कि उसने एटीसी में चालान पेश कर सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण का दोषी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला पंजाब के मंडी बहाउद्दीन जिले से जुड़ा है, लिहाजा अभियोजन पक्ष ने अदालत से इस मामले को गुजरात एटीसी अदालत (लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर) स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर एटीसी गुजरांवाला ने मामले को गुजरात एटीसी स्थानांतरित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुजरात एटीसी में होगी। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है।

सुषमा को नम आंखों से दी गई विदाई

पेज 1 का बाकी

आवास पर लगा हुआ था। वहां उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अन्य नेता पहुंचे थे। इसके बाद सुषमा स्वराज के पार्थिव शव को पार्टी मुख्यालय लाया गया।

पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के लिए करीब 3 घंटे पार्थिव शरीर को एक कांच के बॉक्स में रखा गया था। हजारों लोग उनकी अंतिम झलक पाने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। करीब तीन बजे उनके शव को विशेष गाड़ी के माध्यम से लोदी रोड शवदाह पर ले जाया गया। उन्हें अंतिम यात्रा पर रवाना करने से पूर्व राष्ट्रीय झंडे में लपेट कर रखा गया था। श्रद्धांजलि देने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी. नड्डा, सोनिया गांधी, भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, शरद यादव, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल व राज्यपाल जगदीश मुखी शामिल थे। उनके पार्थिव शरीर को लेकर वाहन जैसे ही सड़क पर आगे बढ़ा लोग उनके अंतिम क्षणों को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म

पेज 1 का बाकी

समय-समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। यह तब भी लागू होंगे, चाहे अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि या समझौता जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था।

नीतिगत दर 0.35 फीसद घटाई, मकान, वाहन कर्ज होगा सस्ता

पेज 1 का बाकी

0.35 फीसद की कटौती की है। रेपो दर में चार बार में अब तक कुल 1.10 फीसद की कटौती की जा चुकी है।

केंद्रीय बैंक ने 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के जून के अनुमान को भी 7.0 फीसद से घटाकर 6.9 फीसद कर दिया। आरबीआइ गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति का नरम रुख बरकरार रखने का निर्णय किया। इससे यह संकेत मिलता है कि मौद्रिक नीति में आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और कटौती हो सकती है। हालांकि, यह मुद्रास्फीति जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार फीसद के दायरे में रहने का लक्ष्य मिला हुआ है। समिति ने कहा कि पिछली बार की रेपो दर में कटौती का लाभ धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा है, नरम मुद्रास्फीति परिदृश्य नीतिगत कदम उठाने की गुंजाइश देता है ताकि उत्पादन में नकारात्मक अंतर की भरपाई की जा सके। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा- मुद्रास्फीति लक्ष्य की मिली जिम्मेदारी को निभाते हुए सकल मांग, खासकर निजी निवेश को गति देकर वृद्धि संबंधी चिंता को दूर करना इस समय उच्च प्राथमिकता में है। यह लगातार चौथी बार है जब रेपो दर में कटौती की गयी है। इससे पहले सात फरवरी 2019 को पेश मौद्रिक समीक्षा में 0.25 फीसद कटौती की गई। उसके बाद चार अप्रैल, फिर तीन जून को हुई समीक्षा में भी इतनी ही कटौती की गई। कुल मिलाकर अब रेपो दर में 1.10 फीसद की कटौती की जा चुकी है।

डोभाल ने कश्मीर का दौरा किया

पेज 1 का बाकी

से मिल रहे हैं। डोभाल ने शोपियां जिले में लोगों से कहा, 'सबकुछ ठीक हो जाएगा। आपकी /इ /इरक्षा और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।' कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा कदम उठाए गए हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं तथा सभी संचार सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। डोभाल बंद दुकानों के बाहर एक पगडंडी पर खाना खाते तथा स्थानीय लोगों से बात करते दिखे। उन्होंने सुरक्षा मुद्दे और अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले पर लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लोगों से कहा, 'आपके और उनके बच्चे यहीं रहेंगे। वे विश्व में अपना नाम करेंगे।' उन्होंने क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। उनके साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह भी थे।

राज्य में 500 से ज्यादा हिरासत में

पेज 1 का बाकी

संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि सीमापार से हुए किसी भी हमले का सख्ती से जवाब दिया जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। नई रिपोर्टों के मुताबिक, श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अस्थायी हिरासत केंद्र और बारामूला एवं गुरेज में अन्य ऐसे केंद्रों में करीब 560 कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री तथा पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को गुपकर रोड पर हरि निकास में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने बताया कि घाटी में पाबंदियों के बीच नूरबाग इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ युवा कफ्यू को लेकर भ्रम की स्थिति की वजह से इलाके में जमा हो गए जिन्हें सीआरपीएफ के कर्मियों ने भगा दिया।

आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत

पेज 1 का बाकी

ने सबसे पहले अपनी चाची को दी थी। साथ ही अदालत ने मीडिया को उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों के नाम-पता जाहिर नहीं करने का भी निर्देश दिया है। जांच एजंसी ने उतर प्रदेश की पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जांच का हवाला देते हुए एजंसी ने दावा किया कि जांच में यह भी पता चला है कि मुख्यमंत्री से गुहार के बावजूद लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 12 जनवरी 2018 को पीड़िता की मां उन्नाव की अदालत गई। इसके बाद 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता दिल्ली से उन्नाव अदालत में सुनवाई के लिए गए।

पीडिता की मां का आरोप यह भी है कि पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा गया और फिर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करवा कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप है कि पिटाई के चलते 9 अप्रैल को जेल में उनकी मौत हो गई। सीबीआइ की मानें तो पीड़िता को आरोपितों की ओर से बुरी तरह डराया गया। वहीं, पुलिस भी कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हुई।

उत्तरप्रदेश के बांगरमऊ विधानसभा से चार बार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लड़की से बलात्कार का आरोप है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद यह घटना प्रकाश में आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए इसकी रोजाना के आधार पर सुनवाई करने और 45 दिन के भीतर इसे पूरा करने का पिछले हफ्ते निर्देश दिया था।

अपनी 'मां' को यूं याद कर रहे हैं वे

पेज 1 का बाकी

अपने माता-पिता से मिला, तब मेरी एक मां थी। बाद में जब सुषमा जी से मिला तो उन्होंने गले लगाया और एक मां की तरह मुझे हिम्मत दी। तब मेरे पास दो माएं हो गईं, उनमें से एक को मैंने खो दिया।'

सऊदी अरब में फंसी जैनब बी को सुरक्षित वतन वापस लाने में सुषमा स्वराज ने काफी मदद की थी। जैनब बी वहां आया का काम करने गई थीं और उन्हें बंधक बना लिया गया था। बाद में उनके परिजनों की गुहार पर विदेश मंत्रालय ने छुड़वाया। सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुन कर जैनब भावुक हो गईं। रोते हुए उन्होंने कहा, 'मेरी मैडम ने बहुत मदद की थी। मैंने जब से यह खबर सुनी है, मुझे नींद नहीं आई। बहुत मदद की थी मैडम ने। सुषमा मैडम को जन्नत में जगह मिले।'हामिद और जैनब अकेले नहीं है, जो पूर्व विदेश मंत्री के निधन को अपना व्यक्तिगत नुकसान मान रहे हैं। पाकिस्तान से करीब चार साल पहले भारत लौटीं मूक-बधिर गीता ने इशारों में बुधवार को कहा कि उसने अपनी अभिभावक को खो दिया है। गलती से सीमा लांघने के कारण गीता करीब 20 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गई थी। गीता को करीब 20 साल पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेले बैठा हुआ पाया था। मूक-बधिर लड़की की उम्र उस समय कथित तौर पर सात या आठ साल की थी। भारत वापसी से पहले वह कराची के परमार्थ संगठन ईदी फाउंडेशन के आश्रय स्थल में रही थी। स्वराज के विशेष प्रयासों के कारण ही वह 26 अक्तूबर 2015 को स्वदेश लौट सकी थी।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के वाराणसी की कंचन भारद्वाज भी हैं। तीन साल पहले कंचन के नाइजीरिया में तैनात इंजीनियर पति संतोष भारद्वाज का समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। कंचन को उस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी और निराशा में उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया था। तब कंचन ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर व्यथा बताई थी। कंचन के ट्वीट पर जवाब देते हुए सुषमा ने ढांढस बंधाते हुए लिखा, 'बहन आप खाना नहीं छोड़ें। मैं आपके पति को छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोडूंगी।' सुषमा स्वराज ने संतोष की स्वदेश वापसी कराई।

बांग्लादेश से सोनू की भी सुरक्षित घर वापसी संभव हो पाई थी सुषमा स्वराज के कारण। एक महिला ने छह साल पहले दिल्ली के सीमापुरी से सोनू का अपहरण लिया था। वह उसे बांग्लादेश के जैसोर लेकर चली गई थी। वहां शेल्टर होम में रह रहे सोनू ने जमाल इब्नमूसा नाम के शख्स को अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बयां की तो उन्होंने सोनू को भारत पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उसकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराई।

केंद्र की मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेशों में मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सुषमा स्वराज काफी मशहूर हुई थीं। वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए जानी जाती थीं। एक बार सुषमा ने यहां तक कहा कि यदि आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो वहां भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा।

राजधानी एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़छाड़, टीटी निलंबित

पेज 1 का बाकी

ट्वीट में रेल मंत्री और अन्य अधिकारियों को भी टैग किया था।

ट्वीट के बाद रांची रेलवे के सीनियर डिवीजनल मैनेजर अविनाश ने दक्षिण पूर्व रेलवे को शिकायत भेजी थी। जिसके बाद मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा जांच की गई और आरोपियों से पूछताछ की गई। शिकायत में पीड़िता का पीएनआर नंबर और अन्य जानकारियों के आधार पर रेलवे ने संबंधित कर्मचारियों की पहचान की। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के टीटी एन.आर. सरोज को निलंबित कर दिया गया है और आरोपी वेटर-वेंडर को ड्यूटी से हटा दिया गया है।

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि शिकायतकर्ता ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है लेकिन फोन पर ब्योरा हासिल कर तत्काल कार्यवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के बाद पीड़िता की परिचित ने कहा कि वह कार्रवाई से संतुष्ट है और उसने रांची के डीआरएम से इस मुद्दे को बंद करने का अनुरोध किया है। उसने ट्वीट किया, 'हम अपने परिवार के सदस्यों की निजता के मद्देनजर इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम डीआरएम रांची और रेलवे की टीम के इस सहयोग से संतुष्ट हैं। कृपया, शिकायत अब बंद कर दीजिए।'

नई दिल्ली

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in
CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 14th day of August, 2019 at 12:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company, situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Surajkund, Faridabad, Haryana – 121001 to inter-alia consider the following business:

1. To take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019.
2. To consider appointment of Company Secretary of the Company.
3. To discuss about the Notices issued by Banks under section 13(2) of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and
4. Any other matter as may be considered appropriate by the Board.

By Order of the Board of Directors
For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
Satnam Arora
Jt. Managing Director

Place: Faridabad
Date: 06th August, 2019

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

(CIN: L70109DL1980PLC169318)
Regd Office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
Email: camaccommercial@gmail.com,
Phone No.: 7303495374, Website: www.camaccommercial.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019 to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

The above information is also available on the website of the Company www.camaccommercial.com and sent to the Calcutta Stock Exchange Ltd.

Place: New Delhi
Date: 07/08/2019

By Order of the Board
For Camac Commercial Company Limited
Sd/-
Monisha Saraf
(Director)
DIN-07503642

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 19वां के.एम. हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 (उत्तर प्रदेश)
सीआईएन : L33200UP1993PLC015474
ई-मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com
वेबसाइट : www.consofinvest.com
फोन : 011 26139256, 40322100

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लि.
हस्ता./-
कम्पनी सचिव

दिनांक : 07.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED

REGD. OFF: 913, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi - 110 019, India
Tel.: +91-11-26411931/5961
Fax: +91-11-26221521
Website: www.technofabengineering.com
Email: info@technofabengineering.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019, to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for quarter ended June 30, 2019.

This information is also available on the website of the Company viz. www.technofabengineering.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Technofab Engineering Limited

Suman Kumar Verma
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Faridabad
Date: August 07, 2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी याचिका (सीएए)-100/एनडी/2019
जो संबंधित है
कम्पनी आवेदन (सीए)-14/एनडी/2019 से
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामले में
तथा
अपोलिखित के बीच डिमर्जर की योजना के मामले में:
रैला एण्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता/डिमर्ज्ड कम्पनी
तथा
यूएमएसएल लिमिटेड
गैर-याचिकाकर्ता/परिणामी कम्पनी सं. 1
तथा
बीपी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
गैर-याचिकाकर्ता/परिणामी कम्पनी सं. 2
तथा

उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों
याचिका की सुनवाई की सूचना

रैला एण्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड (''याचिकाकर्ता/ डिमर्ज्ड कम्पनी''), यूएमएसएल लिमिटेड (''गैर-याचिकाकर्ता/ परिणामी कम्पनी सं. 1'') तथा बीपी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (''गैर-याचिकाकर्ता/परिणामी कम्पनी सं. 2'') तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के बीच डिमर्जर की योजना की स्वीकृति के लिये याचिकाकर्ता/ डिमर्ज्ड कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के साथ पठित अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत 14 जून, 2019 को एक याचिका प्रस्तुत किया गया तथा उक्त याचिका पर अब माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''माननीय अधिकरण'') के समक्ष 28 अगस्त, 2019 को सुनवाई होनी निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना नीचे वर्णित पते पर याचिकाकर्ता/ डिमर्ज्ड कम्पनी के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह याचिका की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पूर्व याचिकाकर्ता/ डिमर्ज्ड कम्पनी के अधिवक्ता के पास पहुंच जाये। यदि ऐसे व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा अपने शपथ- पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता/ डिमर्ज्ड कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा याचिका की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

हस्ता./-
डीएमडी एडवोकेट्स
याचिकाकर्ता/डिमर्ज्ड कम्पनी के अधिवक्ता
पताः 30, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013
तिथिः 08.08.2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Rakesh Marg, Ghaziabad.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.05.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता आशुतोष पाण्डेय (प्रोपराईटर) मै0. नारायण फ्रेश मार्ट, गारन्टर: रिचा पाण्डेय खाताधारक हैं को भाग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 10,56,697.14/– (रूपये दस लाख छपपन हजार छः सौ सतानवे और चौदह पैसे केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 अगस्त 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सिंडिकेट बैंक, राकेश मार्ग, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.– 10,87,183.74/– अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्री–होल्ड प्लॉट 27, जिसकी माप 71 स्क्वेयर मीटर, ब्लॉक बी संस्कृति गार्डन, खसरा नं0. 39, गांव रौजा जलालपुर, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर मालिक आशुतोष पाण्डेय। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में प्लॉट नं0. 26 **दक्षिण** में प्लॉट नं0. 28, **पूर्व** में 8 फिट चौड़ा रोड और **पश्चिम** में 18 फिट चौड़ा रोड।

दिनांक: 03.08.2019
स्थान: गाजियाबाद।

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED

(An ISO 9001: 2008 Company)
Regd. Office: 1301, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, Connaught Place New Delhi-110001
Corp Office: B-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967

NOTICE

NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Bombay Stock Exchange Limited & National Stock Exchange of India Limited, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 09th August, 2019 at the Corporate Office of the Company at B-66, Sector-60, Noida-201301 at 4:30 p.m., to inter-alia, consider and take on record the Un-Audited Financial Results for Quarter ended 30th June, 2019 of the Company.

By Order of the Board of Directors
For Bharatiya Global Infomedia Limited
Sd/-
Kumar Pushkar
Company Secretary

Date: 03.08.2019
Place: Noida

एटलस साइकिल्स (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्या.: इंडस्ट्रियल एरिया, एटलस रोड, सोनीपत–131001
CIN No: L35923HR1950PLC001614 Tel. : 0130-2200001 – 06, Fax : 0130-2200018
Email : companysecretary@atlascycles.co.in Website: www.atlasbicycles.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 व 47 के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ–साथ अनुमोदन व रिकॉर्ड में लेने के लिए 3, औरंगजेब लेन, नई दिल्ली–110011 **बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को शाम 5.00 बजे** आयोजित किया जाना **निर्धारित है।** यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.atlasbicycles.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए
एटलस साइकिल्स (हरियाणा) लिमिटेड
हस्ता./–
निखिल बिंदल
कंपनी सचिव सह अनुपालक अधिकारी

दिनांक: 07.08.2019
स्थान: सोनीपत

फार्म नं. आईएनसी 26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 की उप-धारा (5) के खंड (क) के मामले में
और
1993 रानी बाग, दिल्ली–110034 में स्थित जितेंद्र कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय के मामले में ...... अपीलकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी 26 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार कंपनी को राज्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में परिवर्तित कर सके, इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार के आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों को या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर दे सकता है अथवा अपने हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में और उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर सुपुर्द करवा सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है:
"पंजीकृत कार्यालय–1993 रानी बाग, दिल्ली–110034"

जितेंद्र कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
के लिए और उनकी ओर से
ह./–
रमेश कुमार मुटनेजा
निदेशक

तारीख: 07 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED

CIN NO.: L51909DL1984PLC019622
Regd. Office: B-4, LGF, Ashoka Niketan, New Delhi-110092, IN
Contact No.: 0120-4882133,
E-mail: info@capitaltrade.in; Website: www.capitaltrade.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th day of August, 2019 at 11.00 a.m., at B-4, LGF, Ashoka Niketan New Delhi-110092, to transact the ordinary & special businesses as set out in Notice calling the 34th Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the Members of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, 2016, the Company is also offering e-voting facility for all its members enabling them to cast their vote electronically from a place other than the venue of the meeting ("Remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the Agency to provide e-voting facility. Aliuttam Singh & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

(a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 23, 2019, only shall be entitled to cast their vote electronically or at the AGM on businesses as set out in the Notice.
(b) The dispatch of notice has been completed by the Company on August 7, 2018.
(c) The voting period commences on August 27, 2019 (09.00 am) and ends on August 29, 2019 (05.00 pm). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date.
(e) Members may note that the Notice of 34th Annual General Meeting and the Annual Report, 2019 are also available on the Company's website www.capitaltrade.in and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com and are available for inspection at registered office of the Company between 09:00 A.M. to 12:00 P.M. on any working day.

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, 2016, and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from August 24, 2019 to August 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vanshita Sharma
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 07.08.2019

फार्म नं. आईएनसी–26

(CIN U51909DL2005PTC138316)
ई मेल : ishanagarwal1@gmail.com
मोबाइल नं. : 9748820715

तिथि : 05.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

डीआईएन : 00682272

फार्म नं. आईएनसी–26

(CIN U51909DL2005PTC134331)
शॉप नम्बर 3, प्रापर्टी नम्बर 1673/13, गोविंद पुरी नई दिल्ली साउथ दिल्ली डीएल 110019
ई मेल : ishanagarwal1@gmail.com
मोबाइल नं. : 9748820715
कृते नीर सप्लाईअर प्राईवेट लिमिटेड
ह०/–
ईशान अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 00682272
पता : 11, लेक ऐवेन्यू 3 फ्लोर लेक नम्बर 87, कोलकाता 700026

तिथि : 05.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 535/2018 के मामले में
एक्सिस बैंक लि.
----**आवेदक**
बनाम
श्री आकार सिंह भाटिया एवं अन्य
---**प्रतिवादीगण**

सेवा में,
डी–1, आकार सिंह भाटिया, पुत्र अमर सिंह भाटिया एच.ए. 5ए/106, 2रा तल, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा–121001 साथ हीः एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इन्स्युरैन्स कम्पनी लि., एससीओ 3/32, सेक. 15, पार्ट 2, गुड़गाँव, हरियाणा–122001

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि **7.8.2019 को 10.30 पूर्वा.** में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 5 जुलाई, 2019 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–III, नई दिल्ली

BOI Bank of India — गाँधी नगर शाखा

X/918, चाँद मोहल्ला, दिल्ली–110031

कब्जा सूचना
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर, दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री युसुफ खान / मैसर्स युसुफ एम्पोरियम को मांग सूचना दिनांकित 08.11.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **65,01,723.66** (रुपये पैंसठ लाख एक हजार सात सौ तेईस और पैसे छियासठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 03.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. **56,34,610.66** दिनांक 02.08.2019 तक और एनपीए की तिथि अर्थात 31.10.2018 से ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(1) फ्लैट न.11, ऊपरी भूतल (सामने की तरफ का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा), भगवान नगर, नई दिल्ली–110014 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रुकसार पत्नी श्री युसुफ खान के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड/गली, दक्षिण में – फ्लेट नं. 7–ए, पूरब में – फ्लेट न. 10, पश्चिम में – फ्लेट न. 12
(2) सी–258, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली–110013 में स्थित, यह सम्पत्ति युसुफ खान के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्रवेश / गली, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति

दिनांक : 03-08-2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
धनकोट गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा–122505
फोन नं.0124-6500223

कब्जा सूचना

{ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) }
अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **01.03.2019** जारी कर **ऋणधारक श्री कपिल कुमार** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. **10,50,913/– (दस लाख पचास हजार नौ सौ और तेरह मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, **03 अगस्त, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति से संबंधित सभी अंश और खंड
भूमि और भवन – खसरा नं. 7626/121, गली नं. 3, रेलवे लाइन से सटा हुआ, आवासीय माप लगभग 440 वर्ग फीट जो जय विहार, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम में स्थित और **चौहद्दी, पूर्व में** : रेलवे लाइन **पश्चिम में** : गली नं. 3, **उत्तर में** श्री मुकेश का मकान, **दक्षिण में**: श्री चंदर देव का मकान

दिनांक: 03.08.2019
स्थान: धनकोट

एजीएम/चीफ मैनेजर एण्ड प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

APLAYA CREATIONS LIMITED

Regd. Office: UNIT NO. DPT-208, 2nd FLOOR, DLF PRIME TOWERS, F-79-80, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW DELHI, DELHI-110020 IN
Tel. +91 11 41049222, MOBILE NO. +91 8376058996
E-mail: info@aplayacreations.com
CIN: L17122DL1996PLC332121

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th August, 2019 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at Unit No. DPT-208, 2nd Floor, DLF Prime Towers, F-79-80, okhla Industrial Area, phase-1, New Delhi, DELHI-110020 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th june, 2019. Also, pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, as amended and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading (the "Code") under the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the trading window for dealing in securities of the Company had already been closed for the Insiders covered under the Code, with effect from 1st july, 2019 and same shall reopen after the end of 48 hours after the results are made public. The said notice may be assessed on the website of the relevant stock exchange.

By order of the Board
For APLAYA CREATIONS Limited
Sd/-
Amit Madaan
Director

Place: New Delhi
Date: 7th August, 2019

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

Our Company was incorporated in Bombay as a private limited company on February 26, 1934 as Mazagon Dock Private Limited with the Registrar of Companies, Bombay under the Indian Companies Act, 1913. For further details in connection with change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters-Brief history of our Company" and "History and Certain Corporate Matters-Changes in the Registered Office" on page 144 of the draft red herring prospectus dated August 5, 2019 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India. **Contact Person:** Vijayalakshmi Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 2376 2000;
E-mail: investor@mazdock.com; **Website:** https://mazagondock.in; **Corporate Identity Number:** U35100MH1934GOI002079

OUR PROMOTER: THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") THROUGH AN OFFER FOR SALE BY THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA (THE "SELLING SHAREHOLDER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•]* PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER").

SUBJECT TO RECEIPT OF NECESSARY APPROVALS FROM THE GOVERNMENT OF INDIA ("GOI"), [•] EQUITY SHARES MAY BE RESERVED FOR ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS EMPLOYEE RESERVATION PORTION (IF ANY) IS REFERRED TO AS THE NET OFFER. THE OFFER WILL COMPRISE OF A NET OFFER OF 28,012,500 EQUITY SHARES AND THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION OF [•] EQUITY SHARES. THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION, IF ANY, SHALL NOT EXCEED 5.00% OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% AND 12.50% RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND, THE RETAIL DISCOUNT, EMPLOYEE DISCOUNT, IF ANY, AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY THE SELLING SHAREHOLDER AND OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMs") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL NEWSPAPER [•] AND MUMBAI EDITION OF THE MARATHI DAILY NEWSPAPER [•] (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHEREIN THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**A discount of up to [•]% (equivalent to up to ₹[•] per Equity Share) on the Offer Price may be offered to Retail Individual Bidders ("Retail Discount") and to Eligible Employees ("Employee Discount") bidding in the Retail Portion and the Employee Reservation Portion, respectively (if any).*

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**"), read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIB Portion**"). 5.00% of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only. The remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, [•] Equity Shares shall be offered for allocation and Allotment on a proportionate basis to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, conditional upon valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders shall participate in the Offer mandatorily through the Applications Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing the details of their respective bank accounts (including UPI ID, in case of RIBs) which will be blocked by the SCSBs or the bank accounts linked with the UPI ID, as applicable, to participate in the Offer. For details, see "*Offer Procedure*" on page 334 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on August 6, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing until 5.00 p.m., by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., YES Securities (India) Limited, Axis Capital Limited, Edelweiss Financial Services Limited, IDFC Securities Limited and JM Financial Limited at www.yesinvest.in, www.axiscapital.co.in, www.edelweissfin.com, www.idfc.com/capital/index.htm and www.jmfl.com, respectively. Our Company invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with reference to disclosures made in DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company or the BRLMs at their respective addresses mentioned below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP.

Investors should note that investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares offered in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the statement of "*Risk Factors*" on page 20 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**ROC**") and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus.

The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

All capitalized terms used and not specifically defined in this Public Announcement will have the same meanings ascribed to such terms in the DRHP.

For details of the share capital and capital structure of the Company, see "*Capital Structure*" on page 63 of the DRHP. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 144 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

YES SECURITIES	AXIS CAPITAL	Edelweiss	IDFC SECURITIES	JM FINANCIAL
YES SECURITIES (INDIA) LIMITED **Address:** Unit No. 602 A, 6th Floor Tower 1 & 2, IFC Senapati Bapat Marg Elphinstone Road Mumbai- 400 013 **Telephone:** +91 22 3012 6919 **Email:** mdl.ipo@ysil.in **Website:** www.yesinvest.in **Investor Grievance ID:** igc@ysil.in **Contact Person:** Mukesh Garg/ Pratik Pednekar **SEBI Registration Number:** INM000012227	**AXIS CAPITAL LIMITED** **Address:** Axis House, 1st Floor Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai -400 025 **Telephone:** + 91 22 4325 2183 **Email:** mazagon.ipo@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Investor Grievance ID:** complaints@axiscap.in **Contact Person:** Mayuri Arya/ Akash Aggarwal **SEBI Registration Number:** INM000012029	**EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED** **Address:** 14th Floor, Edelweiss House Off. C.S.T Road, Kalina Mumbai -400 098 **Telephone:** +91 22 4009 4400 **Email:** mdl.ipo@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Investor Grievance ID:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Contact Person:** Nishita John **SEBI Registration Number:** INM0000010650	**IDFC SECURITIES LIMITED** **Address:** 6th floor, One IndiaBulls Centre, Tower 1C, 841, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg Elphinstone, Mumbai – 400 013 **Telephone:** +91 22 4202 2500 **Email:** mazagon.ipo@idfc.com **Website:** www.idfc.com/capital/index.htm **Investor Grievance ID:** Investorgrievance@idfc.com **Contact Person:** Gaurav Mittal **SEBI Registration Number:** MB/INM000011336	**JM FINANCIAL LIMITED** **Address:** 7th Floor Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai 400 025 **Telephone:** +91 22 6630 3030 **Email:** mdl.ipo@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Investor Grievance ID:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration Number:** INM000010361

REGISTRAR TO THE OFFER

ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED
Address: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055. **Telephone:** +911-4254 1954/933, +922-4348 1293; **Email:** abhijitd@alankit.com, kamalarora@alankit.com
Website: www.alankit.com; **Investor Grievance ID:** mdligr@alankit.com; **Contact Person:** Kamal Arora/ Abhijit Deb/Virender Sharma, **SEBI Registration Number:** INR000002532

For **MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai, Maharashtra
Date : August 7, 2019

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed a DRHP dated August 5, 2019, with the SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details refer to the DRHP, including the section titled "*Risk Factors*" on page 20 of the DRHP. The DRHP shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and is available on the websites of the BRLMs at www.yesinvest.in, www.axiscapital.co.in, www.edelweissfin.com, www.idfc.com/capital/index.htm and www.jmfl.com, respectively. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended ("the Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S promulgated under the Securities Act ("Regulation S")) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States and only to non-U.S. persons in reliance on Regulation S. Each purchaser of Equity Shares will be required to represent and agree, among other things, that such purchaser is a non-U.S. person acquiring the Equity Shares in an "offshore transaction" in accordance with Regulation S.

Due to various national security concerns, certain material information in relation to our business, operations and prospects has been classified as 'confidential' by the MoD and by us, for which we have filed the SEBI Exemption Application. As a result we have not (i) disclosed such information in the Draft Red Herring Prospectus; or, (ii) provided such information to the BRLMs, the legal counsels and / or other intermediaries involved in this Offer. We therefore cannot assure you that the Draft Red Herring Prospectus contains all material information as necessary for investors to make an informed investment decision and hence the Draft Red Herring Prospectus may not be complete to that extent. For further information please see "Risk Factors - As a result of national securities concerns, certain information in relation to our business and operations is classified as 'secret and confidential' for which we have filed the SEBI Exemption Application pursuant to which we have not disclosed such information in this Draft Red Herring Prospectus nor provided such information to the BRLMs, other intermediaries and advisors involved in the Offer. Consequently, this Draft Red Herring Prospectus may not contain complete information about us, our products, business, operations, customers, etc." on page 23 of the DRHP.

CONCEPT

VAIBHAV GLOBAL LIMITED

Corporate Identification Number ("CIN"): L36911RJ1989PLC004945
Registered Office: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur - 302004, Rajasthan, India | **Tel.:** +91 141-2601020 | **Fax:** +91 141-2605077
Corporate Office: E-69, EPIP, Sitapura, Jaipur - 302022, Rajasthan, India | **Tel.:** +91 141-2771948 | **Fax:** +91 141-2770510
Website: www.vaibhavglobal.com | **E-mail:** investor_relations@vaibhavglobal.com | **Contact Person:** Mr. Sushil Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF VAIBHAV GLOBAL LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

This Public Announcement ("**Public Announcement**") is being made in relation to the Buyback (as defined hereinafter) of Equity Shares (as defined hereinafter) of Vaibhav Global Limited (the "**Company**") from the open market through BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with the BSE, the "**Stock Exchanges**"), pursuant to the provisions of Regulation 16(iv)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments thereto from time to time ("**Buyback Regulations**") and contains the disclosures as specified in Schedule IV to the Buyback Regulations read with Schedule I of the Buyback Regulations.

OFFER TO BUYBACK OF EQUITY SHARES OF VAIBHAV GLOBAL LIMITED ("COMPANY") OF FACE VALUE OF ₹ 10 (RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES") FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES.

Part A – Disclosures in accordance with Schedule I of the Buyback Regulations

1 DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 Pursuant to Article 63 of the Articles of Association of the Company and the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 ("**Share Capital Rules**") and other relevant rules made thereunder, each as amended from time to time ("**Companies Act**" or the "**Act**"), and the provisions of the Buyback Regulations, and pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of the Company (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "**Board**" or the "**Board of Directors**" which expression shall include the committee constituted by the Board to exercise its power related to the buyback i.e., the Buyback Committee) at their meeting held on May 30, 2019 (the "**Board Meeting**") and the members of the Company (the "**Members**") by way of a special resolution dated August 5, 2019 through postal ballot ("**Postal Ballot**") including electronic voting, approved buyback of the Equity Shares from its shareholders/ beneficial owners excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the Company, under the open market route through the stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchanges for an aggregate amount not exceeding ₹ 72,00,00,000 (Rupees Seventy Two crores only) ("**Maximum Buyback Size**"), at a price not exceeding ₹ 1,000 (Rupees One Thousand only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "**Buyback**"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), advisors' fees, Stock Exchanges fees, brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, Goods and Services Tax, stamp duty, etc., public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses ("**Transaction Costs**").

1.2 The Maximum Buyback Size represents 14.85% of the total paid-up equity share capital and free reserves of the Company based on the standalone audited financial statements of the Company as on March 31, 2019 (being the latest available audited standalone financial statements of the Company) which is less than 15% (maximum amount allowed under the Buyback Regulations for a buy-back under open market route through stock exchange mechanism pursuant to shareholders' approval) of the total paid-up equity share capital and free reserves of the Company in accordance with the proviso to the Regulation 4(iv) of the Buyback Regulations.

1.3. At the Maximum Buyback Price and for the Maximum Buyback Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 7,20,000 Equity Shares ("**Maximum Buyback Shares**") which is 2.20% of the total number of paid-up Equity Shares of the Company as at March 31, 2019. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming full deployment of Maximum Buyback Size) but will always be subject to the Maximum Buyback Size and will also not exceed 25% of the paid-up equity share capital of the Company as at March 31, 2019.

1.4. The Maximum Buyback Price represents a premium of 47.16% and 47.08% compared to the average of the weekly high and low of the closing price of the Equity Shares of the Company on the BSE and NSE, respectively, during the two weeks preceding the date of the Board Meeting. Further, the Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buyback Size i.e. ₹ 36,00,00,000 (Rupees Thirty Six Crores only) towards the Buyback ("**Minimum Buyback Size**") and accordingly, based on the Maximum Buyback Price and Minimum Buyback Size, the Company will purchase an indicative minimum number of 3,60,000 Equity Shares in the Buyback.

1.5. The Board or the Buyback Committee, shall determine, at its discretion, the time frame for completion of the Buyback and may close the Buyback (which shall not be longer than (6) six months from the date of opening of the Buyback or such other period as may be permitted under the Companies Act and/or Buyback Regulations or as may be directed by appropriate authorities) after the Minimum Buyback Size has been reached, and irrespective of whether the Maximum Buyback Size has or has not been reached, after giving appropriate notice for such closure and after completing all formalities in this regard, in accordance with the Companies Act and/ or Buyback Regulations.

1.6. The Buyback (including Transaction Costs) will be implemented by the Company out of its securities premium account and free reserves and/or such other source as may be permitted under Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) of the Buyback Regulations and shall be from the open market route through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except 'all or none' order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

1.7. The Buyback is subject to receipt of such approvals from statutory, regulatory or governmental authorities as may become applicable and required under applicable laws and regulations.

1.8. The Buyback from the shareholders who are residents outside India including Non-Resident Indians (**NRIs**), Foreign Corporate Bodies including erstwhile Overseas Corporate Bodies (**OCBs**), Foreign Institutional Investors (**FIIs**) / Foreign Portfolio Investors (**FPIs**), and shareholders of foreign nationality, if any, etc. is subject to such approvals, if any, as may be required from the concerned authorities including approvals from Reserve Bank of India ("**RBI**") under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations framed thereunder, if any, and that such approvals shall be required to be taken by such non-resident shareholders.

1.9. A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www. vaibhavglobal.com and is expected to be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in and on the websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com during the period of the Buyback.

2. NECESSITY OF THE BUY-BACK

2.1 The Buyback is being undertaken by the Company after taking into account the strategic and operational cash requirements of the Company in the medium term and for returning surplus funds to the members in an effective and efficient manner. The Buyback is being undertaken for the following reasons:

a) The Buyback will help the Company to return surplus cash to its members;

b) The Buyback is generally expected to improve return on equity through distribution of cash and improve earnings per share by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in members' value; and

c) The Buyback gives an option to the members of the Company, either to sell their Equity Shares and receive cash or not to sell their Equity Shares and get a resultant increase in their percentage shareholding in the Company post the Buyback, without additional investment.

3. MAXIMUM AMOUNT, ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID-UP CAPITAL AND FREE RESERVES & SOURCES OF FUNDS FROM WHICH BUYBACK WOULD BE FINANCED

3.1. The Maximum Buyback Size of ₹ 72,00,00,000 (Rupees Seventy Two Crores only) (excluding Transaction Costs), represents 14.85% the total paid-up equity share capital and free reserves of the Company based on the standalone audited financial statements of the Company as on March 31, 2019 (being the latest available audited standalone financial statements of the Company).

3.2. The Buyback (including transaction costs) will be implemented by the company out of its securities premium account, free reserves and/or such other source as may be permitted under section 68(1) of the Companies Act and regulation 4(ix) of the Buyback Regulations. Borrowed funds from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

3.3. The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the face value of the Equity Shares bought back through the buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

4. MAXIMUM PRICE FOR BUYBACK OF THE EQUITY SHARES & BASIS OF ARRIVING AT THE BUYBACK PRICE

4.1. The Maximum Buyback Price of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand Only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing share price of the Equity Shares on the Stock Exchanges, during the two weeks preceding the date of the Board Meeting i.e. May 30, 2019, the net worth of the Company and potential impact of the Buyback on the earnings per share and other similar ratios of the Company. The Maximum Buyback Price excludes the Transaction Costs.

4.2. The Maximum Buyback Price represents a premium of 47.16% and 47.08% compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares on the BSE and NSE, respectively, during the two weeks preceding the date of the Board Meeting.

4.3. The Board (or a committee constituted by the Board to exercise its powers in relation to the Buyback, i.e., the Buyback Committee), shall determine, at its discretion, the time frame for completion of the Buyback and may close the Buyback (which shall not be longer than (6) six months from the date of opening of the Buyback or such other period as may be permitted under the Companies Act and/or Buyback Regulations or as may be directed by appropriate authorities) after the Minimum Buyback Size has been reached, and irrespective of whether the Maximum Buyback Size has or has not been reached, after giving appropriate notice for such closure and after completing all formalities in this regard, in accordance with the Companies Act and/ or Buyback Regulations.

4.4. The actual number of Equity Shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buyback, subject to the Maximum Buyback Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the actual total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buyback period.

4.5. Shareholders are advised that the Buyback of the Equity Shares will be carried out through the Stock Exchanges by the Company, in its sole discretion, based on, amongst other things, the prevailing market prices of the Equity Shares, which may be below the Maximum Buyback Price of ₹ 1,000 per Equity Share.

5. MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

5.1 At the Maximum Buyback Price and for the Maximum Buyback Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 7,20,000 Equity Shares which is 2.20% of the total number of paid-up Equity Shares of the Company as at March 31, 2019.

5.2. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming full deployment of Maximum Buyback Size) but will always be subject to the Maximum Buyback Size and will also not exceed 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as at March 31, 2019.

6. METHOD TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

6.1. The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except 'all or none' order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

7 DETAILS OF SHAREHOLDING OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP, THE DIRECTORS OF THE PROMOTER WHERE PROMOTER IS A COMPANY AND OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY

7.1. The aggregate shareholding of the promoters, promoter group and persons who are in control of the Company, as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. May 30, 2019 is given below:

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1	Brett Enterprises Private Limited (formerly known as Brett Plastics Private Limited)	1,83,27,764	56.05
2	Nirmal Kumar Bardiya	11,25,581	3.44
3	Deepti Agrawal	5,27,134	1.61
4	Rahim Ullah	4,12,751	1.26
5	Kusum Bardiya	1,65,205	0.50
6	Sunil Agrawal	28,140	0.09
7	Sheela Agarwal	22,450	0.07
8	Harsh Agrawal	10,000	0.03
9	Sanjeev Agrawal	8,320	0.03
10	Neil Agrawal	466	Negligible
	Total	**2,06,27,811**	**63.08**

7.2. The aggregate shareholding of the directors and Key Managerial Personnel ("**KMP**") of the Company, as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. May 30, 2019 is given below:

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1	Nirmal Kumar Bardiya – Non Executive Non Independent Director	11,25,581	3.44
2	Rahim Ullah – Whole Time Director & KMP	4,12,751	1.26
3	Sunil Agrawal – Managing Director & KMP	28,140	0.09
4	Sheela Agarwal – Non Executive Non Independent Director	22,450	0.07
	Name of KMP		
1	Puru Aggarwal – Group CFO	18,730*	0.06*
	Total	**16,07,652**	**4.92**

*Includes 8,300 equity shares are held by Puru Aggarwal in the capacity of Karta of Puru Aggarwal HUF

7.3. The aggregate shareholding of the directors of the Brett Enterprises Private Limited (formerly known as Brett Plastics Private Limited) (being the corporate promoter), as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. May 30, 2019 is given below:

Sr. No.	Name of Directors of Brett Enterprises Private Limited	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1	Deepti Agrawal	5,27,134	1.61
2	Sheela Agarwal	22,450	0.07
	Total	**5,49,584**	**1.68**

7.4. No Equity Shares or other specified securities of the Company have been purchased or sold by the Promoters, promoter group and persons who are in control of the Company on the stock exchanges or off market during a period of twelve (12) months preceding the date of the Public Announcement i.e. August 07, 2019 and the six (6) months preceding the date of the Board Meeting and as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. May 30, 2019, except for the following:

Name	Aggregate No. of Equity Shares Purchased/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price per Equity Share* (₹)	Date of Maximum Price per Equity Share	Minimum Price per Equity Share* (₹)	Date of Minimum Price per Equity Share
Brett Enterprises Private Limited	75,000	Market Purchase	716.48	January 04, 2019	626.71	February 26, 2019
	2,50,000	Market Sale	768.72	June 10, 2019	768.72	June 10, 2019
Neil Agrawal	144	Off Market sale - Interse transfer between members of promoter & promoter group	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018
Deepti Agrawal	144	Off Market Purchase - Interse transfer between members of promoter & promoter group	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018
	4,00,000	Market Sale	769.23	June 10, 2019	769.23	June 10, 2019
Nirmal Kumar Bardiya	15,91,047	Market Sale	871.41	August 02, 2019	610.48	March 01, 2019
Rahim Ullah	4,12,751	Market Sale	769.51	June 10, 2019	600.14	October 09, 2018

*Maximum & Minimum price represents net amount received on sale / paid on purchase of equity shares by promoters.

**Transfer of 144 equity shares from Neil Agrawal to Deepti Agrawal representing negligible % of paid up equity capital of the company having Nil consideration.

7.5. No Equity Shares or other specified securities of the Company have been purchased or sold by the directors of the Brett Enterprises Private Limited (being the corporate members of the promoter and promoter group of the Company) on the stock exchanges or off market during a period of twelve (12) months preceding the date of the Public Announcement i.e. August 07, 2019 and the six (6) months preceding the date of commencement of the Board Meeting and as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. May 30, 2019, except for the following:

Name	Aggregate No. of Equity Shares Purchased/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price per Equity Share* (₹)	Date of Maximum Price per Equity Share	Minimum Price per Equity Share* (₹)	Date of Minimum Price per Equity Share
Deepti Agrawal	144	Off Market Purchase – Inter-se transfer between members of promoter and promoter group	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018	Nil**	October 01 2018 & November 01, 2018
	4,00,000	Market Sale	769.23	June 10, 2019	769.23	June 10, 2019

*Transfer of 144 equity shares from Neil Agrawal to Deepti Agrawal representing negligible % of paid up equity capital of the company having Nil consideration.

8 INTENTION OF THE PROMOTERS, PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO TENDER THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK

8.1. As per Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the Buyback is being implemented by way of open market purchases through the Stock Exchanges and is not extended to the participation by promoters, promoter group and persons in control of the Company.

8.2. Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the promoters and their associates have not and will not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the Stock Exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters) from the date of passing of the special resolution by the Shareholders approving the Buyback till the date of the completion of the Buyback.

9 SUBSISTING DEFAULTS

9.1. The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debentures or interest payment thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banks.

10 CONFIRMATIONS FROM THE BOARD

10.1. The Board of Directors of the Company has confirmed during the Board Meeting held on May 30, 2019 and the date on which the results of members' resolution passed by way of Postal Ballot including electronic voting were declared ("**Postal Ballot Resolution**"), that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed an opinion that:

a) immediately following the date of the Board Meeting on May 30, 2019 and the date of the passing of Postal Ballot Resolution on August 05, 2019 approving the Buyback, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;

b) as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board Meeting on May 30, 2019 and for the year immediately following the date of Postal Ballot Resolution and having regard to the Board's intention with respect to the management of Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in the Board's view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting i.e. May 30, 2019 and the date of the passing of Postal Ballot Resolution on August 05, 2019; and

c) in forming its opinion aforesaid, the Board of Directors has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 1956, or the Companies Act or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable (including prospective and contingent liabilities).

11. REPORT BY COMPANY'S AUDITOR

The text of the report dated May 30, 2019 received from BSR & Co. LLP Chartered Accountants, the statutory auditor of the Company, addressed to the Board of Directors is reproduced below:

Quote

To,
The Board of Directors
Vaibhav Global Limited
K – 6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan – 302 004
Dear Sirs,

Statutory Auditors' Report in respect of proposed buy back of equity shares by Vaibhav Global Limited in terms of clause (xi) of Schedule I of Securities and Exchange Board of India (Buy-back of securities) Regulations, 2018 ('the SEBI Buyback Regulations').

1. This report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 07 August 2018 read with addendum to engagement letter dated 28 May 2019. The Board of Directors of Vaibhav Global Limited ('the Company') have approved a proposed buy-back of equity shares by the Company at its meeting held on 30 May 2019, in pursuance of the provisions of section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the SEBI Buyback Regulations.

2. The accompanying Statement of permissible capital payment ('Annexure A') as at 31 March 2019 (hereinafter referred to as 'the Statement') is prepared by the management, which we have initialed for identification purposes only.

Management's responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with Section 68(2)(b) of the Act and ensuring compliance with Section 68, 69 and 70 of the Act and SEBI Buyback Regulations, is the responsibility of the management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditors' responsibility

4. Pursuant to the requirements of the SEBI Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance:

i. whether we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the standalone audited financial statements for the year ended 31 March 2019;

ii. if the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the standalone audited financial statements in accordance with Section 68(2)(b) of the Act; and

iii. if the Board of Directors in their meeting dated 30 May 2019, have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from that date.

5. Our engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the above reporting. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks associated with the above reporting. Within the scope of our work, we performed the following procedures:

i. Examined that the amount of permissible capital payment (including premium) for the buy back as detailed in Annexure A is in accordance with the provisions of Section 68(2)(b) of the Act;

ii. Inquired into the state of affairs of the Company with reference to the audited financial statements;

iii. Examined the Board of Directors' declarations for the purpose of buy back and solvency of the Company; and

iv. Obtained appropriate representations from the management of the Company.

6. The standalone financial statements referred to in paragraph 4 above, which we have considered for the purpose of this report, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion vide our report dated 21 May 2019.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

9. Based on inquiries conducted and our examination as above, we report that:

i. We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its standalone audited financial statements as at and for the year ended 31 March 2019;

ii. The amount of permissible capital payment (including premium) towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith is in our view properly determined in accordance with Section 68(2)(b) of the Act; and

iii. The Board of Directors of the Company, in their meeting held on 30 May 2019 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution dated 30 May 2019.

Restriction on Use

10. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed Buyback of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI Buyback Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include in the notice of postal ballot, public announcement, draft letter of offer, letter of offer and other documents pertaining to Buyback to be sent to the shareholders of the Company or filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, public shareholders and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (c) for providing to the managers, each for the purpose of extinguishment of equity shares and may not be suitable for any other purpose.

For B S R & Co. LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 101248W/W-100022
Sd/-
Rajiv Goyal
Partner
Membership No. 094549
UDIN: 19094549AAAAAQ1425

Place: Gurugram
Dated: 30 May 2019

Annexure A - Statement of Permissible Capital Payment

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with Section 68 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018

Particulars	Amount (₹ in lacs)
Paid up Equity Capital as at 31 March 2019 (A)	3,266.24
Free Reserves as at 31 March 2019	
- Retained Earnings	10,709.22
- General Reserve	1,296.47
- Securities Premium reserve	33,221.23
Total Free Reserves (B)	45,226.92
Total paid up Equity capital and free reserves (A+B)	48,493.16
Maximum amount permissible for buyback under Section 68 of the Act, i.e. 25% of the total paid up capital and free reserves	12,123.29
Maximum amount permissible for buyback under the proviso to Regulation 4 (iv) of the Buyback Regulations, i.e. 15% of the total paid up capital and free reserves	7273.97
Buyback proposed by Board of Directors	7200.00
Buyback as a percentage of total paid-up equity capital and free reserves	14.85

Note:

1. The above calculations of the paid-up Equity Capital and Free Reserves as at 31 March 2019 for Buyback of equity shares is based on the amounts appearing in the standalone audited financial statements of the Company for the year ended 31 March 2019. These financial statements of the Company are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Act.
2. As per Section 68, free reserves include securities premium for the purposes of the aforesaid computation.
3. Unrealized gain on investments, impact of recognition of financial assets/ liabilities at amortized cost and deferred tax impact on such adjustments has not been considered while computing free reserves.
4. The aforesaid statement has been prepared in connection with the proposed buy-back of equity shares at a price not exceeding ₹ 1,000 per share aggregating upto ₹ 7200.00 lacs (maximum buy back size). The shares proposed for buy-back have been determined in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 including Section 68 and the Buyback Regulations.
5. The Board of Directors have in their meeting dated 30 May 2019, formed opinion that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date.

For Vaibhav Global Limited
Sd/-
Puru Aggarwal
Group CFO
30 May 2019

Unquote

Part B – Disclosures in accordance with Schedule IV of the Buyback Regulations

1. DATE OF BOARD AND SHAREHOLDERS' APPROVAL FOR THE BUYBACK

1.1. The Buyback has been approved by the Board of Directors of the Company in the Board Meeting held on May 30, 2019. Further, the Shareholders has approved the Buyback by way of passing special resolution through Postal Ballot including electronic voting on August 05, 2019 and the result of the Shareholders' resolution was declared on August 07, 2019.

2. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUYBACK

2.1. At the Maximum Buyback Price and for the Maximum Buyback Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 7,20,000 Equity Shares i.e. the Maximum Buyback Shares.

2.2. The actual number of Equity Shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buyback, subject to the Maximum Buyback Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the actual total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the buyback period. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of equity shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming full deployment of Maximum Buyback Size) but will always be subject to the Maximum Buyback Size and will also be not more than 25% of the paid-up Equity Share Capital of the Company as on March 31, 2019.

2.3. Unless otherwise permitted under applicable law, the Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buyback Size i.e. the Minimum Buyback Size towards the Buyback and accordingly, based on the Maximum Buyback Price and Minimum Buyback Size, the Company will purchase an indicative minimum of 3,60,000 Equity Shares in the Buyback.

2.4. The Buyback (including Transaction Costs) will be implemented by the Company out of its securities premium account and free reserves and/or such other source as may be permitted under Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) of the Buyback Regulations and shall be from the open market route through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except 'all or none' order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

2.5. The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the Capital Redemption Reserve Account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

2.6. Borrowed funds from banks and financial institutions will not be used for the Buyback.

3 PROPOSED TIMETABLE

Activity	Date
Date of Board resolution approving Buyback	May 30, 2019
Date of declaration of results of postal ballot	August 07, 2019
Date of publication of the Public Announcement	August 08, 2019
Date of opening of the Buyback	August 20, 2019
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialised mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges
Extinguishment of Demat Shares	Equity Shares bought back in dematerialised form will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, as amended and the bye-laws framed thereunder.
Last date for the completion of the Buyback	Earlier of: a. February 19, 2020 (i.e. six months from the date of the commencement of the Buyback); or b. when the Company completes the Buyback by deploying the amount equivalent to the Maximum Buyback Size; or c. at such earlier date as may be determined by the Board or Buyback Committee, after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buyback Size (even if the Maximum Buyback Size has not been reached or the Maximum Buyback Shares have not been bought back), provided, that all payment obligations relating to the Buyback shall be completed before the last date for the Buyback.

4 PROCESS AND METHODOLOGY FOR BUYBACK

4.1. The Buyback is open to beneficial owners holding Equity Shares in dematerialized shares ("**Demat Shares**"). Promoters, Promoter Group and Persons in Control of the Company shall not participate in the Buyback.

4.2. In terms of Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository.

4.3. Further, as required under the Companies Act and Buyback Regulations, the Company shall not purchase locked-in or non-transferable Equity Shares, in the Buyback or until the pendency of such lock-in, or until the time such Equity Shares become freely transferable, as applicable. The Company has no partly paid shares or Equity Shares with call in arrears.

4.4. The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

4.5. For the implementation of the Buyback, the Company has appointed YES Securities (India) Limited as the registered broker ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Continue...

YES SECURITIES

YES Securities (India) Limited
Unit No. 602 A, 6th Floor, Tower 1&2, Indiabulls Finance Centre (IFC),
Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400013;
Tel: +91 022-33477017;
Contact Person: Mr. Rahul Kamble; SEBI Registration No.: INZ000185632;
Website: www.yesinvest.in; Email: rahul.kamble@ysil.in;
Corporate Identification No.: U74992MH2013PLC240971

4.6. The Equity Shares are traded under the symbol code: VAIBHAVGBL at NSE and scrip code: 532156 at BSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE884A01019.

4.7. The Company shall, commencing from August 20, 2019 (i.e. the date of opening of the Buyback), place "buy" orders on the Stock Exchanges on the normal trading segment to Buyback its Equity Shares through the Company's Broker, in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buyback Price of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand Only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buyback of Equity Shares, the identity of the Company as purchaser shall appear on the electronic screen of the Stock Exchanges.

Procedure for Buyback of Demat Shares:

4.8. Beneficial owners holding demat shares who desire to sell their Equity Shares in the Buyback, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buyback of the Equity Shares. The Company shall place a "buy" order for Buyback of demat shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buyback price for that beneficial owner. The execution of the order and issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company's Broker and the shareholder/beneficial owner's broker, as applicable, in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI. Orders for Equity Shares can be placed on the trading days of the Stock Exchanges. The Company is under no obligation to place "buy" order on a daily basis.

4.9. It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buyback and that the same would depend on the price at which the trade with that particular shareholder/ beneficial owner was executed.

Procedure for Buyback of Physical Shares:

4.10. As per the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with SEBI notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018 and the press release dated March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Hence, public shareholders of the Company desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

4.11. Shareholders are requested to get in touch with YES Securities (India) Limited (**"Manager to the Buyback"**) or the Company's Broker or the Investor Service Centre of the Company or the Registrar to the Buyback to clarify any doubts in the process.

4.12. Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buyback Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buyback any additional Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buyback Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buyback, to the extent permissible by law. The Company is under no obligation to utilize the entire amount of Maximum Buyback Size or buy all the Maximum Buyback Shares. However, if the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the escrow account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), may be liable to be forfeited in accordance with Regulation 20 (viii) of the Buyback Regulations and the amount forfeited shall be deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

4.13. The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buyback Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www. vaibhavglobal.com) on a daily basis.

5. METHOD OF SETTLEMENT

5.1. **Settlement of Demat Shares:** The Company will pay consideration for the Buyback to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the respective Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account styled **"Vaibhav Global Limited"** with the Karvy Stock Broking Limited (**"Buyback Demat Account"**). Demat shares bought back by the Company will be transferred into the Buyback Demat Account by the Company's Broker, on receipt of such demat shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding demat shares would be required to transfer the number of such demat shares sold to the Company pursuant to the Buyback, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective Depository Participant (**"DP"**) for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company.

5.2. **Extinguishment of Demat Shares:** The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018, as amended and its bye-laws framed thereunder, in the manner specified in the Buyback Regulations and the Companies Act. The Equity Shares lying in credit in the Buyback Demat Account will be extinguished within 15 (fifteen) days of acceptance of the Demat Shares, provided that the Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within 7 (seven) days from the expiry of the Buyback period.

5.3. Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash.

6 BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

6.1 The Company is a public limited company incorporated under the laws of India having its registered office at K- 6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur – 302004, Rajasthan, India; Tel.: +91 141-2601020, Fax: +91 141-2605077. The Company was incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 as public limited Company on May 8, 1989 and a certificate of incorporation with the name Vaibhav Gems Limited was issued by the Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur. The Company has received the Commencement of Business Certificate on January 10, 1990, issued by the Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur. Subsequently, the name of the Company was changed from Vaibhav Gems Limited to Vaibhav Global Limited vide fresh certificate of incorporation consequent to change of name dated November 29, 2012 issued by the Registrar of Companies, Rajasthan.

6.2. The Corporate Identification Number of the Company (CIN) is L36911RJ1989PLC004945. The equity shares of the Company got listed on BSE on May 26, 1997 and on NSE on April 05, 2004.

6.3. Vaibhav Global Limited is an electronic retailer of fashion jewellery, accessories and lifestyle products.

7. FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

7.1. The financial information on the basis of audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017 is provided hereunder:

(₹ in Lakh)

Particulars	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Revenue from operations	1,81,397.68	1,57,065.82	1,43,894.45
Other Income	1,417.19	1,046.57	1,569.76
Total Income	**1,82,814.87**	**1,58,112.39**	**1,45,464.21**
Expenses (excluding Finance Cost, Depreciation & Amortisation Expenses)	1,61,072.64	1,42,222.70	1,35,273.27
Finance Cost	465.75	429.60	640.61
Depreciation & Amortisation Expenses	2,460.74	2,545.14	2,941.31
Total Expenses	**1,63,999.13**	**1,45,197.44**	**1,38,855.19**
Profit Before Tax	**18,815.74**	**12,914.95**	**6,609.02**
Total Tax expense	3,398.71	1,668.31	151.15
Profit for the period	**15,417.03**	**11,246.64**	**6457.87**
Other Comprehensive Income	541.02	(179.74)	(1194.81)
Total Comprehensive Income for the / year	**15,958.05**	**11,066.90**	**5,263.06**
Paid-up Equity Share capital	3,266.24	3,258.44	3,253.48
Other Equity / Reserves & Surplus	66,401.36	51,756.82	40,185.69
Net Worth	**69,667.60**	**55,015.26**	**43,439.17**
Total Debt	6639.56	6657.82	8272.04

Source: The financial information for the financial years ended on March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 have been extracted from the audited financial statements filed with the stock exchanges for such respective periods.

Key Ratios	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Basic Earnings per share (₹)	47.27	34.55	19.85
Diluted Earnings per share (₹)	45.84	33.60	19.34
Debt / Equity Ratio (times)	0.10	0.12	0.19
Book Value per share (₹)	213.00	168.84	133.40
Return on Net Worth (%)	22.13	20.44	14.87

Key Ratios	Basis
Basic Earnings per share (₹)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of Shares outstanding during the year
Diluted Earnings per share (₹)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of shares outstanding during the year adjusted with dilutive potential equity shares
Book value per share (₹)	Net Worth / No. of equity shares subscribed
Debt-Equity Ratio	Total Debt / Net Worth
Return on Net Worth (%)	Net Profit After Tax / Net Worth excluding Revaluation Reserves

7.2 The financial information on the basis of audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017 is provided hereunder:

(₹ in Lakh)

Particulars	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Revenue from operations	48039.72	47,001.86	48,183.95
Other Income	873.07	446.76	282.96
Total Income	**48,912.79**	**47,448.62**	**48,466.91**
Expenses (excluding Finance Cost, Depreciation & Amortisation Expenses)	44,058.32	43,128.26	44,335.56
Finance Cost	391.28	313.03	483.24
Depreciation & Amortisation Expenses	382.93	374.60	833.82
Total Expenses	**44,832.53**	**43,815.89**	**45,652.62**
Profit Before Tax	**4,080.26**	**3,632.73**	**2,814.29**
Total Tax expense	783.55	553.44	582.06
Profit for the period	**3,296.71**	**3,079.29**	**2,232.23**
Other Comprehensive Income	38.16	3.36	-3.92
Total Comprehensive Income for the year	**3,334.87**	**3,082.65**	**2,228.31**
Paid-up Equity Share capital	3,266.24	3,258.44	3,253.48
Other Equity / Reserves & Surplus	53,133.21	51,111.90	47,487.52
Net Worth	**56,399.45**	**54,370.34**	**50,741.00**
Total Debt	6639.55	6657.82	7237.33

Source: The financial information for the financial years ended on March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 have been extracted from the audited financial statements filed with the stock exchanges for such respective periods.

Key Ratios	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Basic Earnings per share (₹)	10.11	9.46	6.86
Diluted Earnings per share (₹)	9.80	9.20	6.69
Debt / Equity Ratio (times)	0.12	0.12	0.14
Book Value per share (₹)	172.67	166.86	155.96
Return on Net Worth (%)	5.85	5.66	4.40

Key Ratios	Basis
Basic Earnings per share (₹)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of Shares outstanding during the year
Diluted Earnings per share (₹)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of shares outstanding during the year adjusted with dilutive potential equity shares
Book value per share (₹)	Net Worth / No. of equity shares subscribed
Debt-Equity Ratio	Total Debt / Net Worth
Return on Net Worth (%)	Net Profit After Tax / Net Worth excluding Revaluation Reserves

8 DETAILS OF ESCROW ACCOUNT

8.1. In accordance with Regulation 20 of the Buyback Regulations and towards security for performance of its obligations under the Buyback Regulations, the Company has entered into an escrow agreement dated July 19, 2019 (**"Escrow Agreement"**) with the Manager to the Buyback and YES Bank Limited (**"Escrow Bank"**) pursuant to which the Company has opened an escrow account titled **"VAIBHAV GLOBAL LIMITED – BUYBACK - 2019"** (the **"Escrow Account"**). The Company has authorized the Manager to the Buyback to operate the Escrow Account in compliance with the Buyback Regulations and the Escrow Agreement. The Company has deposited in the Escrow Account cash aggregating to ₹ 18,00,00,000 (Rupees Eighteen crores only), being 25% of the Maximum Buyback Size (**"Escrow Amount"**), in accordance with the Buyback Regulations.

8.2. The funds in the Escrow Account may be released for making payment to the shareholders subject to at least 2.5% of the Maximum Buyback Size remaining in the Escrow Account at all points in time.

8.3. If the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), may be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

8.4. The balance lying to the credit of the Escrow Account will be released to the Company on completion of all obligations in accordance with the Buyback Regulations.

9 LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

9.1. The Equity Shares of the Company are listed on BSE and NSE.

9.2. The high, low and average market prices of the Equity Shares for the preceding three years and the monthly high, low and average market prices of the Equity Shares for the six months preceding the date of this Public Announcement and their corresponding volumes on the BSE and NSE are as follows:

BSE

Financial Year	High Price* (₹)	Date of high price	No. of Equity Shares traded on that date	Low Price* (₹)	Date of low Price	No. of Equity Shares traded on that date	Average Price^ (₹)	Total volume traded in the period (No. of Shares)	Total turnover of business transacted in the period (₹ in Lacs)
2017	470.75	February 10, 2017	1,36,969	240.90	May 20, 2016	25,199	311.51	11,50,424	4,247.90
2018	771.70	January 29, 2018	30,039	400.00	April 3, 2017	1,660	593.04	16,10,940	10,188.18
2019	761.50	September 19, 2018	2,458	596.45	October 8, 2018	503	686.94	8,70,952	6,002.60

* The High Price and Low Price are based on high and low of closing prices of all trading days during the said period.
^ Arithmetic average of the closing prices of all trading days during the said period.

Last six months	High Price* (₹)	Date of high price	No. of Equity Shares traded on that date	Low Price* (₹)	Date of low price	No. of Equity Shares traded on that date	Average Price^ (₹)	Total volume traded in the period (No. of Shares)	Total turnover of business transacted in the period (₹ in Lacs)
Jul-19	898.70	July 31, 2019	20,749	828.80	July 23, 2019	72	856.60	71,806	619.25
Jun-19	853.75	June 28, 2019	75,368	745.55	June 04, 2019	645	789.66	10,39,382	8,087.77
May-19	772.55	May 31, 2019	1298	636.70	May 15, 2019	4,286	679.79	84,095	564.13
Apr-19	683.75	April 23, 2019	742	637.70	April 11, 2019	77	663.27	11,024	73.04
Mar-19	669.85	March 14, 2019	7,155	613.20	March 1, 2019	622	643.85	2,06,926	1,304.49
Feb-19	675.10	February 1, 2019	678	599.55	February 14, 2019	3,385	627.79	23,314	144.20

*The High Price and Low Price are based on high and low of closing prices of all trading days during the said period.
^ Arithmetic average of the closing prices of all trading days during the said period.

(Source: www.bseindia.com)

NSE

Financial Year	High Price* (₹)	Date of high price	No. of Equity Shares traded on that date	Low Price* (₹)	Date of low Price	No. of Equity Shares traded on that date	Average Price^ (₹)	Total volume traded in the period (No. of Shares)	Total turnover of business transacted in the period (₹ in Lacs)
2017	476.05	February 10, 2017	4,50,815	239.50	May 31, 2016	97,967	305.42	45,40,307	15,814.06
2018	772.40	January 29, 2018	2,55,329	484.85	August 9, 2017	8,973	616.72	82,19,648	53,493.29
2019	764.60	September 19, 2018	15,506	597.80	February 14, 2019	7,390	686.27	41,64,136	28,506.53

* The High Price and Low Price are based on high and low of closing prices of all trading days during the said period.
^ Arithmetic average of the closing prices of all trading days during the said period.

Last six months	High Price* (₹)	Date of high price	No. of Equity Shares traded on that date	Low Price* (₹)	Date of low price	No. of Equity Shares traded on that date	Average Price^ (₹)	Total volume traded in the period (No. of Shares)	Total turnover of business transacted in the period (₹ in Lacs)
Jul-19	898.80	July 31, 2019	4,19,357	830.15	July 23, 2019	4,212	856.75	8,15,205	7,048.96
Jun-19	853.55	June 28, 2019	1,23,384	746.20	June 04, 2019	8,389	788.90	18,57,265	14,570.92
May-19	768.70	May 31, 2019	17,361	635.65	May 15, 2019	11,275	679.80	2,96,940	2,025.95
Apr-19	684.65	April 30, 2019	2,096	639.75	April 10, 2019	3,294	664.75	73,429	488.72
Mar-19	665.40	March 15, 2019	7,921	611.11	March 1, 2019	57,317	639.61	2,67,239	1,692.67
Feb-19	669.20	February 1, 2019	53,819	597.80	February 14, 2019	7,390	623.62	1,90,831	1,208.60

(Source: www.nseindia.com)

9.3. There has been no change in the Equity Share capital of the Company by way of bonus issue, rights issue or consolidation or split of Equity Shares during the period for which data has been disclosed in the table above.

9.4. The closing market price of the Equity Shares on May 31, 2019, i.e., the first trading day after the Date of the Board Meeting, was ₹ 772.55 per Equity Share on the BSE and ₹ 768.70 per Equity Share on the NSE (Source: BSE and NSE websites)

9.5. The stock prices on BSE and NSE respectively on below dates are:

Date	Description	High (in ₹)	Low (in ₹)	Closing (in ₹)
May 22, 2019	Day on which notice of Board Meeting to consider the proposal for the Buyback was filed with the Stock Exchanges	649.00	638.35	644.80
May 29, 2019	Day prior to the date of commencement of the Board Meeting	727.00	712.55	719.25
May 30, 2019	Day of conclusion of the Board Meeting	752.70	721.30	730.90
May 31, 2019	Day after the date of conclusion of the Board Meeting	781.00	740.00	772.55

(Source: www.bseindia.com)

Date	Description	High (in ₹)	Low (in ₹)	Closing (in ₹)
May 22, 2019	Day on which notice of Board Meeting to consider the proposal for the Buyback was filed with the Stock Exchanges	660.00	631.60	638.00
May 29, 2019	Day prior to the date of commencement of the Board Meeting	729.55	716.30	717.40
May 30, 2019	Day of conclusion of the Board Meeting	754.60	720.55	731.30
May 31, 2019	Day after the date of conclusion of the Board Meeting	774.00	739.30	768.70

(Source: www.nseindia.com)

10 PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

10.1. The capital structure of the Company as on the date of this Public Announcement and the indicative capital structure of the Company post the completion of the Buyback is set forth below:

Particulars	(As on the date of this Public Announcement) (in ₹)	(Post completion of the Buyback)" (in ₹)
Authorised share capital: 8,60,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	86,00,00,000	86,00,00,000
Issued, subscribed and fully paid-up share capital: 3,29,43,912 Equity Shares of ₹ 10 each	32,94,39,120	32,22,39,120"

Note: Assuming that the indicative Maximum Buyback Shares are bought back. However, the post Buyback issued, subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.

10.2 As on the date of this Public Announcement, there are no Equity Shares which are partly paid-up, or with call-in-arrears and there are no outstanding instruments convertible into Equity Shares. However, subject to exercise of stock options by the employees, the Company would convert outstanding 14,59,144 stock options into equal numbers of equity shares, post expiry of buyback period.

10.3. The aggregate shareholding of the promoters, promoter group and persons who are in control of the Company, as on August 02, 2019 (Pre Buyback) is given below:

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1	Brett Enterprises Private Limited (formerly known as Brett Plastics Private Limited)	1,80,77,764	54.87
2	Nirmal Kumar Bardiya	2,00,581	0.61
3	Kusum Bardiya	1,65,205	0.50
4	Deepti Agrawal	1,27,134	0.39
5	Rahim Ullah	1,00,000	0.30
6	Sunil Agrawal	28,140	0.09
7	Sheela Agarwal	22,450	0.07
8	Harsh Agrawal	10,000	0.03
9	Sanjeev Agrawal	8,320	0.03
10	Neil Agrawal	466	Negligible
	Total	**1,87,40,060**	**56.88**

10.4. The aggregate shareholding of the directors of the Brett Enterprises Private Limited (formerly known as Brett Plastics Private Limited) (being the corporate promoter), as on August 02, 2019 (pre-Buyback) is given below:

Sr. No.	Name of Directors of Brett Enterprises Private Limited	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1	Deepti Agrawal	1,27,134	0.39
2	Sheela Agarwal	22,450	0.07
	Total	**1,49,584**	**0.45**

10.5. The shareholding pattern of the Company on August 02, 2019 (pre-Buyback) and the proposed shareholding pattern of the Company post the completion of the Buyback is given below:

Shareholder	Pre-Buyback No. of Equity Shares	Pre Buyback % of Equity Shares	Post Buyback* No. of Equity Shares	Post Buyback* % of Equity Shares
(A) Promoter & Promoter Group	1,87,40,060	56.88%	1,87,40,060	58.16%
(B) Public	140,82,605	42.75%	1,34,83,852	41.84%
(C1) Shares underlying DRs	-	-		
(C2) Shares held by Employee Trust	1,21,247	0.37%		
(C) Non-Promoter -Non-Public (C = C1 + C2)	1,21,247	0.37%		
Grand Total (A+B+C)	**3,29,43,912**	**100.00%**	**3,22,23,912**	**100.00%**

** Assuming the Company buys back the Maximum Buyback Shares. However, the shareholding post completion of the Buyback may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back in the Buyback.*

10.6. As per Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the Buyback shall not be made from the promoters, promoter group and persons in control of the Company and such individuals/ entities will not participate in the Buyback. Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the promoters, promoter group and persons in control of the Company will not deal in the Equity Shares of the Company either through the Stock Exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters) from the date of passing of the special resolution approving the Buyback until the completion of the Buyback.

10.7. While the Promoters, promoter group and persons in control of the Company are not eligible to participate in the Buyback, depending on the number of Equity Shares bought back by the Company, their effective shareholding percentage in the Company, will increase marginally consequent to the buyback. Any increase in the percentage holding/voting rights of the Promoters, promoter group and persons in control of the Company is not an active acquisition and is incidental to the Buyback and falls within the limits prescribed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended.

10.8. There is no pending scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to any provisions of the Companies Act, 2013.

11 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUYBACK ON THE COMPANY

11.1. The Buyback is expected to achieve the objective of enhancing overall long term shareholders' value for continuing shareholders, as well as provide an exit opportunity to the public shareholders. The Buyback is not likely to cause any material impact on the profitability / earnings of the Company except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards Buyback. The Company will also bear the cost of the Buyback transaction. The Buyback may lead to reduction in outstanding Equity Shares, improvement in 'earnings per share' and enhanced return on equity, assuming that the Company would earn similar profits as in the past.

11.2. The amount required by the Company for the Buyback (including the Transaction Costs) will be funded out of the securities premium account, free reserves and/or such other sources as may be permitted by the Buyback Regulations and the Companies Act, 2013 and on such terms and conditions as the Board may deem fit.

11.3. Pursuant to Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the Promoters, Promoter Group and persons in control of the Company shall not participate under the Buyback. The Buyback of Equity Shares will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

11.4. Consequent to the Buyback and based on the number of Equity Shares bought back from the shareholders excluding the members of the promoters, promoter group and persons in control of the Company, the shareholding pattern of the Company would undergo a change, however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up equity share capital of the Company.

11.5. As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves post the Buyback.

11.6. Unless otherwise determined by the Board or the Buyback Committee, or as may be directed by the appropriate authorities, the Buyback will be completed within a maximum period of six (6) months from the date of opening of the Buyback. The Company shall not withdraw the Buyback after this Public Announcement has been made.

11.7. In accordance with Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of the Buyback period, except in discharge of its subsisting obligations like allotment of shares under Employee Stock Option Schemes and in accordance with Regulation 24(i)(b) of the Buyback Regulations and Companies Act, the Company shall not issue any shares or other specified securities including by way of bonus till the expiry of the Buyback period.

11.8. The Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of one year immediately preceding the date of the passing of special resolution dated August 05, 2019, and shall not make any offer of buyback within a period of one year from the date of expiry of the Buyback period.

11.9. The funds borrowed from banks and financial institutions will not be used for the Buyback. The Company shall not buy back its shares from any person through negotiated deal whether on or off the stock exchanges or through spot transactions or through private arrangement. The Equity Shares bought back by the Company shall be compulsorily extinguished and destroyed and will not be held for re-issue at a later date. The Company is not undertaking the Buyback to delist its equity shares from the Stock Exchanges.

11.10 The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the nominal value of the Equity Shares purchased through the Buyback to the Capital Redemption Reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

11.11 Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the promoters and their associates have not and will not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the Stock Exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters) from the date of passing of shareholders resolution approving the Buyback till the date of the completion of the Buyback.

12 STATUTORY APPROVALS

12.1. Pursuant to Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions of the Companies Act and applicable rules thereunder and the provisions of the Buyback Regulations and Article 63 of the Articles of Association of the Company, the Company has obtained the Board approval and the Shareholders.

12.2. The Buyback is subject to receipt of such sanctions and approvals from statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, including the Reserve Bank of India, SEBI, and the Stock Exchanges on which the Equity Shares are listed.

12.3. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the Reserve Bank of India and/or the SEBI, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buyback. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

12.4. The Buyback shall be subject to such necessary approvals as may be required, and the Buyback from overseas corporate bodies and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder.

12.5. To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buyback as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their Equity Shares to the Company as set out in Paragraphs 12.3 and 12.4 of Part B above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buyback.

13. COLLECTION AND BIDDING CENTRES

The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centers and bidding centers is not applicable.

14. COMPLIANCE OFFICER

The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:
Name : Mr. Sushil Sharma
Designation : Company Secretary and Compliance Officer
Address : E-69, EPIP, Sitapura, Jaipur-302 022, Rajasthan
Tel. : +91 141-2771948; **Fax:** +91 141-2770510
Email : investor_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com
In case of any clarifications or to address investor grievance, the Shareholders may contact the Compliance Officer, from Monday to Friday between 10 a.m. to 5 p.m. on all working days except Saturdays, Sundays and public holidays, at the above-mentioned address.

15. DETAILS OF INVESTOR SERVICE CENTRE/REGISTRAR TO THE BUYBACK

The Company has appointed the following as the Registrar to the Buyback (**"Registrar"**):

KARVY FINTECH

Name: Karvy Fintech Private Limited
Address: Karvy Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi Telangana 500032 India
Contact Person: Mr. M Murali Krishna
Tel.: +91 40 6716 2222; **Fax:** +91 40 2343 1551
Email: vgl.buyback@karvy.com; Website: www.karvyfintech.com
Investor Grievance Id: einward.ris@karvy.com
SEBI Registration No.: INR000000221
CIN: U72400TG2017PTC117649
In case of any query, the Shareholders may also contact the Registrar, from Monday to Friday between 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on all working days except Saturdays, Sundays and public holidays at the above-mentioned address.

16. MANAGER TO THE BUYBACK

The Company has appointed YES Securities (India) Limited as the Manager to the Buyback:

YES SECURITIES

YES SECURITIES (INDIA) LIMITED
IFC, Tower 1&2, Unit No. 602 A, 6th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West)
Mumbai - 400 013, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 7100 9365 | **Fax:** +91 22 2421 4508
Contact Person: Mr. Mukesh Garg / Mr. Ronak Shah
E-mail: vgl.buyback2019@ysil.in | **Website:** www.yesinvest.in
SEBI Registration No.: INM000012227 | **CIN:** U74992MH2013PLC240971

17. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and any advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Vaibhav Global Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Sunil Agrawal	**Rahim Ullah**	**Sushil Sharma**
Managing Director	**Whole Time Director**	**Company Secretary & Compliance Officer**
DIN: 00061142	**DIN: 00043791**	**ICSI Membership Number: F6535**

Date: August 07, 2019 **Place:** Jaipur

RAKA

BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED

Regd Office: 1301, 13th Floor, Vijaya Building 17, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi 110001.
Corp. Office: B-66, Sector 60, NOIDA-201301, CIN: L65993DL1989PLC035572

NOTICE

NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Bombay Stock Exchange Limited (BSE), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13th August, 2019 at the Corporate Office of the Company at B-66, Sector-60, Noida-201301 at 03:00 p.m., to inter-alia, consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019.

By Order of the Board of Directors
For BGIL Films & Technologies Limited
Sd/-
Rakesh Bhatia
(Chairman)

Date: 07.08.2019
Place: Noida

जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर – 203408 (उत्तर प्रदेश)

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-बी 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन : 011-26139256; 40322100

वेबसाइट : www.jpifcl.com; ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विस्तारित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.jpifcl.com तथा स्टाक एक्सचेंजेज की वेबसाइट नामतः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

वास्ते जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
हस्त./–
रूपेश कुमार
कम्पनी सचिव
एसीएस – 43104

दिनांक : 07.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

SBI

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा
एससीओ 99-101, प्रथम तल, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़-160018
फोन नं. 0172-4387162, ई-मेल: sbi.04262@sbi.co.in

सार्वजनिक सूचना

सामान्य जनता और कर्जदारों और गारंटरो, नीचे दिए विवरण में दर्शाए गए हैं, को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक से कर्जदारों/गारंटरों द्वारा प्राप्त की गई ऋण/क्रेडिट सुविधाओं को बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद पुनः अदा नहीं किया है। आगामी तौर पर, कर्जदारों/गारंटरों को कानून की निम्नलिखित उचित प्रक्रिया के अनुसार बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर घोषित किया है। जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि कर्जदारों/गारंटरों के साथ कोई लेन-देन बैंक को उपलब्ध कानूनी उपाय के अधीन होगा। कर्जदारों/गारंटरों को 15 दिनों के अंदर अपने बकाया को अदा करने की एतद्द्वारा सलाह दी जाती है, जिसमें असफल रहने पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

क्र. सं.	यूनिट/कर्जदारों व गारंटरों के नाम और उनके पते	कर्जदारों/ गारंटरों के फोटो
1.	कर्जदार का नाम: श्री प्रदीप मित्तल सुपुत्र श्री प्रकाश चंद मित्तल पता: मकान नं. 91, सैक्टर-9, पंचकूला (हरियाणा)	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्रीमती मोनिका मित्तल पत्नी श्री प्रदीप मित्तल सुपुत्र श्री प्रकाश चंद मित्तल पता: मकान नं. 91, सैक्टर-9, पंचकूला (हरियाणा)	
	यूनिट का नाम: मै. स्वामी ऑटोमोबाइल्स कुल देयताएं 13.21 करोड़ (केवल तेरह करोड़ इक्कीस लाख रुपए) (दिनांक 01.08.2019 को ब्याज व अन्य खर्च)	
2.	कर्जदार का नाम: श्री अनिल कुमार डोगरा सुपुत्र श्री मेहर चंद पता: प्रेम नगर, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्रीमती इंदिरा डोगरा पत्नी श्री अनिल कुमार डोगरा पता: प्रेम नगर, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	
	यूनिट का नाम: मै. अराधना वाईन्स कुल देयताएं 17.71 करोड़ रुपए (केवल सतारह करोड़ इकहत्तर लाख रुपए) (दिनांक 30.06.2019 को ब्याज व अन्य खर्च)	
3.	कर्जदार का नाम: श्री उमेश भसीन सुपुत्र स्व. श्री जय गोपाल भसीन पता: एससीओ 912, दूसरा तल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्री चेतन भसीन सुपुत्र श्री उमेश भसीन पता: एससीओ 912, दूसरा तल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	
	यूनिट का नाम: मै. लेसर फर्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. कुल देयताएं 30.89 करोड़ रुपए (केवल तीस करोड़ नवासी लाख रुपए) (दिनांक 30.06.2019 को ब्याज व अन्य खर्च)	
4.	कर्जदार का नाम: श्री ईश्वर चंद गोयल सुपुत्र स्व. श्री सीता राम गोयल पता: मकान नं. 33-सी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्री प्रवीण कुमार गोयल सुपुत्र ईश्वर चंद गोयल पता: मकान नं. 33-बी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्रीमती दर्शन देवी पत्नी श्री ईश्वर चंद गोयल पता: मकान नं. 33-सी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्री सुभाष चंद गोयल सुपुत्र श्री ईश्वर चंद गोयल पता: मकान नं. 33-सी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्री अशोक कुमार गोयल सुपुत्र श्री ईश्वर चंद गोयल पता: मकान नं. 33-सी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री सुभाष चंद गोयल पता: मकान नं. 33-सी, वार्ड-10, सोनकरा रोड, तारोरी, जिला करनाल-132116	
	यूनिट का नाम: मै. अम्बिका इंटरनेशनल फुड कंपनी प्रा. लि. कुल देयताएं 166.43 करोड़ रुपए (केवल एक सौ छियासठ करोड़ तैंतालीस लाख रुपए) (दिनांक 31.07.2019 को ब्याज व अन्य खर्च)	
5.	कर्जदार का नाम: श्री राजीव गोयल सुपुत्र श्री बुध राम गोयल पता: मकान नं. 64, सैक्टर 9-ए, चंडीगढ़	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्रीमती अल्का गोयल पत्नी श्री राजीव गोयल पता: मकान नं. 64, सैक्टर 9-ए, चंडीगढ़	
	यूनिट का नाम: मै. सूर्या फर्मास्यूटिकल्स लि. कुल देयताएं 1674.23 करोड़ रुपए (केवल सौलह सौ चौहत्तर करोड़ तेईस लाख रुपए) (दिनांक 08.10.2018 को ब्याज व अन्य खर्च)	
6.	कर्जदार का नाम: श्री दीपक सिंघल सुपुत्र श्री बाबू राम सिंघल पता: बी-40, गली नं. 15, मधुर विहार, दिल्ली	
	कर्जदारों/गारंटरों के नाम: श्री अशोक कुमार मित्तल सुपुत्र श्री रति राम मित्तल पता: मकान नं. 2143, सैक्टर-13, करनाल (हरियाणा)	
	गारंटर का नाम: श्रीमती निशा मित्तल पत्नी श्री अशोक कुमार मित्तल पता: मकान नं. 2143, सैक्टर-13, करनाल (हरियाणा)	
	यूनिट का नाम: मै. महेश टिम्बर प्रा. लि. कुल देयताएं 23.23 करोड़ रुपए (केवल तेईस करोड़ तेईस लाख रुपए) (दिनांक 30.11.2018 को ब्याज व अन्य खर्च)	

दिनांक: 07.08.2019 उप महाप्रबंधक

कार्पोरेशन बैंक

केंद्रीय कार्यालय-ऋण वसूली, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615, 28754642, ईमेल– dlirec@corpbank.co.in, वेबसाइट– www.corpbank.com

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र दिनांक 04.08.2019 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस तथा दिनांक 05.08.2019 को जनसत्ता में प्रकाशित मेगा ई-नीलामी के सन्दर्भ में है, जिसमें सम्पत्ति मे. रोहिणी ज्वेलर्स प्रा. लि., करनाट चक्क शाखा के लिए दिनांक 20.08.2019 को ई-नीलामी के लिए आयोजित की गई थी। अब ई-नीलामी से यह खाता वापस ले रहे हैं। अन्य सभी खाते / विवरण / नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक: 07.08.2019, स्थान: दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

Shivalik Bimetal Controls Limited

CIN: L27101HP1984PLC005862
16-18, New Electronics Complex Chambaghat, Dist. Solan, Himachal Pradesh – 173 213, Phone:+ 91-11- 26027176, Fax:+ 91-11-26026776
investor@shivalikbimetals.com, www.shivalikbimetals.com

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced/stolen and the registered shareholder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issue of duplicate share certificate(s).

Folio No	Certificate No.	Distinctive No(s)	No of Equity Shares	Names of shareholder
A-378	4787	37747751-37748750	1000	Mr. Amar Chand Arora
S-864	5067	38172751-38173750	1000	Mr. Sudhir Kumar

The public is hereby warned against purchasing or dealing with the aforementioned share certificate(s) in any way. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with all the supporting documents with the Company at its registered office within 15 days from the date of publication of this notice, failing which, no claim will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Aarti Jassal
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: 07.08.2019

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)
Website: www.ircon.org CIN –L45203DL1976GOI008171

रूचि की अभिव्यक्ति

ईओआई सं.: इरकॉन / बीओ / ईओआई / 2019/565 — दिनांक 07.08.2019

गौरेला बेस, कारखाने, कार्यालय में आवासीय भवनों / टावरों, ट्रान्सक्लीयों, अस्पताल विस्तार और प्रयोगशालाओं की स्थापना ... [illegible]

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	14.08.2019 को 11.00 बजे तक

अधिक विवरण और अद्यतनों के लिए, कृपया इरकॉन की वेबसाइट www.ircon.org अथवा www.etenders.gov.in पर निविदा खंड देखें। संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। — मुख्य महाप्रबंधक / बीओ

नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC059531
पंजी. कार्या. 213, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110001
Email Id: compliance@namsecurities.in
Website: www.namsecurities.in, Tel: 011-23731122/44

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार ... [illegible] ... 14 अगस्त, 2019 ... आयोजित की जाएगी।

... www.namsecurities.in पर भी उपलब्ध है।

नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता./–
मीनाक्षी मित्तल
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 07 अगस्त, 2019

एम एस टी सी लिमिटेड / MSTC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम) (A Govt. of India Enterprise)
CIN : L27320WB1964GOI026211
GSTIN : 19AACCM0021E1Z4
225-सी, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता - 700020, भारत
वेबसाइट : www.mstcindia.co.in
दूरभाष : 2281-9627/3088
ईमेल : cosec@mstcindia.co.in

इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड सस्पेंस एकाउंट (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

... [illegible] ... www.mstcindia.co.in ...

स्थान - कोलकाता
तारीख - 06.08.2019
एमएसटीसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 225सी, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020

MODIPON LIMITED

Registered Office : Hapur Road, Modinagar- 201 204 (U.P.)
CIN : L65993UP1965PLC003082

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019

(₹ In Lakhs)

Sl. No	Particulars	For the Quarter ended on 30.06.2019 (Unaudited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	For The Year Ended 31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
1	Total income from operations (net)	-	-	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	(100.23)	(113.73)	(158.56)	(495.35)	(520.23)
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	(100.23)	(113.73)	(158.56)	(495.35)	(520.23)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(100.23)	(113.73)	(288.56)	(795.55)	(459.08)
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(100.23)	(113.73)	(288.56)	(795.55)	(459.08)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67
7	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each					
	Basic (Rs)	(0.87)	(0.98)	(1.33)	(4.28)	(4.49)
	Diluted (Rs)	(0.87)	(0.98)	(1.33)	(4.28)	(4.49)
8	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each					
	Basic (Rs)	(0.87)	(0.98)	(2.49)	(6.87)	(3.97)
	Diluted (Rs)	(0.87)	(0.98)	(2.49)	(6.87)	(3.97)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.modipon.in and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com

For & on behalf of Board of Directors
Sd/-
(Manish K. Modi)
Managing Director
DIN 00030036

Place : New Delhi
Date: 7th August,2019

वी2 रिटेल लिमिटेड

V2 Value & Variety

पंजी. कार्यालय: खसरा नं. 928, एक्सटेंशन लाल डोरा आबादी, विलेज कापसहेड़ा, तहसील वसंत विहार, नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली –110037
CIN-L74999DL2001PLC147724, फोन: 011–41771850,
ईमेल आईडी: cs@vrl.net.in, वेबसाइट: www.v2retail.com

18वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई–मतदान सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठक:

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **वी2 रिटेल लिमिटेड** (दि "कंपनी") की 18वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शनिवार, 07 सितंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे,** खसरा नं0. 1139, शनि बाजार चौक, रजोकरी, नई दिल्ली–110038 में आयोजित की जाएगी, उक्त एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन) और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना के साथ युक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण **07 अगस्त, 2019** को पूरा कर लिया है और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, सदस्यों के लिए, भौतिक माध्यम से रखने वाले और डिमटेरियलाइज्ड माध्यम से रखने वाले के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड के रूप में जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में हैं और या तो कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं), के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी को ईमेल द्वारा या कंपनी / आरटीए के साथ पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजा गया। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com पर प्रदर्शित किया गया है और साथ ही रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर प्रातः 11:00 से दोपहर 1:00 के बीच एजीएम की तारीख तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

(बी) बुक क्लोजर:

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियमन 44 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तक रविवार 01 सितंबर, 2019 से शनिवार 07 सितंबर, 2019 (दोनों दिनों सहित) तक 07 सितम्बर, 2019 को आयोजित कंपनी की एजीएम के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगी।

(सी) ई–वोटिंग:

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108, के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियमन 44 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी जो सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर, एजीएम के आयोजन स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान (रिमोट ई–वोटिंग) से कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी ई–वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल की सेवाएं ली हुई हैं।

इसके अलावा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व अपना वोट ई–वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि बुधवार 04 सितम्बर 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) पर शुरू होगा और शुक्रवार 06 सितम्बर 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर बंद होगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्यों, या तो भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर धारण शनिवार, 31 अगस्त, 2019 की कट ऑफ तिथि के आधार पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। सदस्यों को यह ज्ञात हो कि शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शनिवार 31 अगस्त, 2019 (कट-ऑफ डेट) के रूप में सदस्यों के मतदाताओं के अधिकारों का उपयोग कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। मतदाता अधिकारों के हिसाब से कट–ऑफ तिथि के रूप में सदस्य नहीं होने वाले व्यक्ति को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए सूचना का पालन करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति जो एजीएम सूचना भेजने के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि यानि शनिवार, 31 अगस्त, 2019 के आधार पर शेयरधारक है, वह लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के delhi@linkintime.co.in पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई–मतदान के लिए मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात शनिवार 31 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही, रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य www.evotingindia.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का अवलोकन कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या श्री उमेश कुमार, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी, फोन नंबर 011–41771850, ईमेल आईडी: cs@vrl.net.in से संपर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग का नतीजा कंपनी की एजीएम में या उसके बाद घोषित किया जायेगा। निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किये जाने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com तथा लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यानि www.linkintime.co.in पर दर्शाये जायेंगे और क्रमशः स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात एनएसई एवं बीएसई नामतः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर उपलब्ध होंगी।

बैठक में भाग लेने और वहां मतदान करने का अधिकारी कोई भी सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकारी है और यह प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वैध और प्रभावी होने के लिए, प्रतिनिधि नियुक्ति साधन, एजीएम के प्रारंभ होने से अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कागजरहित अनुपालनों के उपयोग की स्वीकृति और कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार अपने सदस्यों को कोई भी सूचना / दस्तावेज (वार्षिक रिपोर्ट सहित) को ई–मेल द्वारा भेजने के लिए स्वीकृति के साथ "कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल" प्रारंभ की है। इसमें सहयोग देने के लिए सदस्यों को एतद्द्वारा आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपने संबंधित परिचालित ई–मेल आईडी को पंजीकृत कराने, अपडेट एवं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, सदस्यों को एतद्द्वारा आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अनुरोध भेजकर अपना केवाईसी अपडेट कराने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 दिनांक 8 जून, 2018 एवं अन्य संबंधित सहायक अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों यथासंशोधित के अनुसरण में भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा अपने आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अनुरोध भेजकर इन्हें तुरंत अमूर्तीकृत प्रारूप में बदलने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com और लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात एनएसई और बीएसई नामतः www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते **वी2 रिटेल लिमिटेड**
हस्ता./–
राम चंद्र अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN 00491885

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 07.08.2019

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक 109)

क्रमांक / 278 / अकरी / 19 — प्रकरण क्रमांक / 98 / बी–121 / 19–20
इंदौर, दिनांक 31 / 07 / 2019

उपस्थिति बाबद सूचना

प्रति,

1. श्री नरेन्द्र कुमार राठौड़ पिता श्री मांगीलाल राठौड़,
2. श्री मांगीलाल राठौड पिता श्री उमेदराम राठौड

पता – म.न. 108, पैकी पूर्व दिशा का भाग गुलाब बाग कालोनी ग्राम पिपलियाकुमार तहसील व जिला इन्दौर
पता 2. – म.न. जी एफ–24, सिद्धि विनायक इंद्रपुरम, उभयखंड–3, शिप्रा सन – सिटी, गाजियाबाद उ.प्र.

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी पी.एन.बी. हाउसिंग फायनेंस लि० पता–201, मेगापालिस स्क्वयर, द्वितीय मंजिल 579, एम जी रोड इन्दौर तर्फे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति म. न. 108, पैकी पूर्व दिशा का भाग गुलाब बाग कालोनी ग्राम पिपलियाकुमार तहसील व जिला इन्दौर पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इंदौर कक्ष नंबर 109 में दिनांक 19 / 08 / 2019 को दोपहर 2–00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर
31–07–2019

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	हार्वेस्ट होटल और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17.11.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55101DL2009PTC196079
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** : के–52ए, एस / एफ कालकाजी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली –110019 **प्रिंसिपल कार्यालय** : 95 / 2, मार्गोसा एवेन्यू ग्रीन ग्लेन लेआउट, बेलंदूर बैंगलोर –560103
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	01.03.2019 (*)
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	08.08.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता :	# 1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़ ईमेल harvesticirp@gmail.com 0172–5085213, 5012214
9.	धारा 29क के अंतीन लागू अपात्रता के मानदंड :	# 1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़ ईमेल harvesticirp@gmail.com 0172–5085213, 5012214
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	23.08.2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	02.09.2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07.09.2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	17.09.2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	07.09.2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	सकल्प योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन और आगे की जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए ईमेल अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल / रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजा जा सकता है
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07.10.2019
17.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल / समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	ईमेल, पंजीकृत डाक
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	06.11.2019
19.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल / समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**नवनीत गुप्ता** **पंजीकृत संख्या** : IBBI/IPA-001/IP-P00361/2017-18/10619
20.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल / समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	**नवनीत गुप्ता** # 1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़ **ईमेल**: navguptaca@gmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो अंतरिम समाधान प्रोफेशनल / समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**नवनीत गुप्ता** # 1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़ 0172-5085213, 5012214 **ईमेल**: harvesticirp@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध हैं	**नवनीत गुप्ता** # 1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़ 0172-5085213, 5012214 **ईमेल**: harvesticirp@gmail.com
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	**08.08.2019**

(*): कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि 28 अगस्त 2019 को समाप्त होने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच के साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, 90 दिनों की अवधि के विस्तार के लिए।

हस्ता / –
सीए नवनीत गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00361/2017-18/10619
1598, लेवल –1, सेक्टर 22–बी, चंडीगढ़
कृते हार्वेस्ट होटल और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

तिथि : 08.08.2019
स्थान : चंडीगढ़

मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 405, दीपाली बिल्डिंग, 92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
सीआईएन: L15142DL1974PLC007349

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक 13 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम पर विचार एवं अनुमोदन कर रिकार्ड में लिया जाएगा। ... www.modinaturals.com, www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते मोदी नेचुरल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अंकित अग्रवाल
कंपनी सचिव

तिथि: 07.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

इन्टेग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 123, विनोबापुरी, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024
कॉर्पो. कार्या.: 610/611, निर्मल विजन, ... मुम्बई–400080
ई: info@integratesoftware.com, (डब्ल्यू) www.integratesoftware.com, CIN: L74899DL1985PLC020286, फोनः 9967943220

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तथा अन्य व्यवसायों पर विचार एवं उन्हें अभिलेख में लिया जाएगा।

बोर्ड के आदेश से
इन्टेग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लिए
(जीत सतह राज)
निदेशक
DIN: 06948326

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 6.8.2019

रहेजा गार्डन, एल.बी.एस. मार्ग, थाने 4000604

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065
Tel : +91-11-26489431
Fax : +91-11-26489299
Web: www.gkconsultantsltd.com
CIN : L74140DL1988PLC034109

NOTICE

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, the 14th August, 2019** at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Quarterly Unaudited Financial Results as on 30th June, 2019 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

By order of the Board
G. K. CONSULTANTS LIMITED
CS. Shilpa Verma
Place : New Delhi **Company Secretary**
Date : 07.08.2019 FCS: 10105

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

Regd. Off: - 104, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008
E-mail Id: csvirtualeducation@gmail.com
Website: www.vgel.co.in
CIN: L67120DL1993PLC052256, Ph: 011-25702148

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August13, 2019, at Registered office of the companyinter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019and any other items with the permission of the chair.

A copy of this Notice shall also be available at the Company's website www.vgel.co.in and also on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board
M/s Virtual Global Education Limited
Sd/-
Date: 07.08.2019 Neeraj Kaushik
Place: New Delhi Director

फार्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (गठन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

अरिमर्दन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : शॉप नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1573 / 13, गोविंद पुरी, नई दिल्ली साउथ दिल्ली डीएल 110019 में है, के मामले में

... याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 01.07.2019 को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी–विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

अरिमर्दन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2005PTC141711)
शॉप नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1573 / 13, गोविंद पुरी नई दिल्ली साउथ दिल्ली 110019
ई मेल : **sukanta.kol@gmail.com**
मोबाइल नं : **9932858357**

कृते अरिमर्दन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / –
सुकांत सील
निदेशक
डीआईएन : 06885722
पता : विलेज + पीओ कैकाला, हुगली, वेस्ट बंगाल–712405

तिथि : 05.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) खंड (ए) के मामले में

और

मिडियाटेल कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस.नं0. 17 विलेज–घाटा, गुडगांव, हरियाणा –122001, भारत के मामले में

... याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"दिल्ली की रा.रा.क्षे"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 29 जुलाई, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुरूप, केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को सूचित करे, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजें।

पंजीकृत कार्यालय: एस.नं0. 17 विलेज घाटा, गुडगांव, हरियाणा–122001, भारत

कृते और आवेदक की ओर से
मिडियाटेल कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / –
(सौरभ अरोड़ा)
निदेशक
DIN: 07004365

दिनांक: 08 अगस्त, 2019
स्थान: गुड़गांव

Asia Capital Limited

CIN: L65993DL1983PLC016453
Registered Office: 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001
Tel: +91-11-2334 6954
Email: asiacapitallimited@gmail.com
Website: www.asiacapital.in

NOTICE

Notice is hereby given that 04/2019-20 meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August 2019 at 12:00 noon at the Registered Office of the Company at 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001, inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter ending 30th June 2019.

For Asia Capital Limited
Sd/-
Kaveri Ghosh
Company Secretary &
Compliance Officer
Date: 07-08-2019 Meb. No. A37894
Place: Delhi
2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001

IEC EDUCATION LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC061053
Regd. Off.: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001
Website: www.iecgroup.in
Email: cs@iecgroup.in, Ph: 011-41052893

NOTICE

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the 3rd meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2019-20 is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019 at E-216, East of Kailash, New Delhi-110065 at 4.00 p.m. inter alia, to consider, approve and take on record Unaudited Quarterly Financial Results (standalone and consolidated) along with Limited Review Report for the Quarter Year ended June 30, 2019. The said notice may be accessed on the Company's website at www.iecgroup.in and also on the website of the stock exchange at www.bseindia.com

By order of the Board
For IEC EDUCATION LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi Navin Gupta
Dated: 07.08.2019 Managing Director

CCL INTERNATIONAL LIMITED

CIN No. : L26940DL1991PLC044520
Regd.Off. : M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033
Tel.: +91-0120-4214258,
Fax.: +91-11-22417225
Email ID.: cmpsec@cclil.com,
Website: www.evocreteindia.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, August 14, 2019** at **4.00 P.M.** at the Registered Office of the Company at M-4, Gupta Tower, B1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 inter-alia to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended **June 30, 2019.**

Further, pursuant to the Company's 'Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders', the trading window for dealing in the equity shares of the Company was closed from July 1, 2019 and would remain closed till 48 hours from the declaration of financial results.

For CCL International Limited
Sd/-
Rama Gupta
Director
DIN : 00080613

Place: New Delhi
Date: 06.08.2019

आईबीजी रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड

के 2 / 3 लोवर ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ सीटी फेस–II, गुडगाँव, 122002 हरियाणा इंडिया

प्रादेशिक निदेशक क्षेत्रीय निदेशक नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

आईबीजी रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय – के 2 / 3 लोवर ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ सीटी फेस–II, गुडगाँव, 122002, हरियाणा इंडिया में है, के मामले में

याचिकाकर्ता / आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 16/07/2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 और 13(1) और (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी–विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

के 2 / 3 लोवर ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ सीटी फेस–II, गुडगाँव, 122002, हरियाणा इंडिया

उनके के लिए या उसकी ओर से
आईबीजी रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता / –
वीना कुमारी सासी
निदेशक
डीआईएन : 07581630
पता : 8ए / 123 डब्लूईए करोल बाग नई दिल्ली – 110005, इंडिया

तिथि : 07.08.2019
स्थान : दिल्ली

A.F. ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: DSM-334, DLF TOWERS, 3rd Floor, SHIVAJI MARG, New Delhi-110015
Tel. +91 11 45084850
E-mail: admin@ridh.in
CIN: L18100DL1983PLC016354

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th August, 2019 at 12:00 P.M. at Registered Office of the Company at DSM-334, DLF TOWERS, 3rd Floor, SHIVAJI MARG, DELHI-110015 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

Also, pursuant to the provisions of SEBI(Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, as amended and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading (the "Code") under the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the trading window for dealing in securities of the Company had already been closed for the Insiders covered under the Code, with effect from 1st July, 2019 and same shall reopen after the end of 48 hours after the results are made public. The said notice may be assessed on the website of the relevant stock exchange.

By order of the Board
For A F Enterprises Limited
Sd/-
Date: 7th August, 2019 Abhishek Singh
Place: New Delhi Whole Time Director

बसपा : दानिश अली पार्टी नेता पद से हटाए गए, मुनकाद बने उप्र अध्यक्ष

लखनऊ, 7 अगस्त (भाषा)।

● गिरीश चन्द्र जाटव लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक बने रहेंगे।

बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को संगठन में भारी फेरबदल करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा में पार्टी के नेता दानिश अली को हटा कर उनके स्थान पर श्याम सिंह यादव को नियुक्त किया गया है।

बसपा ने बयान जारी कर संगठन में इस फेरबदल की सूचना दी। पार्टी ने बताया कि रितेश पाण्डेय को लोकसभा में उप नेता नियुक्त किया गया है। जबकि गिरीश चन्द्र जाटव लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक बने रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आर. एस. कुशवाहा को अब बसपा केंद्रीय इकाई का महासचिव बनाया गया है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2019 में जनता दल (सेकु) के महासचिव दानिश अली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए थे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी (सेकु) प्रमुख एच. डी. देवगौड़ा के साथ साये की तरह रहने वाले दानिश कर्नाटक में सरकार गठन में कांग्रेस और जेडी(सेकु) के साथ गठबंधन वार्ता में शामिल थे।

बाद में लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दानिश अली उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और भाजपा के कंवर सिंह तंवर को करीब 63 हजार वोटो से हराया था। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अली को लोकसभा में पार्टी का नेता बना दिया था।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 128, पहली मंजिल, शिवा मार्किट पीतमपुरा उत्तर दिल्ली-110034
वेबसाइट : www.grmrice.com ईमेल आईडीः grmrice1@gmail.com
टेली. न. 011-47330330 फैक्स नं. 011-0180-2653673
CIN: L74899DL1995PLC064007

सार्वजनिक सूचना

सेबी के (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा विनियम), 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन मे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को शाम 04:00 बजे अप आयोजित कि जाएगी। जिसमें अन्य विषयो के साथ 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनकेक्षित वित्तीय परिणामो तथा अन्य व्यवसायों, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन किये जायेगें।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.grmrice.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
अतुल गर्ग
निदेशक

दिनांक : 06 अगस्त, 2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

बाओ : राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007

परिशिष्ट–4 [नियम 8(1)] कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) 1 (अधिनियम), 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के **नियम 9** के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 10–04–2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार **मैसर्स कंवलजीत सिंह बत्रा, श्री अमनप्रीत सिंह और श्रीमती परमिन्दर कौर** से सूचना **में वर्णित राशि रू. 15,12,766.00 (रू. पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ छियासठ मात्र)** + 10–04–2019 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (कर्जदार द्वारा अदा की गई राशि, यदि कोई, घटाकर) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त 1 (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **02 अगस्त, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार पंजाब नेशनल बैंक की बकाया राशि **रू. 15,12,766.00 (रू. पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ छियासठ मात्र)** + 10–04–2019 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति प्लॉट नंबर यूबी–13, द्वितीय तल, आशा पार्क, सेन्ट्रल जेल रोड, दिल्ली–110064 का ईएम। सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स कंवलजीत सिंह बत्रा, श्री अमनप्रीत सिंह और श्रीमती परमिन्दर कौर के नाम सम्पत्ति प्लॉट नंबर यूबी–13, द्वितीय तल, आशा पार्क, सेन्ट्रल जेल रोड, दिल्ली–110064 का ईएम।

तिथि : 02–08–2019 स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

ऐक्सिस बैंक — देय सूचना

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

चूंकि यहा नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने मे विभिन्न प्रकार की चूकें कर चुके हैं। अतएव उनके खातो को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत अधिकारी के अनुशंसानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालनानुसार यहा नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहा नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं निर्गमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भुगतानकी तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणी/सह–ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
श्री दीपक वाडक (ऋणी) पुत्र श्री घनश्याम दास वाडक **श्रीमती विपुल वाडक (सह–ऋणी)** पत्नी श्री दीपक वाडक **श्रीमती पुष्पा देवी वाडक (सह–ऋणी)** पत्नी श्री घनश्याम दास वाडक निवासी मकान नं0 11 नव विहार कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत–202001 एवं : निवासी 2 मेपिल एवेन्यू, डी एल एफ छत्तरपुर फार्म्स साउथ दिल्ली, दिल्ली–110030 एवं : 3/450 न्यू नव विहार टीकाराम मन्दिर, सनद रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत–202001 **मे0 वाडक ब्रदर्स (जमानतकर्ता) द्वारा पार्टनर दीपक वाडक** द्वारा 1–बी–7, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202001	स्थित 3/450 न्यू नव विहार टीकाराम मन्दिर, रामघाट रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत–202001 **क्षेत्रफल–498 वर्ग मी0** **चौहद्दी:** **पूर्व** : रास्ता **पश्चिम** : कोठी विजय एवं राम निकुंज **उत्तर** : सम्पत्ति हरीश चन्द्र **दक्षिण** : सम्पत्ति श्री प्रेमपाल माहेश्वरी	रू.3,38,37,685/– दिनांक 02.08.2019 तक ब्याज 03.08.2019 तक + अन्य खर्च; **एनपीए दिनांक** 11.04.2019; **देय सूचना की तिथि** 02.08.2019; **ऋण धनराशि** रू. 3,50,00,000.00

उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानतकर्ताओं (जहाँ कहीं लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथालागू प्रभारों के साथ उपर्युक्तानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरान्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मिलित होगा।

ऋणी/सह–ऋणी/बन्धककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 08.08.2019, स्थान : लखनऊ — (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

DK JAIN GROUP

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंश भवन–II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046
वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxindustries दूरभाष : 0124–4760000
ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट में शुद्धिपत्र
(शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

दिनांक 29 जुलाई, 2019 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हमारी वार्षिक आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयर धारकों को प्रेषित करने की सूचना के क्रम में, कृपया उक्त वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में नीचे वर्णित सुधार पर ध्यान दें:–
वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट के पेज नंबर 82 में वर्णित अनुलग्नक–ई के बिन्दु संख्या ए के संबंध में, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक अनुपात की तुलना में सभी कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक को निम्नअनुसार पढ़ा जाए–

क्र. सं.	कार्यपालक निदेशक का नाम एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम	सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का औसत पारिश्रमिक अनुपात	
			मुद्रित	सही (को निम्न प्रकार पढ़ा जाए)
1.	श्री दीपक जैन	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	11.40	136.75
2.	श्री अनमोल जैन	संयुक्त प्रबंध निदेशक	4.07	48.86
3.	श्री विनीत साहनी	सीईओ एवं वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक	7.92	94.99
4.	श्री तदोयशी अओकी	वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक	0.36	4.31
5.	श्री कोजी सवादा	कार्यकारी निदेशक	0.35	4.20

इस शुद्धिपत्र को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह शुद्धिपत्र उक्त वार्षिक रिपोर्ट के संशोधित संस्करण के साथ कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries पर उपलब्ध है। हमें इस संबंध में हुई असुविधा के लिए सत्य निष्ठा से खेद है।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अंकिता गुप्ता
कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 07.08.2019

विकास इकोटेक लिमिटेड

(पूर्व मे विकास ग्लोबलवन लिमिटेड)
CIN: L65999DL1984PLC019465
पंजी. कार्यालय : 34/1, विकास अपार्टमेंट ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली – 110026
फोन: 011-43144444; फैक्स : 011-43144488
ई मेल: cs@vikasecotech.com, वेबसाइट: www.vikasecotech.com

सूचना

सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ बिना जांचे वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए बुधवार 14 अगस्त 2019 को प्रातः 11:30 बजे कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेंट, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 पर आयोजित होगी। बोर्ड की बैठक की सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com पर और इन्वेस्टर जोन टैब–कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हेड और एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
विकास गर्ग
चेयरमेन और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.05.2019

LUMAX ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

DK JAIN GROUP

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंश भवन–II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046
वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxautotech.com दूरभाष : 0111–49857832
ईमेल : shares@lumaxmail.com, सीआईएन : L31909DL1981PLC349793

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट में शुद्धिपत्र
(शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

दिनांक 31 जुलाई, 2019 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हमारी वार्षिक आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयर धारकों को प्रेषित करने की सूचना के क्रम में, कृपया उक्त वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में नीचे वर्णित सुधार पर ध्यान दें:–
वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट के पेज नंबर 74 मे वर्णित अनुलग्नक–ई के बिन्दु संख्या ए के संबंध में, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक अनुपात की तुलना में सभी कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक को निम्नअनुसार पढ़ा जाए–

क्र. सं.	कार्यपालक निदेशक का नाम एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम	सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का औसत पारिश्रमिक अनुपात	
			मुद्रित	संशोधित
1.	श्री धनेश कुमार जैन	कार्यकारी अध्यक्ष	7.88	94.59
2	श्री अनमोल जैन	प्रबंध निदेशक	8.66	103.87

इस शुद्धिपत्र को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह शुद्धिपत्र उक्त वार्षिक रिपोर्ट के संशोधित संस्करण के साथ कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxautotech.com पर उपलब्ध है। हमें इस संबंध में हुई असुविधा के लिए सत्य निष्ठा से खेद है।

कृते ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
अनिल त्यागी
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

पंजीकृत कार्यालय : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई – 400 020
वेबसाईट : www.hindustanpetroleum.com ईमेल : corphqo@hpcl.in सीआईएन नं.: L23201MH1952GOI008858

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(करोड़ ₹ मे)

विवरण	एकल परिणाम			समेकित परिणाम		
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019
प्रचालनों से कुल आय	74,808.13	73,219.92	296,929.06	74,874.17	73,266.79	297,205.03
अवधि के लिए निवल लाभ / (घाटा) (कर और अपवादित मदों के पूर्व)	1,239.04	2,598.96	9,338.66	1,301.44	2,862.73	10,039.20
अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ / (घाटा) (अपवादित मदों के पश्चात)	1,239.04	2,598.96	9,338.66	1,301.44	2,862.73	10,039.20
अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ / (घाटा) (अपवादित मदों के पश्चात)	810.95	1,719.21	6,028.66	877.48	1,988.19	6,690.63
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल (कर पश्चात) लाभ/(घाटा) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	790.62	1,704.08	5,964.38	856.96	1,957.67	6,604.03
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोडकर)			26,650.61			28,876.45
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रत्येक)	1,523.82	1,523.82	1,523.82	1,523.82	1,523.82	1,523.82
मूल तथा सम्मिलित अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 10/– मूल्य का) (अवार्षिकीकृत)	5.32	11.28	39.56	5.76	13.05	43.91

टिप्पणियाँ :

1) उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज किए गये तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी के वेबपेज (http://www.hindustanpetroleum.com/Financial) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) और (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।
2) 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कॉर्पोरेशन ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' को अपनाया है। इस परिवर्तन के कारण, पूर्ववर्ती मानक के अंतर्गत कुछ पट्टों के संबंध में व्यय का स्वरूप 'पट्टा किराया' से 'मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय' और 'वित्त लागत' के रूप में उपयोग की गई संपत्ति के लिए और पट्टा देयता हेतु क्रमशः अर्जित ब्याज में बदल गई है और इसलिए मौजूदा अवधि के लिए इन व्ययों की तुलना पिछली अवधि के सूचित आंकडों के साथ नहीं की जा सकती। मानक को अपनाने से अवधि के लिए लाभ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।
3) विगत अवधि के आंकडे जहां जरूरी हो वहां पुनर्समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत किए गए है।

बोर्ड के लिए और की ओर से
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ताक्षरित
मुकेश कुमार सुराणा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं : 07464675

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 अगस्त 2019

MoPNG e SEVA : तेल एवं गैस संबंधी किसी भी प्रश्न पर शीघ्र कार्रवाई के लिए कृपया /MoPNGeSeva | /MoPNG_eSeva पर संपर्क करें।

पहल | #GiveItUp | SANKALP SE SIDDHI | Skill India | /hpcl | /hpcl | /hpcl | www.hindustanpetroleum.com

DCM NOUVELLE LIMITED

Registered office : 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008
Corporate Identity Number : U17309DL2016PLC307204
Phone: 011-4501 3348.
E-mail:dcmnouvelleltd@gmail.com, Website:www.dcmnvl.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019

Amount (Rs. in lacs)

S. No.	Particulars	Quarter ended (Unaudited)		Year ended (Audited)
		30-Jun-19	30-Jun-18	31-Mar-19
1	Total income from operations (Net)	15857.00	16220.00	67536.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	106.00	832.00	3912.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	106.00	832.00	3912.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	68.00	832.00	3912.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	56.00	834.00	3865.00
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	1868.00	1868.00	1868.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	13061.00
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	0.37	4.45	20.94

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2019, are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company's website (www.dcmnvl.com)

Dr Meenakshi Nayar
Chairperson
DIN: 06866256

Place : New Delhi
Date : 7th August, 2019

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

संपत्ति वसूली शाखा दिल्ली, डी–26/28, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
ई–मेल –arbdelhi@unionbankofindia.com

[नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नलिखित कर्जदारों तथा गारंटरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 26–08–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा निम्नवर्णित अनुसार होगी :

क्र. सं.	शाखा का नाम, प्राधिकृत अधिकारी एवं सम्पर्क नंबर	कर्जदार का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी हेतु रखी गई अचल सम्पत्ति का वर्णन	प्रत्याभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभार, यदि कोई	प्रलक्षित अथवा भौतिक कब्जा	कर्जदार/गारंटर से वसूली हेतु बकाया (रू.)	सुरक्षित मूल्य (रू.) / ईएमडी राशि (रू.) / बोली वृद्धि राशि (रू.)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1.	संपत्ति वसूली शाखा दिवाकर चौधरी 9971781144	राधेश्याम एवं लालमति 1702, सैक्ट–23–ए, फरीदाबाद, हरियाणा यहां भी : मकान नं. 1678, मुजेशर सैक्टर–23ए, तहसील, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004	श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र श्री फकीर चन्द (गारन्टर) एमसीएफ ए–86, सैक्टर–3, राजा नाहर सिंह कालोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121005 यहां भी : प्लॉट नं. 231, सैक्टर–58, फरीदाबाद, हरियाणा–121005	तीन माले का भवन भूतल+दो फ्लोर मकान नं. 1699, एलआईजी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सैक्टर 23–ए, फरीदाबाद–121005 (हरियाणा) माप प्रत्येक फ्लोर की 40.50 वर्ग गज श्री राधे श्याम एवं श्रीमति लालमति के नाम पर चौहद्दी : उत्तर : रोड, दक्षिण : मकान नं. 1666, पूर्व : मकान नं. 1698, पश्चिम : मकान नं. 1700	नहीं	भौतिक	रू. 25,02,359.16 31.07.2015 को और अनुबंध दर और लागत पर 01.08.2015 से आगे ब्याज	रू.23.00 लाख / रू.2.30 लाख / रू.10000/-	23.08.2019, 5.00 PM
2.	संपत्ति वसूली शाखा दिवाकर चौधरी 9971781144	मैसर्स पूरनसन्स अलायस प्रा. लि. 102–103, अशोका अपार्टमेन्ट, कामर्शियल काम्पलेक्स, पटेल नगर, नई दिल्ली–110008	श्रीमति पूनम भण्डारी एफ. नं. 001, टावर–बी, रहेजा एटलेन्टिस, सैक्टर–31, गुड़गांव–122001	अचल सम्पत्ति एफ–173, निमराना ।।, इण्डस्ट्रियल एरिया, निमराना, जिला अलवर, राजस्थान माप 1964 वर्ग मीटर पूरन एलॉयस प्रा. लि. के नाम पर चौहद्दी : उत्तर : प्रवेश/रोड, दक्षिण : प्रापर्टी नं. 160, पूर्व : प्रापर्टी नं. 174, पश्चिम : प्रापर्टी नं. 172	नहीं	भौतिक	रू. 20,72,78,251.26 30.06.2014 को और अनुबंध दर और लागत पर 01.07.2014 से आगे ब्याज	रू.150.00 लाख / रू.15.00 लाख / रू.100000/-	23.08.2019, 5.00 PM
3.	संपत्ति वसूली शाखा ललित मोहन जोशी 9610447251	किप इन टच क्लॉथ प्रा. लि. शॉप नं. 3, नियर प्राइमरी स्कूल, घरोली, मयूर विहर, फेज–।।।, नई दिल्ली–110096 यहां भी : बी–63, सैक्टर–83, नोएडा, उ. प्र. –201301	श्री अम्बर जोशी एसवी–01/04, टीएफ यूटोपिया, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.–201301 श्री आकाश जोशी ईएच 1/805, यूटोपिया एलडेको, सैक्टर–93ए, नोएडा उ.प्र.–201301 सुश्री साक्षी आनन्द ईएच 1/805, यूटोपिया एलडेको, सैक्टर–93ए, नोएडा उ.प्र. –201301 सुश्री अनीता जोशी एसवी–01/04, टीएफ यूटोपिया, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ. प्र.–201301	प्लॉट नं. जी–001, (किनारे का प्लॉट) किंगस्टन पार्क–1, जेपी ग्रीन्स, सेक्टर–133, नोएडा श्री अम्बर जोशी के नाम पर माप 127.93 वर्ग मीटर उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट नं. जी–002, पूर्व : रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट	नहीं	भौतिक	रू. 8,18,33,143.09 31.01.2016 को और अनुबंध दर और लागत पर 01.02.2016 से आगे ब्याज	रू.73.00 लाख / रू.7.30 लाख / रू.10000/-	23.08.2019 by 5.00 PM
4.	संपत्ति वसूली शाखा ललित मोहन जोशी 9610447251	किप इन टच क्लॉथ प्रा. लि. शॉप नं. 3, नियर प्राइमरी स्कूल, घरोली, मयूर विहर, फेज–।।।, नई दिल्ली–110096 यहां भी : बी–63, सैक्टर–83, नोएडा, उ. प्र. –201301	श्री आकाश जोशी ईएच 1/805, यूटोपिया एलडेको, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.–201301 सुश्री साक्षी आनन्द ईएच 1/805, यूटोपिया एलडेको, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र. –201301 श्री आकाश जोशी ईएच 1/805, यूटोपिया एलडेको, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ. प्र.–201301 सुश्री अनीता जोशी एसवी–01/04, टीएफ यूटोपिया, सैक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.–201301	प्लॉट नं. जी–002, किंगस्टन पार्क–1, जेपी ग्रीन्स, सेक्टर–133, नोएडा श्री आकाश जोशी के नाम पर माप 127.93 वर्ग मीटर उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट नं. जी–003, पूर्व : प्लॉट नं. जी–001, पश्चिम : अन्य प्लॉट	नहीं	भौतिक	रू. 8,18,33,143.09 31.01.2016 को और अनुबंध दर और लागत पर 01.02.2016 से आगे ब्याज	रू.69.00 लाख / रू.6.90 लाख / रू. 10000/-	23.08.2019 by 5.00 PM
5.	संपत्ति वसूली शाखा दिवाकर चौधरी 9971781144	मैसर्स शिवालिक मेटालॉयस प्रा. लि. एम–3, अशोका अपार्टमेन्ट, रंजीत नगर, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110008	श्री विनोद कुमार भण्डारी, श्रीमति प्रीति भण्डारी एवं श्री मनीष भण्डारी सभी निवासी प्लॉट नं. 633, सैक्टर–7, गुड़गांव, हरियाणा–122001	अचल सम्पत्ति इण्डस्ट्रियल भूमि एवं भवन जी–1/1209 (बी) रामपुर मनदाना, आरआईआईसीओ इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील तिजारा, भिवाड़ी, जिला : अलवर (राजस्थान) मैसर्स शिवालिक मेटालॉयस प्रा. लि. के नाम पर माप 1000 वर्ग मीटर चौहद्दी : उत्तर : प्रापर्टी नं. : जी–1/1209–ए, दक्षिण : प्रापर्टी नं. : जी–1/1209–सी, पूर्व : प्रापर्टी नं. : जी–1/1210, पश्चिम : 24 मीटर चौड़ा रास्ता	नहीं	भौतिक	रू. 9,93,44,834.51 18.02.2015 को और अनुबंध दर और लागत पर 19.02.2015 से आगे ब्याज	रू.130.00 लाख / रू.13.00 लाख / रू.100000/-	23.08.2019 by 5.00 PM

ई–नीलामी एजेन्सी : सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर की (सम्पर्क नं. 08142000809/08142000067/1/3/6 श्री विकास – टेलिफोन नं. : 040–23836405, फैक्स नं. : 040–23836405 ई–मेल : vikas@bankauctions.in

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः www.unionbankofindia.co.in देखें।

यह सूचना उक्त ऋण के उधारकर्ताओं/तथा गारंटरों के लिए ऊपर वर्णित तिथि को ई–नीलामी विक्रय आयोजित करने के बाबत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधान तथा नियम 8(6) के अन्तर्गत एक सूचना के रूप में मानी जानी चाहिए।

स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 08.08.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संपत्ति वसूली शाखा

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(पूर्व में विनय ब्रॉडकास्ट प्रा. लि. के नाम से विदित)
पंजी. कार्यालयः 37, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
(ई) cbnl.delhi@gmail.com
(डब्ल्यू) www.sadhnabroadcast.com
CIN: L92100DL1994PLC059093
फोनः 91-11-23552627

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम तथा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य विषय पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

बोर्ड के आदेश से
साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(तजिंदर कौर)
प्रबंध निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 6.8.2019 DIN: 06799570
24/27, फ्रान्ट साइड, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008

लीडिंग लीजिंग फाइनांस

एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 1009, 10वाँ तल, प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, केन्द्रीय दिल्ली-110008
(E) leadingleashing@gmail.com
(W) www.lflfltd.com
CIN: L65910DL1983PLC016712, फोनः 011-65632288

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य व्यवसायों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

बोर्ड के आदेश से
लीडिंग लीजिंग फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(अमी जिनेश शाह)
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 6.8.2019 DIN: 06792048

कोड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी कार्या: 94, पहली मंजिल शंभू दयाल बाग मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020 टेली: 011-40551200
*Fax No.011-40551281 *Website: www.cordscable.com
E-mail: ccil@cordscable.com *CIN L74999DL1991PLC046092

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की 188वीं बैठक निम्न पर विचार के साथ-साथ अनुमोदन के लिए बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया जाना निर्धारित है
– 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही / 3 माह के लिए कंपनी के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम
– 28वीं वार्षिक साधारण बैठक का दिन, तिथि, समय व स्थान निर्धारित करने के लिए
– उसी के लिए बुक क्लोजर की तिथियां निर्धारित करने के लिए
– ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए
– 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए और एजीएम सूचित के साथ अन्य संबंधित मामलों की सूचना देना।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cordscable.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् www.bseindia.com & www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी के प्रतिभूतियों में डीलिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही / 3 माह के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटों तक सभी प्रदानित व्यक्तियों के और उनके नजदीकी संबंधियों (कोड में वर्णित अनुसार) बंद होगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कोड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
गरिमा पंत
कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 अगस्त, 2019

पशुपति फिनकैप लि.

CIN: L65990HR1996PLC033099
पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेड़ा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालयः 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड की बैठक तथा ऑडिट कमिटी की बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.6.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पशुपति फिनकैप लिमिटेड
हस्ता./-
विदित जैन
तिथिः 6.8.2019 निदेशक

पशुपति एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी मिल्स लि.

CIN: L74900HR1979PLC009789
वेबसाइटः www.pasupatitextiles.com
टेलीः 47632200
पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेड़ा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालयः 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड की बैठक तथा ऑडिट कमिटी की बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.6.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पशुपति एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी मिल्स लि.
अभिनव त्यागी
6.8.2019 कम्पनी सचिव

मदरसनसुमि इन्फोटेक एंड डिजायन्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक- बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, दिल्ली- 110044
कार्याः सी-26, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उ.प्र.
Tel: +91-120-4365555,
Fax: +91-120-4365556
Website: mind-infotech.com
e-mail: info@mind-infotech.com
CIN: U67120DL1985PLC020695

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 12 अगस्त, 2019 से 13 अगस्त, 2019 तक, 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक- बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में 13 अगस्त, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में आमंत्रित की गई वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के उद्देश्य से तथा उक्त वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृत होने वाली लाभांश का कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान के लिये उनकी शेयरधारिता को सुनिश्चित करने के लिये बंद रहेंगे।

मदरसनसुमि इन्फोटेक एंड डिजायन्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राकेश खुराना
स्थानः नोएडा प्रबंधक
तिथिः 1 अगस्त, 2019

कैन फिन होम्स लि.

पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC008699, फोनः 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेलः delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1))
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कैन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.5.2019 जारी कर ऋणधारकः 1) श्रीमती सरोज देवी, पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार, 2) श्री रोहताश कुमार पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,99,959/- (रुपये नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ उनसठ मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 10.5.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,99,959/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए सीएफएचएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

नया मकान सं.-432, पुराना मकान सं.-08, खसरा नं. 878/1, ग्राम धरगल, परगणा- जलालाबाद जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201002
उत्तरः आकाश त्यागी का प्लॉट, पूर्वः श्री महेश का प्लॉट, पश्चिमः श्री महेश के प्लॉट का शेष भाग दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रास्ता।

तिथिः 6.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली कैन फिन होम्स लि.

अशारी एजेन्सीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 601, दिल्ली कम्पाउंड जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001
(E) gondgift3000@gmail.com,
(W) www.asharigencies.in
CIN: L65921UP1985PLC007030,
फोनः 0120-4122041,

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य व्यवसायों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

बोर्ड के आदेश से
अशारी एजेन्सीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(रविन्द्र कुमार गर्ग)
स्थानः गाजियाबाद DIN: 00928635
तिथिः 06.08.2019 पदनामः निदेशक
पताः केबी-110, कवि नगर, गाजियाबाद-201001

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 5140-41/34, एफ/एफ चौधरी मार्केट गली पेटी वाली, रुई मंडी, सदर बाजार, उत्तर दिल्ली-110006
(E) nirajispatindustries@gmail.com,
(W) www.nirajispat.in
CIN: L27106DL1985PLC021811,
फोनः 011-23551821

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य व्यवसायों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

बोर्ड के आदेश से
नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(हरियंत कुमार चौधरी)
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 6.8.2019 DIN: 00021795
केडी-46, कवि नगर, गाजियाबाद-201002

आश्रित कैपिटल लिमिटेड

(पूर्व में जालान सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड के नाम से विदित)
पंजी. कार्यालयः सलेक्ट सिटी वाक, 6ठा तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
CIN No.: L65923DL1972PLC317436,
ईमेल आईडीः jalancementworklimited@gmail.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 3.00 बजे अप. में सलेक्ट सिटी वाक, 6ठा तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें निम्न व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगाः
1. 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा परिचर्चा करने तथा यदि उपयुक्त हो, उसे अनुमोदित करने।
2. अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।

साथ ही, कम्पनी के सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो 8 अगस्त, 2019 से 17 अगस्त, 2019 तक बंद रहेंगे।

आश्रित कैपिटल लिमिटेड
(पूर्व में जालान सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड) के लिये
हस्ता./-
तिथिः 6.8.2019 अंकित भाटिया
स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में
तथा
मै. आरएमडी मेडिएड्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 302-303, पूजा हाउस कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, करमपुरा, नई दिल्ली-110015, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली-110015 में है, के मामले में
--आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II (अवस्थिति क्लॉज) के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह ऊपर नामित कम्पनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालयः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आरएमडी मेडिएड्स लिमिटेड के लिए
तिथिः 29.07.2019 रविन्दर रापल शर्मा
स्थानः दिल्ली निदेशक

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 564/2018 के मामले में
एक्सिस बैंक लि. मै. धर्मेन्दर कुमार एवं अन्य
आवेदक बनाम प्रतिवादीगण
सेवा में,
डी-1. धर्मेन्दर कुमार, पुत्र श्री नेक सिंह
फ्लैट नं.-62, सीनियर सिटीजन हाउस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-93, ब्लैक गोल्ड सोसायटी के सामने, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उ.प्र.-201301
साथ हीः डायनाकॉम टैंकर्स मैनेजमेंट लि., 250, अनारकली कॉम्प्लैक्स, झण्डेवालान एक्सटें., विडियोकॉन टावर, नई दिल्ली-110055
साथ हीः ई-172, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.
डी-2. समता सिंह, पत्नी धर्मेन्द्र सिंह, फ्लैट नं.-62, सीनियर सिटीजन हाउस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-93, ब्लैक गोल्ड सोसायटी के सामने, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उ.प्र.-201301
साथ हीः ई-172, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.8.2019 **को 10.30 पूर्वा.** में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 8 जुलाई, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 532/2018 के मामले में
एक्सिस बैंक लिमिटेड - आवेदक
बनाम
मानू अरोड़ा एवं अन्य - प्रतिवादीगण
सेवा में,
डी-1. मानू अरोड़ा, 130/18, लक्ष्मी गार्डन, तिकोना पार्क के निकट, गुड़गांव, हरियाणा-122001
साथ हीं: मैकिन्से नॉलेज सेन्टर इंडिया प्रा.लि., 3रा तल, ब्लॉक iii, वाटिका बिजनेस पार्क, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा- 122001
साथ हीं: ई-मेलः er.manuarora@gmail.com
डी-2. नेहा अरोड़ा, पत्नी श्री मानू अरोड़ा, 130/18, लक्ष्मी गार्डन, तिकोना पार्क के निकट, गुड़गांव, हरियाणा-122001

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 7.8.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 5 जुलाई, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 374/2017
एक्सिस बैंक लिमिटेड ....आवेदक
बनाम
नितिन माहेश्वरी एवं अन्य
.....प्रतिवादीगण

1. नितिन माहेश्वरी, पुत्र अशोक कुमार माहेश्वरी ए-204, लक्ष्मण विहार, फेज-I, गुडगाँव-122001 साथ हीः सैमसुंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., मोबाईल बिज, 4था तल, टावर-सी, विपुल टेक, निकट स्क्वॉयर गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122001
2. रीनू सिंह, पत्नी नितिन माहेश्वरी, ए-204, लक्ष्मण विहार, फेज-1, गुडगाँव-122001
3. शुभकामना बिल्डटेक प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक, 197-ई, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-I, दिल्ली-110091. साथ हीः ए-102, प्रथम् तल, स्टार हाउस, सेक्टर-4, नोएडा-201301
साथ ही: ए-80, सेक्टर-2, नोएडा-201301

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 62,05,500/- (रुपये बासठ लाख पांच हजार पांच सौ मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 09.09.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 21 जून, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

नोएडा मेन शाखा
सैक्टर -29, ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स, गौतम बुद्ध नगर उ.प्र

अचल सम्पत्तियों के लिये
कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक आफ इंडिया, नोएडा मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.5.2019 जारी कर ऋणधारकों, नाम मै. द्वारका प्रसाद मित्तल एजुकेशन सोसायटी फॉर हार्मोनी (देश) एवं अन्यों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 23,86,95,551.52 (रुपए तैईस करोड़ छियासी लाख पंचानवे हजार पांच सौ इक्यावन तथा पैसे बावन मात्र) के साथ ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक(कों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 23,86,95,551.52 (रुपए तैईस करोड़ छियासी लाख पंचानवे हजार पांच सौ इक्यावन तथा पैसे बावन मात्र) के साथ ब्याज तथा लागतों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 300 मिन एवं 301, क्षेत्रफल माप 0.07916 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खाता नं. 121 खसरा नं. 300, क्षेत्रफल माप 0.5463 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 332, क्षेत्रफल माप 0.6040 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 332, क्षेत्रफल माप 0.0960 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 300, क्षेत्रफल माप 0.188 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 300, क्षेत्रफल माप 0.495 हेक्टे.।
मै. द्वारका एजुकेशन प्रा.लि. के नाम में स्थित ग्राम बीबीपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित खसरा नं. 300, क्षेत्रफल माप 0.685 हेक्टे.।
उसके कर्ता रंजन मित्तल के माध्यम से मै. रंजन मित्तल एंड सन्स एचयूएफ के नाम में स्थित मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार, टाउन हॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित फ्रीहोल्ड कॉमर्सियल प्रथम तल, सीलिंग लेवल तक (साउथ फेसिंग), प्लॉट नं. 203/99-बी, क्षेत्रफल माप 600 वर्ग यार्ड्स जिसमें एक बड़ा हॉल शामिल है। उत्तरः ज्ञान सदन की सम्पत्ति तथा रास्ता, दक्षिणः बंद गली, मनमोहन मित्तल की सम्पत्ति एवं अन्य, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः टाउन हाल रोड
उसके कर्ता रंजन मित्तल के माध्यम से मै. रंजन मित्तल एंड सन्स एचयूएफ के नाम में स्थित मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार, टाउन हॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) सम्पूर्ण तीसरा कॉमर्सियल फ्लोर, केवल सीलिंग लेवल तक, प्लॉट नं. 203/99-एफ, क्षेत्रफल माप 799.98 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित जिसमें एक बड़ा हॉल शामिल है। उत्तरः ज्ञान सदन की सम्पत्ति तथा रास्ता, दक्षिणः बंद गली, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः टाउन हाल रोड
श्री मन मोहन मित्तल, पुत्र स्व. श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के नाम में मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार टाउनहॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित फ्रीहोल्ड व्यावसायिक सम्पूर्ण भूतल, केवल सीलिंग लेवल तक (वेस्ट एवं साउथ फैसिंग), प्लॉट नं. 203/99 एवं 203/100 पर निर्मित, क्षेत्रफल माप 799.98 वर्ग यार्ड्स (699.12 वर्ग मी.) जिसमें दो हाल (3500 वर्ग फीट एवं 1800 वर्ग फीट शामिल है।) उत्तरः ज्ञान सदन की सम्पत्ति तथा रास्ता, दक्षिणः बंद गली, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः टाउन हाल रोड
श्री मन मोहन मित्तल, पुत्र स्व. श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के नाम में मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार टाउनहॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक प्रथम तल, केवल सीलिंग लेवल तक, प्लॉट नं. 203/99-ए पर निर्मित, क्षेत्रफल माप 111.11 वर्ग मी. जिसमें एक हॉल शामिल है। उत्तरः रंजन मित्तल के स्वामित्व में व्यावसायिक परिसर का शेष भाग, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रंजन मित्तल के स्वामित्व में व्यावसायिक परिसर का शेष भाग
नीता मित्तल, पत्नी श्री रंजन मित्तल के नाम में स्थित मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार, टाउन हॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुजज्फरनगर (उ.प्र.) में स्थित व्यावसायिक प्रथम तल, केवल सीलिंग लेवल तक, (वेस्ट फैसिंग) प्लॉट नं. 203/99-सी पर निर्मित, क्षेत्रफल 111.11 वर्ग यार्ड्स जिसमें एक हॉल शामिल है। उत्तरः रंजन मित्तल की सम्पत्ति, दक्षिणः बंद गली, पूर्वः रंजन मित्तल की सम्पत्ति, पश्चिमः टाउन हॉल रोड
नीता मित्तल, पत्नी श्री रंजन मित्तल के नाम में स्थित मोहल्ला नार्थ सिविल लाइन्स, सदर बाजार, टाउन हॉल रोड, पीस लाइब्रेरी के सामने, मुज्जफरनगर (उ.प्र.) में स्थित फ्रीहोल्ड व्यावसायिक दूसरा तल, केवल सीलिंग लेवल तक (वेस्ट फैसिंग), प्लॉट नं. 203/99-डी एवं 203/99-ई, क्षेत्रफल माप 799.98 वर्ग यार्ड्स जिसमें एक हॉल शामिल है। उत्तरः ज्ञान सदन तथा रास्ता, दक्षिणः बंद गली, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः टाउन हॉल रोड।

तिथिः 2.8.2019 स्थानः मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) (प्राधिकृत अधिकारी) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कैन फिन होम्स लि.

1ला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 CIN No. L85110KA1987PLC008699
फोनः 7625079108, 011-26435815/26430236, ईमेलः delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1))
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कैन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.5.2019 जारी कर ऋणधारकः 1) श्री अनुज गोयल,पुत्र कृष्णा गोयल, 2) श्रीमती कमलेश गोयल, पत्नी कृष्णा गोयल को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,35,331/- (रुपए नौ लाख पैंतीस हजार तीन सौ इक्कतीस मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 10.5.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 6 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,35,331/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए सीएफएचएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं.- 05, खसरा नं. 1943 एमआई, ग्राम-डासना, विराट नगर, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201002
उत्तरः 15 फीट चौड़ी सड़क पूर्वः प्लॉट का शेष भाग
पश्चिमः अन्य प्लॉट दक्षिणः अन्य प्लॉट

तिथिः 6.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः नई दिल्ली कैन फिन होम्स लि.

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

सीपी नं. 17/सीएचडी/एचआरवाई/2019

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के साथ पठित धारा 66 और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (कम्पनी की शेयर पूंजी को घटाने की प्रक्रिया) नियम, 2016 के नियम 2 के अंतर्गत याचिका के मामले में
और
डिजिस्मार्ट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम की कटौती के मामले में
डिजिस्मार्ट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएनः U72300HR2014PTC053616, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 301–306, तीसरा तल, सेन्ट्रम प्लाजा, सैक्टर–53, गोल्फ कोर्स, गुड़गांव, हरियाणा–122002 में हैं.......................................याचिकाकर्ता कम्पनी

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम की कटौती का अनुमोदन और उसके कार्यवृत्त के पंजीकरण की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ("माननीय अधिकरण") द्वारा पारित आदेष दिनाकं 5 जुलाई, 2019 ("आदेश") के माध्यम से उपरोक्त कथित याचिका को सही माना गया और पूंजी में कटौती के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया था।
आगे सूचित किया जाता है कि कथित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा 15.07.2019 को कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा ("आरओसी") के पास जमा कराई गई थी और उस पर कार्यवृत्त प्रपत्र 30.07.2019 को आरओसी द्वारा पंजीकृत किया गया। माननीय अधिकरण के कथित आदेश के अनुसार अनुमोदित और आरओसी के पास पंजीकृत कार्यवृत्त का प्रपत्र निम्नानुसार हैः

कार्यवृत्त का प्रपत्र

"डिजिस्मार्ट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी का मूल्य अब आगे से रु. 10/– प्रत्येक के 17,593 इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 1,75,930/– से घटकर रु. 10/– प्रत्येक के 879 इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 8,790/– है।"

कृते डिजिस्मार्ट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
स्थानः चंडीगढ़
तिथिः 08.08.2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

प्रधान कार्यालयः बड़ौदा हाउस, पी.बी. नं.: 506, मांडवी, बड़ौदा-390006
शाखा कार्यालयः 3631, एन.एस. रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

ई- नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 16.9.2019 के 4.00 बजे अप. तक

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणधारक द्वारा बकाये भुगतान में विफलता के बाद उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाए की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्ति की बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म द्वारा की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा एवं खाता का नाम	सम्पत्ति का विवरण / सम्पत्ति के स्वामी का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	खाता में जमा की जाने वाली ईएमडी	ई-नीलामी की तिथि / समय	निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी/ सम्पर्क व्यक्ति तथा सम्पर्क नं.
दरियागंज शाखा 3631, एन. एस. रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 खाताः प्रभु दयाल तथा अनीता देवी	ग्राम विन्दापुर, दिल्ली, टी-ब्लॉक के नाम से विदित आबादी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के क्षेत्र में खसरा नं. 11 के भाग में निर्मित सम्पत्ति सं. 77, भूमि माप 100 वर्ग यार्ड्स के पूर्वी भाग में कवर्ड एरिया 41.81 वर्ग मी. में छत के अधिकार के साथ सम्पूर्ण तीसरे तल से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री भाग चन्द तथा अनीता देवी, पत्नी श्री प्रभु दयाल	रु. 19,53,000 (रुपये उन्नीस लाख तिड़ेपन हजार मात्र) तथा अनुबंधित दर पर उस पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागत चार्जेज एवं खर्चे मांग सूचना तिथि 5.10.2018 के अनुसार	रु. 21,00,000/- रु. 2,10,000/- रु. 25,000/-	खाता नं. 016011999999 आईएफएससीः BKDN0710160	17.9.2019 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.	16.9.2019 से 21.9.2019 तक पूर्व अनुमति प्राप्त कर कार्यालय अवधि के दौरान	श्री एस एस नरूका, मुख्य प्रबंधक, मो.नं.: 9152940160

नियम एवं शर्तें

1. यह ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर आयोजित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है, लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. यह उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति तथा विनिर्देशन के विषय में उसकी जांच कर संतुष्ट हो लें। नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से 16.9.2019 से 21.9.2019 तक कार्यावधि के दौरान साईट पर किया जा सकता है।
4. यदि किसी भी प्राधिकरण (दिविप्रा, दि.न.नि. आदि) द्वारा कोई मांग उठाई जाती है तो बोलीदाता/क्रेता को ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुसार सभी बकाये (चाहे लम्बित हो अथवा उक्त बिक्री के कारण उत्पन्न हुई हो अथवा भविष्य का हो) का भुगतान करना होगा तथा बोलीदाता/क्रेता को इस संदर्भ में किसी अन्य लागतों/खर्चे का भी वहन करना होगा तथा उपरोक्त किसी भी प्राधिकरण द्वारा उठाई गई ऐसी किसी भी प्रकार की मांग के लिये बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को वेबपोर्टलः **https//bob.auctiontiger.net** (यूजर आईडी एवं पासवर्ड **https//bob.auctiontiger.net** के साथ अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपनी धरोहर राशि जमा करना होगा। धरोहर राशि का भुगतान एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से **खाता नं. 016011999999, लाभ भोगी बैंक का नामः बैंक ऑफ बड़ौदा (ई-देना बैंक), आईएफएससी कोडः BKDN0710160** में किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि धरोहर राशि के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा।
6. वेब पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के बाद इच्छुक बोलीदाता/ क्रेता को बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वेब पोर्टल में निम्न दस्तावेजों को अपलोड करना होगाः i) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान की प्रति, ii) पैन कार्ड की प्रतिः iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पास्पोर्ट आदि की स्वतः सत्यापित प्रति, **iv)** पता के प्रमाण की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त कर दी जाएगी। विधिवत रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर कर परिशिष्ट-II एवं III (निविदा सूचना में वर्णित) की स्कैन्ड कॉपी का अपलोडिंग भी आवश्यक होगा।
7. जिन इच्छुक बोलीदाताओं को लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि की जरूरत हो, वे श्री नितीश झा, मो. 7982880393, ई-प्रॉक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लि./**Auction Tiger**, ए-801, वाल स्ट्रीट-**II**, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, भारत मेलआईडीः **delhi@auctiontiger.net टेली.** 07961200595/594/598 **एवं श्री राम शर्मा, मो.** 8000023297, **ramprasad@autiontiger.net** से संपर्क करें तथा अचल सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए श्री एस.एस. नरुका, मुख्य प्रबंधक, मो.नं. 9152940160, टेली. 011-23271819, ईमेलः **daryag@denabank.co.in** से कार्यालय अवधि के दौरान कार्य दिवसों को संपर्क करें।
8. केवल ऐसे बोलीदाता जिनके पास वैध यूजर आईडी/ पास्वर्ड तथा एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का पुष्ट प्रमाण हो, वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
9. जिन इच्छुक बोलीदाता ने 16.9.2019 को 4 बजे अप. से पूर्व ऑन लाइन पद्धति में आरक्षित मूल्य से कम नहीं अपना ईएमडी जमा किए हों, ई-नीलामी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच इंटर से बिडिंग के समय प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित होगी। बोलीदाता सम्पत्ति के समक्ष "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के अंतर्गत वर्णित राशि में बोली में वृद्धि कर सकते हैं। यदि बोली ई-नीलामी की समाप्ति के अंतिम 5 मिनट में की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा (असीमित विस्तार।) उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा किए होने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इस आशय की सूचना जारी की जाएगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर/प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
10. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि में समायोजन के लिए रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के तत्काल बाद पूर्व प्रदत्त ईएमडी समायोजित करते हुए 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर बिक्री के 15वें दिन या उससे पूर्व अथवा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से नीलामी की जाएगी तथा चूक करने वाले ऋणधारक/ संपत्ति/ राशि के मामले में सभी दावे/ अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
11. संभावित योग्य बोलीदाता मै. ऑक्शन टाइमर प्रा.लि. से ई-नीलामी की तिथि से पूर्व ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित समस्या के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक अथवा मै. ऑक्शन टाइगर प्रा. लि. उत्तरदायी नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-नीलामी आयोजन में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से वे सु-सज्जित हैं।
12. क्रेता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/ अंतरण प्रभारों, शुल्क आदि के साथ ही साथ सांविधिक/ गैर सांविधिक बकाए, कर, दरों, गणना प्रभारों का भी शुल्क आदि का वहन करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ रद्द/ निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।
14. बोलीदाताओं से आग्रह है कि ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को ठीक से देख लें जो मै. ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. के वेब पोर्टल, **https://bob.auctiontiger.net** तथा बैंक की वेबसाईटः **https://bankofbaroda.com** पर **Eauction Tab** के अंतर्गत उपलब्ध है जो वे अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व देख सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथिः 08.08.2019 स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

फार्म जी

प्रपत्र जीः अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}
सौरभ (इंडिया) प्रा.लि. के संभावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	सौरभ (इंडिया) प्रा.लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	20 मई, 1994
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1994PTC059163
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 713, जीडी-आईटीएल, नॉर्थेक्स टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली उत्तर पश्चिम DL110034 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	22 मई, 2019 (आदेश 24 मई, 2019 को प्राप्त)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	7 अगस्त, 2019
8.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	सूचना cirpsurabhindia@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	सूचना cirpsaurabhindia@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	22 अगस्त, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	1 सितम्बर, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	6 सितम्बर, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	16 सितम्बर, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	6 सितम्बर, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी (1) के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिये योग्य सभी प्रस्ताव आवेदकों के लिये इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में शेयर की जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	6 अक्टूबर, 2019
17.	प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा प्रस्ताव कर्मी के पते अर्थात् के-37/ए, एलजीएफ, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों-हाथ जमा कर जिसके बाद ईमेल से उसकी पुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	जैसे ही सीओसी द्वारा स्वीकृत होता है।
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	पंकज खेतान पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	पंकज खेतान, प्रस्ताव कर्मी, एच-38, एलजीएफ, ईरोस सिनेमा के निकट, जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110014 ईमेल आईडीः pankaj.khetan@yahoo.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	पंकज खेतान के-37/e, एलजीएफ, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 cirpsaurabhindia@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	विवरण cirpsaurabhindia@gmail.com पर ईमेल भेज कर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	07 अगस्त, 2019

पंकज खेतान
प्रस्ताव कर्मी
सौरभ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014
तिथिः 7 अगस्त, 2019 **कार्यालय का पताः एच-38, एलजीएफ,**
स्थानः नई दिल्ली **ईरोस सिनेमा के निकट, जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110014**
टेलीफोन नंः 011-43542277,
ईमेल आईडीः cirpsaurabhindia@gmail.com; pankaj.khetan@yahoo.com

बिहार में गंगा किनारे 17 शहर खुले में शौच से मुक्त

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

बिहार सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को जानकारी दी कि राज्य में गंगा नदी के किनारे 17 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है और पांच शहर ओडीएफ घोषित होने की प्रक्रिया में हैं।

राज्य सरकार ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया है। इन शहरों में बाढ़, हाजीपुर, सोनपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, तेघरा, मनेर, बड़हिया, मनिहारी, बक्सर, नौगछिया, दानापुर, दिघवारा, जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर शामिल हैं। पटना, छपरा, सुल्तानगंज, खगड़िया और कहलगांव प्रक्रियाधीन हैं।

राज्य सरकार ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिकरण को सूचित किया कि 5,089.82 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत कुल 26 सीवरेज परियोजनाएं पटना, बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, मोकामा, सुल्तानगंज, नौगछिया, बाढ़, भागलपुर, सोनपुर, छपरा, खगड़िया, बख्तियारपुर, मनेर, दानापुर और फुलवारी शरीफ जैसे शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कोल्हापुर में बाढ़ से 51,000 लोग प्रभावित, नौसेना राहत कार्य में लगी

मुंबई, 7 अगस्त (भाषा)।

पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बुधवार को भी भयावह बनी रही। बाढ़ से करीब 51,000 लोग और 200 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 340 से ज्यादा पुल डूब गए हैं। कोल्हापुर और सांगली में लोगों की सहायता के लिए पश्चिमी नौसेना कमान की पांच टीमों को राहत कार्य में लगाया गया है।

कोल्हापुर के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय शिंदे ने बताया, 'कोल्हापुर के 1,234 गांवों में से करीब 204 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 11,000 परिवारों के करीब 51, 000 लोग प्रभावित हैं। इनमें से 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।' उन्होंने बताया, '342 पुल पानी में डूबे हुए हैं और यातायात के लिए बंद हैं। करीब 29 राज्य राजमार्ग और 56 मुख्य सड़कें बंद हैं। मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और कोल्हापुर-रत्नागिरि राजमार्ग अब भी बंद है।' अधिकारी ने बताया कि बचाव कार्य में 45 से ज्यादा नावों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामानों के पर्याप्त प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं।

नर्मदा का जल स्तर बढ़ा, लोगों से क्षेत्र खाली करने की अपील

इंदौर, 7 अगस्त (भाषा)।

मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने से सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले चार जिलों में नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक स्थान पर तो यह नदी खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने परियोजना का डूब क्षेत्र खाली कर लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।

सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के कारण इस बांध के बैक वाटर का स्तर बढ़ने पर मध्यप्रदेश के कई इलाकों के जलमग्न होने का खतरा है जो नर्मदा के किनारों पर बसे हैं। इनमें बड़वानी, धार, अलीराजपुर और खरगोन जिले शामिल हैं।

प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि बड़वानी जिले के राजघाट गांव में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जलस्तर बढ़ने से बड़वानी और धार जिलों के जोड़ने वाला राजघाट गांव स्थित पुराना पुल डूब गया है।

उधर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि घाटी में बसे हजारों बांध विस्थापितों का न तो उचित पुनर्वास किया गया, न ही उन्हें सही मुआवजा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध के दरवाजे फौरन खोले जाएं, ताकि मध्यप्रदेश में बांध के बैक वॉटर का स्तर कम हो सके और बड़ी डूब के खतरे को टाला जा सके।

सिवनी में बाघ के हमले से नौजवान की मौत

सिवनी, (मप्र) 7 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा बफर क्षेत्र में बाघ के हमले में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मुड़ियारीठ से सटे बफर क्षेत्र के जंगल में युवक का शव मंगलवार रात क्षत-विक्षत हालत में मिला है।

पेंच टाइगर रिजर्व के उपसंचालक एमबी सिरसैया ने बुधवार को यहां बताया कि युवक की पहचान मुड़ियारीठ गांव के निवासी मनोज धुर्वे रूप में हुई है। युवक मंगलवार सुबह खेत में धान की फसल की देखरेख करने गया था। युवक का खेत पेंच बफर क्षेत्र के जंगल से सटा हुआ है। उन्होंने कहा कि संभवतः मनोज जंगल की ओर मशरूम तोड़ने गया था। इसी दौरान बाघ ने मनोज पर हमला कर दिया। सिरसैया ने बताया कि मनोज के शाम तक घर नहीं लौटने पर उसके परिजन एवं ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान मंगलवार युवक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला।उप संचालक ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद मनोज के परिजन को अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रूपए की तत्काल सहायता दी गई । इसके अलावा चार लाख रु पए की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

करुणानिधि की पहली पुण्यतिथि पर शांति मार्च निकाला द्रमुक ने

चेन्नई, 7 अगस्त (भाषा)

द्रमुक कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष एमके स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को पार्टी के दिवंगत नेता एम करुणानिधि की पहली पुण्यतिथि पर शांति मार्च निकाला। रैली अन्ना सलाई से शुरू हुई और मरीना बीच के कामराज सलाई स्थित करणानिधि समाधि तक गई। यह दूरी एक किलोमीटर है और इसमें द्रमुक के वरिष्ठ नेताओं सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें वरिष्ठ नेताओं में दुरईमुरूगन, पूर्व केंद्रीय मंत्री टीआर बालू, दयानिधि मारन, लोकसभा सांसद कनिमोई, तमिझाची थंगपांडियन शामिल हैं।

स्टालिन ने करुणानिधि की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने नजदीक ही स्थित द्रमुक संस्थापक सीएन अन्नादुरई की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में द्रमुक की विभिन्न इकाइयां भी करुणानिधि की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा द्रमुक के संगठन 'मुरासोली' के परिसर में दिन में करुणानिधि की प्रतिमा का भी अनावरण करने का कार्यक्रम है। करुणानिधि की पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए ममता मंगलवार को ही चेन्नई पहुंच चुकी थीं। द्रमुक अध्यक्ष के भाई और पार्टी से निष्कासित एमके अलागिरी परिवार सहित अलग से करुणानिधि की समाधि पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अलागिरी को पांच साल पहले पार्टी से निकाल दिया गया था और पिछले साल सितंबर में पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली आयोजित की थी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

ONE FAMILY ONE BANK

जोनल आफिस, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-26164817/26197769 टेलीफैक्स : 26171554
ई-मेल आईडी : recovery_del@mahabank.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के अधीन आस्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सरफासी ऐक्ट तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा यहां नीचे वर्णित कर्जदारों/बंधकदाताओं की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किए जाने के अनुसरण में संबंधित कर्जदारों/बंधकदाताओं, उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों, जैसी भी स्थिति है, सहित समस्त संबंधितजन और जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सम्पत्तियों के क्रय हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित हैं।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम और पता	सम्पत्ति लॉट सं.	बंधक रखी गई सम्पत्ति का वर्णन	धरोहर राशि जमा - रू.	सुरक्षित मूल्य- रू.
1	(1) श्री गुरप्रीत सिंह (स्वामी मेसर्स इटेक इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स) दूसरी मंजिल, डब्ल्यूजेड 51, प्लॉट नंबर 11 सी, पृथ्वी पार्क, एमबीएस नगर, नई दिल्ली -110018 (2) श्रीमती परमिन्दर कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह दूसरी मंजिल, डब्ल्यूजेड 51, प्लॉट नंबर 11 सी, पृथ्वी पार्क, एमबीएस नगर, नई दिल्ली -110018	01	संपत्ति नं. 17/45 एबी, की दूसरी मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली -110018 में स्थित (बिना छत के अधिकार)	रू 5.91 लाख	रू 59.13 लाख
				(सम्पत्ति हमारे प्रतीकात्मक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
		02	संपत्ति नं. 17/45 एबी, की तीसरी मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली -110018 में स्थित (बिना छत के अधिकार)	रू 6.19 लाख	रू 61.92 लाख
				(सम्पत्ति हमारे प्रतीकात्मक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 1,08,71,904.00/- (रूपए एक करोड़ आठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चार मात्र) (+) उस पर 01-01-2019 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 01-01-2019 के बाद वसूली					
2	1) मैसर्स बीनस डायमंड्स स्वामी श्रीमती सिम्मी ढींगरा, गोल्ड प्लाजा, शॉप न. 104, गुरुद्वारा रोड, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 अन्य पता : श्रीमती सिम्मी ढींगरा, बी-32, स्वास्थ्या विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 2) श्री ध्रुव ढींगरा, बी-32, स्वास्थ्या विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 3) श्रीमती बीणा ढींगरा बी-32, स्वास्थ्या विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092	03	वाणिज्यिक स्थान एलजीएफ + जीएफ + 3 मंजिला इमारत में एलजीएफ पर, भाग 118.72 वर्ग फीट, कवरेज, भाग वियरिंग प्रा.न -एलजीएफ-14, निचली मंजिल बिना छत / छत के अधिकार वाली सम्पत्ति, 2529-2531, गली नंबर 6-7, करोल बाग, नई दिल्ली -05 में स्थित	रू 2.12 लाख	रू 21.15 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 1,06,61,168.79/- (रूपए एक करोड़ छः लाख इकसठ हजार एक सौ अड़सठ और उन्यासी पैसा मात्र) (+) उस पर 22-12-2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 22-12-2016 के बाद वसूली					
3	1) मेसर्स बीनस जेम्स इंटरनेशनल गोल्ड प्लाजा शॉप नंबर 104, प्रथम तल गुरुद्वारा रोड नाइवाला करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 यहां भी : ई-117, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली (110092) 2) श्रीमती बीना ढींगरा यूनिट नंबर एस -3, दूसरी मंजिल, क्रॉस रिवर मॉल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शहादरा, दिल्ली - 110092 यहां भी : बी -32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग दिल्ली -110092 3) श्री ध्रुव ढींगरा बी -32 स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली - 110092	04	बी+जी+3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर कॉमर्शियल स्पेस 176.50 वर्ग फीट कवरेज वियरिंग प्राइवेट नं. 104, प्रथम तल, वियरिंग नं 2058/39, गली नंबर 38 और 39 करोल बाग, नई दिल्ली -05 में श्री ध्रुव ढींगरा पुत्र श्री सुभाष ढींगरा के नाम पर	रू 4.80 लाख	रू 47.82 लाख
				(सम्पत्ति हमारे प्रतीकात्मक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
		05	2बी+जीएफ+3 मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर कॉमर्शियल स्पेस माप 382.46 वर्ग फीट सुपर एरिया, शॉप न. एस-3, एसएफ, क्रॉस रिवर मॉल, कमर्शियल प्लॉट न. 9-बी और 9- सी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, शाहदरा, दिल्ली - 110092 में श्री बिना ढींगरा पत्नी श्री सुभाष ढींगरा के नाम पर	रू 2.41 लाख	रू 24.10 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 4,99,49,140.57/- (रूपए चार करोड़ निन्यानवे लाख उनचास हजार एक सौ चालीस एवं पैसे सत्तावन मात्र) (+) उस पर 18-10-2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 18-10-2016 के बाद वसूली					
(लॉट नंबर 01 से 5 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपत्तिग्रस्त प्रबंधक शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली, फोन- 011-28753728, ईमेल bomb1933@mahabank.co.in; brmgr1933@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी- श्री राजेश गुप्ता; फोन: 9818753710					
4	1) मैसर्स एस. के. प्रिसिशन इंजीनियर्स कंपनी उधारकर्ता स्वामी श्री नीरज बाजपेयी प्लाट न. ई - 51-52, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, फरीदाबाद -121005. 2) श्री नीरज बाजपाई, ई-89 डाबुआ कॉलोनी, बिजली शिकायत केंद्र के पास, एनआईटी फरीदाबाद 3) श्रीमती उषा बाजपाई पत्नी श्री नीरज बाजपेयी गारंटर मकान न ई-89, डाबुआ कॉलोनी, बिजली शिकायत केंद्र के पास, एनआईटी फरीदाबाद	06	श्री श्रीकांत बाजपेयी के स्वामित्व मे प्लॉट नंबर ई -51 और 52, गली नंबर 28, वाका मौजा गौंछी, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद	रू 7.35 लाख	रू 73.50 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 1,98,07,523.00/- (रूपए एक करोड़ अठानवे लाख सात हजार पांच सौ तेईस मात्र) (+) उस पर 04.07.2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 04.07.2016 के बाद वसूली					
5	1) मैसर्स शनि इंटरनेशनल उधारकर्ता स्वामी श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी मकान न 889, डाबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद 121001. 2) श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी गारंटर प्लाट न. 122-123, खसरा न 44/3/2, 4, 5 संजय कॉलोनी, फरीदाबाद 121001.	07	प्लॉट नंबर 122-123, खसरा नंबर 44/3/2, 4,5, मौजा गौंछी संजय कॉलोनी फरीदाबाद -121001 का साम्यिक बंधक	रू 7.00 लाख	रू 70.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 1,61,59,821/- (रूपए एक करोड़ इकसठ लाख उनसठ हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) (+) उस पर 04.07.2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 04.07.2016 के बाद वसूली					
शाखा ऑफिस : (लाट न. 06 से 07 तक के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फरीदाबाद शाखा, हरियाणा, फोन- 0129-4020575, ई- मेल - bom365@mahabank.co.in, प्राधिकृत अधिकारी - श्री डी. बी. खट्टर - 09968316731					
6	श्रीमती प्रियंका शुक्ला पत्नी स्वर्गीय कुशाल कुमार शुक्ला - प्लॉट नंबर 7, तीसरी मंजिल, बैंक एसआईई प्लॉट नंबर 215 और 216, डी ब्लॉक, महेंद्र एन्क्लेव, खसरा नंबर 2036, ग्राम राजापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	08	फ्लैट न. 7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 215 और 216 के पीछे, डी ब्लॉक, महेंद्र एन्क्लेव, खसरा न. 2036, गांव राजापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रू 1.42 लाख	रू 14.25 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 14,02,000/- (रूपए सात लाख त्रियानवे हजार नो सौ इक्यानबे मात्र) (+) उस पर 25.04.2017 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 25.04.2017 के बाद वसूली					
7	1. मैसर्स शुभम स्टार्च केम. प्रा. लि. 59/17, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 अन्य पता : 287-सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर- 59, फरीदाबाद, हरियाणा 2. श्री आनंद अग्रवाल (गारंटर) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 3. श्रीमती नीता अग्रवाल (गारंटर) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 4. श्री आकाश अग्रवाल (गारंटर) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 5. श्री राकेश कुमार गुप्ता, मकान न. 213, सेक्टर-7ए, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद 6. मैसर्स आकाश इंटरनेशनल (एचयूएफ) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 7. मैसर्स तिरुपति इंडस्ट्रियल केमिकल प्रा. लि. 287-सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर- 59, फरीदाबाद, हरियाणा 8. मैसर्स कार्तिक इंडस्ट्रीज 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006	09	प्लॉट नं 414 भूतल पर डेढ़ मंजिला के रूप में निर्मित आवासीय भवन, सेक्टर -8, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा में माप 258.33 वर्ग गज, जो श्री आनंद अग्रवाल पुत्र श्री एम के अग्रवाल के नाम पर	रू 13.14 लाख	रू 131.40 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 10,28,65,900/- (रूपये दस करोड़ अट्ठाइस लाख पैंसठ हजार नौ सौ मात्र) (+) उस पर 04.07.2014 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 04.07.2014 के बाद वसूली					
8	1) मेसर्स शर्मा कैलिप्सो प्रा.लि. (कर्जदार) 16-सी, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 2) श्री रमेश शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110057 3) श्रीमती उषा शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग वसंत कुंज, नई दिल्ली -110057 4) श्रीमती रक्षा शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110057 5) श्री मेहर चंद अग्निहोत्री, 16-सी, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057	10	सम्पत्ति वियरिंग प्लॉट न. 40, खसरा न. 31/7, ब्लॉक -डी, गांव सफ्फीपुर रणहोला, मीरा एन्क्लेव, नांगलोई, दिल्ली -1100041	रू. 30.00 लाख	रू 300.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 42,29,00,000/- (रूपए बयालीस करोड़ उन्तीस लाख मात्र) (+) उस पर 17.02.2018 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 17.02.2018 के बाद वसूली					
शाखा ऑफिस : (लाट न. 09 और 10 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट शाखा 011-23389879, ई-मेल bom1456@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी - श्री राधे श्याम बंसल फोन - 9650566766					
9	1) एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. बी-363, 364 एवं 365 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 2) श्री. चंदर शेखर कुकरेजा पुत्र श्री चंद कुकरेजा मकान न. 10, सिविल लाइंस, पलवल, हरियाणा -121102 3) श्रीमती निशा कुकरेजा पुत्र श्री चंद कुकरेजा मकान न. 10, सिविल लाइंस, पलवल, हरियाणा -121102 4) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कालू राम न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा -121102	11	कमर्शियल सम्पत्ति जो 114-आर, न्यू कॉलोनी रोड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस के सामने, पलवल, हरियाणा -121102 (250 वर्ग गज) में	रू 15.60 लाख	रू 156.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे प्रतीकात्मक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	12.09.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 26,73,40,870/- (रूपए दो करोड़ सड़सठ लाख चौंतीस हजार और अड़तीस मात्र) (+) उस पर 24.10.2018 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 24.10.2018 के बाद वसूली					
शाखा ऑफिस : (लाट न. 11 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नॉएडा मेन शाखा 0120-2546200, ई-मेल : bom974@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी - श्री प्रमोद कुमार फोन - 8408023525					
10	1) मैसर्स एसवी एंटरप्राइजेज (स्वामी श्री विजेंद्र अहलावत पुत्र श्री सतपाल अहलावत), प्लॉट नंबर 253, सेक्टर - 6, आईएमटी मानेसर गुड़गांव 2) मैसर्स टीएसएस एक्सपोर्ट्स (स्वामी श्रीमती अंजू खन्ना पत्नी श्री पीएन खन्ना), डी -45, नारायणा विहार, नई दिल्ली -110028 3) श्री विजेन्द्र अहलावत सी-202, चित्रकूट अपार्टमेंट सेक्टर - 22 द्वारका नई दिल्ली	12	ए) यह संपत्ति एक खुली भूमि , जिसमें प्लॉट नंबर एफ- 835, गारमेंट जोन, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, गांव पथरेडी, भिवाड़ी , राजस्थान, माप 2000 वर्गमीटर जो मेसर्स टीएसएस एक्सपोर्ट्स के नाम पर	रू 4.40 लाख	रू 44.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
		13	ए) यह संपत्ति एक खुली भूमि , जिसमें प्लॉट नंबर एफ- 836, गारमेंट जोन, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, गांव पथरेडी , भिवाड़ी , राजस्थान, माप 2000 वर्गमीटर जो मेसर्स टीएसएस एक्सपोर्ट्स के नाम पर	रू 4.40 लाख	रू 44.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	28.08.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 10,82,95,481/- (रूपए दस करोड़ बयासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ इक्यासी मात्र) (+) उस पर 21.02.2014 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 21.02.2014 के बाद वसूली					
शाखा ऑफिस : (लाट न. 12 और 13 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुशांत लोक शाखा फोन -0124-4047136,4047137, 2573714, 2386201, ई-मेल : bom1295@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी - श्री एस.एन.अलुवाला फोन - 9110782620					
11	1 मेसर्स गौरीसुता बिल्डहोम प्रा लि. (कर्जदार) ई 17, यूपीएसआईडीसी, साइट-बी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ.प्र. -201306 अन्य पता - मैसर्स गौरीसुता बिल्डहोम प्रा लि न. 38, सी-ब्लॉक, डीडीए मार्केट, सूरजमल विहार, नई दिल्ली -110092 2 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशोरी मोहन शर्मा (निदेशक / गारंटी) सी- 1001, गेटवे टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, जिला, गाजियाबाद, उ.प्र. 201306 3 श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्र श्री सुनील कुमार (डायरेक्टर/गारंटी) सी- 1001, गेटवे टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, जिला, गाजियाबाद, उ.प्र. 201306 4 श्री निलय नीतीश पुत्र श्री उमापति सहाय (डायरेक्टर / गारंटी) डुप्लेक्स -87, ब्लॉक-ए, रजत विहार, सेक्टर -62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र -201301 अन्य पता : मकान न 401बी , ओबेरॉय गार्डन -1, वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे, कांदिविली (ई), मुंबई 5 श्रीमती तृप्ति शर्मा पत्नी श्री निलय नीताश (डायरेक्टर / गारंटर) डुप्लेक्स -87, ब्लॉक-ए, रजत विहार, सेक्टर -62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201301 अन्य पता : (i) हाउस प्रॉपर्टी प्लॉट नं 280, सेक्टर सिग्मा 2, ब्लॉक सी, ग्रेटर नोएडा, (ii) हाउस प्रॉपर्टी नंबर 401बी , ओबेरॉय गार्डन -1, वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे, कांदिविली (ई), मुंबई	14	मकान सम्पत्ति प्लॉट न. 280, सेक्टर सिगमा 2, ब्लॉक सी, ग्रेटर नोएडा जो श्रीमती तृप्ति शर्मा के नाम	रू 10.30 लाख	रू 103.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि	12.09.2019
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी) तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ
बकाया राशि (रू) रू. 301,25,332.00/- (रूपए तीन करोड़ एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) (+) उस पर 15.04.2017 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज (-) 15.04.2017 के बाद वसूली					
शाखा ऑफिस : (लाट न. 14 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नोएडा मेन ब्रांच 0120-2546200, ई-मेल : bom1201@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी - श्री हरिशंकर वत्स फोन - 8516888787					

बिक्री पूर्णतया निविदा प्रपत्र में निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अधीन है तथा **"जैसा है जहां है"** और **"जो है जहां है"** आधार पर है।

1. नीलामी बिक्री/बोलीदान केवल वेबसाइट **https://bom.auctiontiger.net** के माध्यम से **"ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान"** प्रक्रिया से किया जाएगा।
2. (क) इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर पंजीकृत करवाकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल)** से निःशुल्क प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उनको ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
   (ख) बोलीदाता द्वारा ऑफलाइन बिड, केवाईसी दस्तावेज तथा ईएमडी राशि जमा करने हेतु **लॉट सं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 एवं 13 के लिए अंतिम तिथि :- 27-08-2019 को** अप. 03.00 **बजे** तक एवं **लॉट सं. 11 एवं 14 के लिए अंतिम तिथि :- 11-09-2019 को अप. 03.00 बजे** तक है।
   (ग) इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ ईएमडी जमा हेतु प्रमाण जैसे यूटीआर नंबर (घ) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि, (एफ) पत्राचार हेतु वर्तमान पता, (एफए) बोलीदाता का पैन कार्ड, (एफ) वैध ई-मेल आईडी, (अ) बोलीदाता का सम्पर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली पिन कोड-110066 के प्राधिकृत अधिकारी को अप. 03.00 बजे तक सौंप देने चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की ई-मेल आईडी **recovery_del@mahabank.co.in**, पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का विवरण ऊपर वर्णित किया गया है।
   (घ) पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम की पहचान बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तृतीय तल, 15 एनबीसीसी टावर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा की जाएगी। **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि.** ग्राह्य बोलीदाताओं के पैन कार्ड की विधिवत जांच कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी करेंगे।
3. नीलामी की तिथि और समय **लॉट सं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 एवं 13 के लिए 28-08-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी)** तक है। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार। **लॉट सं. 11 एवं 14, के लिए 12-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे (आईएसटी)** तक है। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार।
4. नीलामी उपरोक्तानुसार सुरक्षित मूल्य से प्रारंभ होगी। बोलीदाता अपनी बोली रू. 10,000/- के गुणकों (बोली गुणक) में बढ़ा सकेंगे।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर अपना नाम पंजीकृत करा लेना चाहिए तथा मै. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर लेना चाहिए, तदनंतर उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. प्रत्याशित बोलीदाता **मैसर्स एबीसी प्रोक्योर, (ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) अहमदाबाद से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। (सपर्क सं. - 079-40230 801/806/813/816/818/814; सपर्क व्यक्ति कुशल कोठारी मोबाइल नं. 07940005416 ई-मेल - kushal@auctiontiger.net; श्री रिकिन ब्रह्मक्षत्रिय, मोबाइल नं. 9978591888 ई-मेल - rikin@auctiontiger.net, श्री नीतीश झा, मोबाइल नं. 8800896847 ई-मेल - delhi@auctiontiger.net; सपोर्ट लैंडलाइन्स : 079 40230833/832/831/816/817/818/819/820.**
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से **खाता संख्या 60121785733** 'प्राधिकृत अधिकारी सरफासी ऐक्ट ईएमडी' के नाम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ एक्सटेंशन शाखा **आईएफएससी कोड सं. MAHB0000392** में अथवा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र...** ..... सम्पत्ति लॉट सं. .... एवं कर्जदार का नाम ...... " के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से आहरित दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आनलाइन निविदा जमा करने से पहले जमा करनी होगी। ईएमडी केवल बोलीदाताओं के खाते से जमा की जाएगी तथा बैंक द्वारा केवल प्रेषक खातों को ही वापस की जाएगी।
8. उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में धरोहर राशि समायोजित की जाएगी अन्यथा बिक्री को अंतिम रूप दिए जाने के 15 कार्यदिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
9. इच्छुक पार्टियां उस संपत्ति के लिए केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि से लेकर प्रकाशन की तारीख तक किसी भी दिन ऊपर दी गई संबंधित शाखाओं के साथ उपयुक्त नियुक्ति प्राप्त करने के बाद साइट पर मौजूद संपत्तियों का निरीक्षण कर सकती हैं।
10. उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में एओ द्वारा बोली की मंजूरी पर बोली/क्रय राशि की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि समायोजित करते हुए, यथाशीघ्र पर अगले दिन अप. 2.00 बजे तक हर हाल में जमा करनी होगी अन्यथा उनकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता/खरीदार माना जाएगा बशर्ते कि वह बोली देने हेतु कानूनी तौर पर हमेशा पात्र रहा है। उच्चतम/सफल बोलीदाता उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा के 15 दिनों के भीतर बोली की शेष राशि 75 प्रतिशत जमा करनी होगी। हालांकि अधिकृत अधिकारी सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय उक्त नीलामी की शर्तों में कोई भी शर्त जोड़, बदल या संशोधित कर सकता है तथा उच्चतम बोलीदाताओं सहित सभी बोलीदाताओं को उस शर्त या संशोधन को मानना होगा।
11. इस नोटिस में कुछ भी नहीं है या इसे बैंक की ओर से ऊपर की संपत्ति/यों बेचने के लिए किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व के गठन के लिए समझा जाएगा। बैंक / प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से कोई भी कारण बताए बिना या किसी भी कारण के लिए बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस तरह के रद्दीकरण को बोलीदाताओं द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।
12. यदि इस तरह की बिक्री पर किसी भी कर की देयता, जुर्माना या किसी भी प्रकार के शुल्क किसी भी प्राधिकारी द्वारा लगाए जाते हैं, तो यह केवल बिक्री मूल्य के अतिरिक्त क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा भी यदि किसी प्राधिकरण को सम्पत्ति पर कोई देयता अथवा दस या प्रभार देय है/वसूल किए जाने हैं, तब भी यह केवल क्रेता द्वारा बिक्री मूल्य के अतिरिक्त वहन किया जाएगा। बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री पर 1 प्रतिशत टीडीएस (जहां लागू है) का भुगतान, उपरोक्त सुरक्षित मूल्य के अतिरिक्त, सीधे सरकार को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार करना होगा। पंजीकरण प्रभार भी क्रेता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
13. यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों के लिए पंद्रह दिन तथा तीस दिन, जैसी भी स्थिति है, की अग्रिम सूचना भी है।
14. विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी दस्तावेजों, ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी के सामान्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध है :
    क) **https://bom.auctiontiger.net** ख) **http://www.bankofmaharashtra.in/** ग) **http://www.eprocure.gov.in/**

विशेष अनुदेश/चेतावनी -

बोलीदाताओं को अपने स्वयं के हित में अंतिम मिनटों/सेकंडों में बोली देने से बचना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा सेवा प्रदाता किसी तकनीकी गड़बड़ी या इंटरनेट की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से बिजली आपूर्ति बैक-अप इत्यादि के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्पों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि वे इस प्रकार की जटिल स्थिति में नहीं फंसे तथा ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तिथि : 08-08-2019 **स्थान : नई दिल्ली** **(प्राधिकृत अधिकारी)**

बैंकों ने ब्याज दरों में 0.75 फीसद कटौती में से मात्र 0.29 फीसद लाभ ग्राहकों को दिया : दास

मुंबई, 7 अगस्त (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पिछली तीन मौद्रिक समीक्षाओं के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में कुल 0.75 फीसद की कटौती की गई लेकिन बैंकों ने इस दौरान अब तक ग्राहकों को कर्ज पर ब्याज में कुल 0.29 फीसद की कमी का ही लाभ दिया है। उन्होंने बैंकों से सस्ते धन का और अधिक लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.35 फीसद की कटौती कर इसे 5.4 फीसद पर ला दिया है। इसे मिलाकर साल 2019 में नीतिगत ब्याज दर में कुल 1.10 फीसद की कमी हो चुकी है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को एक दिन के लिए नकदी उधार देता है। इसके यह दर कम होने से बैंकों के धन की लागत कम होती है और वे भी ग्राहकों को कम दर पर उपलब्ध करा सकते हैं।

आरबीआइ गवर्नर दास ने कहा कि बैंकों ने उनके ऋण ग्राहकों को मात्र 0.29 फीसद ब्याज दर कटौती का लाभ पहुंचाया है जबकि जून तक रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.75 फीसद की कटौती की थी। उन्होंने कहा कि बैंकों ने ऐसा तब अपना रखा है जबकि वे जिस वित्तीय बाजार पर निर्भर करते हैं वह रिजर्व बैंक की नीतियों के हिसाब से चल रहा है।

दास ने यहां संवाददाताओं से कहा- हम उम्मीद करते हैं कि नीतिगत निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले हफ्तों और महीनों में बैंक काम करेंगे। अगस्त की मौद्रिक समीक्षा नीति में ब्याज दरों में 0.35 फीसद की कटौती का निर्णय 4:2 की सहमति से किया गया।

बैंक नीतिगत दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दें : उद्योग जगत

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

भारतीय उद्योग जगत ने भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में बुधवार को 0.35 फीसद की कटौती का स्वागत किया है और अपील की है कि वाणिज्यिक बैंक नीतिगत ब्याज दर में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दें ताकि निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिल सके।

उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि बुधवार की दर कटौती और बैंकिंग प्रणाली में तरलता (नकद धन) की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता के बाद यह महत्त्वपूर्ण है कि व्यावसायिक बैंक अपनी ऋण ब्याज दरों में कटौती कर नीतिगत दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें उपभोग और निवेश में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा कि रेपो दरों में कटौती से उपभोग को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूंजी की लागत कम होने से उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। तलवार ने कहा कि दरों में कटौती का लाभ जमीन तक पहुंचाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को अपनी ऋण ब्याज दरों में कटौती करनी होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में रेपो दर पांच फीसद से नीचे आएगी। इससे तरलता बढ़ेगी और उद्योग को कर्ज उपलब्ध होगा विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र को क्योंकि उनकी पूंजी की लागत में कमी आएगी। रेपो दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराता है।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार रेपो दरों में कमी का प्रभाव ऋण ब्याज दरों में सस्ते होने से होगा। इससे बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर घटाई है। इस समय रेपो दर 5.40 फीसद पर नौ साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस समय अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोक्ता मांग में नरमी के चलते केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.9 फीसद रहने का ताजा अनुमान लगाया है। यह उसके जून के सात फीसद के अनुमान से कम है।

सोना रेकार्ड 38,000 रुपए के करीब पहुंचा

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बुधवार को 1,113 रुपए की तेजी के साथ 37,920 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर को छू गया। अमेरिका और चीन के बीच ताजा व्यापार तनाव के बढ़ने से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के विकल्प के बतौर सर्राफा की ओर रुख किया जिससे विदेशी बाजारों में तेजी का रुख रहा। इसके अलावा निवेशकों की सतत लिवाली से सोने में यह तेजी देखने को मिली। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का उठाव बढ़ने के कारण चांदी भी 650 रुपए बढ़कर 43,670 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख के साथ स्थानीय मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में सोने का भाव 1,487.20 डॉलर प्रति औंस था, जबकि चांदी में 16.81 डॉलर प्रति औंस पर बोली लग रही थी।

अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने कहा- घरेलू बाजार में आज तक 37,920 रुपए प्रति 10 ग्राम का सोने का मूल्य, सर्वाधिक मूल्य है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं और सोमवार को यह 36,970 रुपए के स्तर पर जा पहुंची थी।

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 1,113 रुपए बढ़कर 37,920 रुपए हो गया, जबकि 99.5 फीसद वाला सोना 1,115 रुपए बढ़कर 37,750 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। गिन्नी का भाव भी 200 रुपए बढ़कर 27,800 रुपए प्रति आठ ग्राम हो गया। चांदी तैयार की कीमत 650 रुपए बढ़कर 43,670 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि चांदी साप्ताहिक डिलीवरी की कीमत 694 रुपए बढ़कर 42,985 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। चांदी के सिक्कों की अच्छी मांग रही और इनकी कीमतें 1,000 रुपए की तेजी के साथ लिवाल 86,000 रुपए और बिकवाल 87,000 रुपए प्रति सैकड़ा पर बंद हुई।

एसबीआइ ने कर्ज पर ब्याज दर 0.15 फीसद घटाई

मुंबई, 7 अगस्त (भाषा)। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कर्ज पर ब्याज दर में 0.15 फीसद कटौती की घोषणा की। यह कटौती 10 अगस्त से प्रभाव में आएगी।

रिजर्व बैंक के वृद्धि दर अनुमान कम किए जाने से सूचकांक 286 अंक टूटा

मुंबई, 7 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक के द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम किए जाने से शेयर बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक बुधवार को 286 अंक टूटकर 36,690.50 अंक पर बंद हुआ। नीतिगत दर में 0.35 फीसद की बड़ी कटौती के बावजूद बाजार नीचे आया। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 286.35 अंक यानी 0.77 फीसद की गिरावट के साथ 36,690.50 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92.75 अंक यानी 0.85 फीसद टूटकर 10,855.50 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले, दिन में भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नीतिगत दर में 0.35 फीसद की कटौती की। इस कटौती के बाद रेपो दर नौ साल के न्यूनतम स्तर 5.40 फीसद पर आ गई।

यह लगातार चौथा मौका है जब नीतिगत दर में कटौती की गई है। इसके साथ आरबीआइ ने मांग और निवेश में नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 6.9 फीसद कर दिया है। इससे पहले, जून में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा वृद्धि दर 7 फीसद रहने का अनुमान जताया गया था।

ब्याज दर से जुड़े ज्यादातर शेयर नुकसान में रहे। बीएसई वाहन, बैंक सूचकांक, वित्त और रीयल्टी सूचकांकों में 2.10 फीसद की गिरावट आई। सूचकांक के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में 52.56 फीसद घटकर 894.11 करोड़ रुपए रहने से शेयर 5.62 फीसद नीचे आ गया। वाहनों की बिक्री कम होने से लाभ प्रभावित हुआ।

नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई, वेदांता, एक्सिस बैंक, आइटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, एल एंड टी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और कोटक बैंक शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एचयूएल, येस बैंक, हीरो मोटो कार्प, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में 1.95 फीसद तक की तेजी आई।

ड्रिप कैपिटल के सहसंस्थापक और सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्कर मुकेवार ने कहा कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात फीसद से घटाकर 6.9 फीसद करने से संभवतया अल्पकाल में बाजार धारणा प्रभावित हुई है। इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी प्रवाह बढ़ने से कर्ज उपलब्धता भी बढ़ेगी।

निर्यातकों ने रिजर्व बैंक से किया आसान कर्ज का आग्रह

कोयंबटूर, 7 अगस्त (भाषा)।

निर्यातकों ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.35 फीसद की कटौती का स्वागत करते हुए रिजर्व बैंक से निर्यातकों को कर्ज वितरण में तेजी लाने और दर कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

निर्यातकों ने कहा है कि रिजर्व बैंक को खासतौर से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र में आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा कि निर्यातक इस समय वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बाजारों में मंदी चल रही है ऐसे में निर्यातकों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसमें प्रक्रियात्मक अड़चनें नहीं आनी चाहिए जिसमें थका देने वाली दस्तावेजी प्रक्रिया होती है।

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०

बी एण्ड आर B AND R

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No. U27310WB1920GOI003601

"कांकरिया सेंटर", (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना : ई-(निआसू) सं० : मैट (पी)/ ईआरई/ डंब बार्ज/ 702, दिनांक : 08.08.2019

मेसर्स कएमसा, कोलकाता के "सदा पुरान आइजाडब्ल्यूटापा का बचाव के लिए बड़ पमान पर कटाव से तट सुरक्षा" हेतु 4 प्वाइंट मूरिंग विंचेज के साथ न्यूनतम 75 एमटी क्षमता के क्रेन को ढोने के लिए सक्षम 01 नग डंब बार्ज, न्यूनतम 180 एमटी शीट पाइल्स को ढोने के लिए सक्षम 01 नग डंब बार्ज, बार्ज मूवमेंट हेतु 01 नग एंकर हैंडलिंग टग, 01 नग पैसेंजर वोट व उपयस्करों को भाड़े पर लेने के लिए ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि० द्वारा दो भाग प्रणाली में ऑनलाइन बोली आमंत्रित है।

इच्छुक बोलीदाताओं को http://eprocure.gov.in/eprocure/app में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।

प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि : 22.08.2019 को 16.00 बजे तक

इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टल : http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जारी की जाएगी।

Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya
J.L.N. Marg, Jaipur-302015 (Rajasthan)

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited for 'Expansion of Building' work from 'A' Class contractors registered with Central / State Government Departments or any other Statutory Authority, obtain Tender Forms from the college office between 10 am to 3 pm:

Estimated Cost	5.60 Crores
Earnest Money	Rs. 11,20,000/-
Tender Cost	Rs. 2000/-
Date of Sale of Tender	10.08.2019 to 09.09.2019

Secretary

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय,
सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्यों के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:

(1) एनआईटी संख्या: 33/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_176557_1
कार्य का नाम: अनुसूचित जाति/जन जाति बस्तियों में सुधारीकरण कार्य: दिल्ली सरकार, दिल्ली.
उप शीर्ष: जे जे कालोनी इन्द्रपुरी (विधान सभा क्षेत्र-39: राजेन्द्र नगर के ब्लाकः ए में (निकट ए-322 व झुग्गी नं. बी. 46) चौपाल का निर्माण
अनुमानित लागत: Rs. 82,74,555.00 — धरोहर राशि: Rs. 1,65,500.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 240 Days

(2) एनआईटी संख्या: 34/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177700_1
कार्य का नाम: अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं का विकास
उप शीर्ष: विधान सभा क्षेत्र संख्या 23 करोल बाग के एम.एम. रोड, टी-हट्सः रानी झांसी रोड की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट के फर्श व बरसाती पानी की निकास व्यवस्था
अनुमानित लागत: Rs. 1,90,80,065.00 — धरोहर राशि: Rs. 3,81,700.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days

(2) एनआईटी संख्या: 35/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177702_1
कार्य का नाम: ई.आई.यू.एस.
उप शीर्ष: फरिस्ता सोप फैक्ट्री ओल्ड रोहतक रोड शहजादा बाग (एसी-19 सदर बाजार) के निकट जे जे बस्ती में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां एवं नालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार
अनुमानित लागत: Rs. 38,10,819.00 — धरोहर राशि: Rs. 76,300.00
निविदा मूल्य: Rs. 500.00 — कार्य अवधि: 120 Days

(4) एनआईटी संख्या: 36/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177703_1
कार्य का नाम: सामुदायिक भवन निर्माण
उप शीर्ष: रंजीत नगर, गली नं. 10 पटेल नगर (विधान सभा क्षेत्र-24) में सामुदायिक भवन का सुधारीकरण व नवीकरण
अनुमानित लागत: Rs. 33,40,033.00 — धरोहर राशि: Rs. 66,850.00
निविदा मूल्य: Rs. 500.00 — कार्य अवधि: 180 Days

(5) एनआईटी संख्या: 37/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177704_1
कार्य का नाम: सामुदायिक भवन निर्माण
उप शीर्ष: पटेल नगर (विधान सभा क्षेत्र-24) के प्रेम नगर, में सामुदायिक भवन का सुधारीकरण व नवीकरण
अनुमानित लागत: Rs. 51,97,633.00 — धरोहर राशि: Rs. 1,04,000.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days

(6) एनआईटी संख्या: 38/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177706_1
कार्य का नाम: निर्मित सुविधाएं (समुदाय भवन/ बस्ती विकास केंद्र).
उप शीर्ष: 1105-09 गली समोसान, फराशखाना- बल्लीमारान (विधान सभा क्षेत्रः 22) के समुदाय भवन का उन्नतिकरण, सुधारीकरण व चबूतरा/ छज्जा पर अस्थाई औसारे का निर्माण
अनुमानित लागत: Rs. 87,08,282.00 — धरोहर राशि: Rs. 1,74,200.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days

(7) एनआईटी संख्या: 39/EEC-10/DUSIB/2019-20 — निविदा संख्या: 2019_DUSIB_177707_1
कार्य का नाम: अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं का विकास
उप शीर्ष: विधान सभा क्षेत्र संख्या 23 करोल बाग के टैंक रोड बापा नगर (वार्ड नं. 92 ई.बी. 10) में सामुदायिक भवन का सुधारीकरण व उन्नतिकरण
अनुमानित लागत: Rs. 1,97,67,229.00 — धरोहर राशि: Rs. 3,95,500.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days

* निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 19 अगस्त, 2019 के 15.00 बजे तक
* निविदा खोलने की तिथि: 19 अगस्त 2019 के 15.30 बजे के बाद
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
** सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
कार्यकारी अभियन्ता
सी-10, डी.यू.एस.आई.बी.

DIP/Shabdarth/0495/19-20

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्तिमार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016, टेलीफैक्स: 011-4885/884,
ई-मेल: engg.cwhc@cewacor.nic.in, वेबसाइट: www.cewacor.nic.in

स.कैमनि/नि.का.-इंजी./प्रैस नोट/2019-20/2415 — दिनांक: 07.08.2019

ई-टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदा ऑनलाइन भेजने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	सैन्ट्रल वेअरहाउस, गोला गोकरन नाथ (यू.पी.) में गोदामों, आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण तथा एसी शीट रूफिंग को बदलना।	367.03	06.09.2019

अनुबंध की शर्तें और ई-टैंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टैंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

CONCOR
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
Regd. Office : CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076.

खुली निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया)
निविदा सं. कॉन/टी/बीसीएस/सीबीसी-5520/2019

कॉनकॉर द्वारा नवीनतम संशोधन या नवीनतम ड्राइंग के साथ आरडीएसओ विनिर्देशन सं डब्ल्यूडी-70-बीडी-10 के अनुसार 25टी एक्सल लोड वैगनों के लिए 5520 नग अपग्रेडेड हाई टेन्साइल सेंटर बफर कपलर एवं इसके कम्पोनेंट्स की आपूर्ति के लिए आरडीएसओ अनुमोदित स्रोतों से दो पैकेट खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा संदर्भ	निविदा सं. कॉन/टी/बीसीएस/सीबीसी-5520/019
निविदाकृत मात्रा	5520 नग
निविदा सुरक्षा (धरोहर जमा राशि)	₹ 10,00,000/-
दस्तावेज की कीमत	₹1,000 कॉनकॉर के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अ-प्रतिदेय)	₹ 5310.00 (जीएसटी @18% सहित) कॉनकॉर के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से
निविदा पूर्व बैठक	14.08.2019 (12:00 बजे)
निविदा बिक्री अवधि (ऑनलाइन)	08.08.2019 (11:00 बजे) से 28.08.2019 (18:00 बजे)
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	29.08.2019 (17:00 बजे तक - भारतीय मानक समय)
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	30.08.2019 को 11:00 बजे
खुलने का स्थान	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड (अपोलो अस्पताल के सामने), नई दिल्ली-110076
पत्राचार का पता	समूह महाप्रबंधक (तकनीकी) भारतीय कंटेनर निगम लि. कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076 (भारत) फोन: 91-11-41673084/41673085 फैक्स: 91-11-41673071 ई-मेल: ggmtofficeco@concorindia.com

समूह महाप्रबंधक (तकनीकी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

शुद्धिपत्र-2

हमारे दिनांक 26 जुलै, 2019 के कॅलेंडर 2020 संदर्भित आरएफपी का शुद्धिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर अपलोड किया गया है।

07/08/2019 पुणे — सहा. महाप्रबंधक, विपणन व प्रचार

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू)-I
ओवरहेड टैंक, भारती कॉलेज के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली
प्रैस एनआईटी सं. 12 (2019-20)/एसडब्ल्यू-I

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एसडब्ल्यू-I) के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र (एसी-33) में गीतांजलि पार्क, हरिजन बस्ती (आरजेड-एच-70 से आरजेड-एच-56 तक तथा आरजेड-एच-44 से आरजेड-एच-65 तक तथा आरजेड-एच-42 से आरजेड-एच-28 तथा आरजेड-एच-15 से आरजेड-एच 1 तक तथा आरजेड-एच-64 से आरजेड-एच-7 तक) 100 एमएम डाया वाटर लाइन के पी/एल तथा आरईपीएल द्वारा जलापूर्ति का सुधार।	रु. 3266479/-	निविदा आईडी 2019_DJB_177679_1 3.8.2019 3.17 अप. से	19.8.2019 3.05 अप. तक

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/249 — कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू)-I

सहयोग मल्टीबेज लिमिटेड

(पूर्व में सहयोग क्रेडिट्स लिमिटेड विदित)
CIN: L74110DL1992PLC116773
पंजी. कार्यालयः मकान सं. 9, रोड नं. 13, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
वेबसाईटः www.sahyogmultibaselimited.com, ईमेल आईडीः sahyogcredit@yahoo.com

30 जनू, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

रु. लाखों में

विवरण	30 जून, 2019 को समाप्त तीन महीने (अनंकेक्षित)	30 जून, 2018 को समाप्त तीन महीने (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2019 को समाप्त तीन महीने (अंकेक्षित)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2178.43	2817.23	6282.06	12776.64
विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ	33.20	3.80	5.09	20.57
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	33.20	3.80	5.09	20.57
कर से बाद शुद्ध लाभ	41.17	2.64	1.42	9.67
अवधि के लिये कुल व्यापक आय	823.80	2.64	165.34	(53.91)
इक्विटी शेयर पूंजी (रु.)	797.60	797.60	797.60	797.60
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)				
1. मूल	10.33	0.03	0.02	0.12
2. तरल	10.33	0.09	0.02	0.12

टिप्पणी:

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 6 अगस्त, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किये गये। यह ऑडिट कम्पनी के सांविधिक ऑडिटरों द्वारा की गई है तथा उन्होंने अ-संशोधित अभिमत के साथ अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी किये हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
सहयोग मल्टीबेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
हिमांशि नेगी
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 06.08.2019

केनरा बैंक Canara Bank — कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(A Government of India Undertaking)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का संख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिये निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों/मालिकों को विशेषतः तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	एसएमई शाखा भोपा रोड, मुजफ्फरनगर	श्री सलीम पुत्र बसीर अहमद	संपत्ति के सभी भाग व पार्सल निर्मित मकान नंबर 763 क्षेत्रफल 100.777 वर्ग गज, जिसका मतलब 90.338 वर्ग मीटर है। मौहल्ला खालापार दक्षिण नई आबादी, मुजफ्फरनगर। श्री सलीम पुत्र बसीर अहमद के नाम। सीमायें:- उत्तर: रस्ता, दक्षिण: हाजी दिलशाद का प्लॉट, पूर्वः नसीम का मकान, पश्चिम: श्री इदरीश का मकान।	24.08.2018 Rs. 638642.56 + ब्याज व अन्य खर्चे	05.08.2019 मुजफ्फरनगर
2.	मुजफ्फरनगर मैन शाखा	श्री नरेश कुमार पुंडीर	ईएमटी एक मकान क्षेत्रफल 51.66 वर्ग गज, मकान नंबर 1549, जनकपुरी, मुजफ्फरनगर। सीमायें:- पूर्व: गड़रियों की सम्पत्ति, पश्चिम: वेद सिंह की सम्पत्ति, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: त्यागी जी की सम्पत्ति	04.04.2019 Rs. 474203.36 + ब्याज व अन्य खर्चे	05.08.2019 मुजफ्फरनगर
3.	मुजफ्फरनगर मैन शाखा	मैसर्स महादेव इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट; गारंटर: संजय शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, गारंटर: अंजलि शर्मा पत्नि विक्रांत शर्मा, को-ऑब्लिगेंट: विक्रांत शर्मा, सभी 141/1, साउथ सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर; को-ऑब्लिगेंट: रविंदर कुमार, न्यू इंद्रा कॉलोनी, सौराज लेन के पास, मुजफ्फरनगर	ईएमटी भूमि और भवन स्थित खसरा नंबर 1122, ग्राम सिसौना परगना जिला मुजफ्फरनगर। सीमायें:- पूर्व: 11' चौड़ी रोड, पश्चिम: श्री बलदेवा और हरदेवा की भूमि, उत्तर: 15' चौड़ी रोड, दक्षिण: श्री बलदेवा और हरदेवा की भूमि.	18.04.2019 Rs. 1177977.39 + ब्याज व अन्य खर्चे	05.08.2019 मुजफ्फरनगर
4.	देवबंद शाखा	श्री मौहम्मद अकरम प्रोपराइटर मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स	एक दुकान साउथ फेसिंग, क्षेत्रफल पूर्व की ओर 27 फीट, उत्तर की ओर 7 फीट और दक्षिण की ओर 7 फीट, कुल क्षेत्रफल 17.57 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला पठानपुरा, मिला रोड, देवबंद परगना और तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। मौहम्मद अकरम पुत्र श्री मौहम्मद हनीफ के नाम। सीमायें:- पूर्व: श्री यामीन की दुकान और मकान, पश्चिम: इस्तेखार की दुकान, उत्तर: श्री मशरूमा की सम्पत्ति, दक्षिण: मिला रोड, देवबंद	23.08.2018 Rs. 5,01,898.70 + ब्याज व अन्य खर्चे	07.08.2019 देवबंद

दिनांक:- 07.08.2019 — प्राधिकृत अधिकारी

ICICI Bank

आईसीआईसीआई बैंक लि. एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003
पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पाद्रा रोड, वडोदरा-390007
कार्पोरेट ऑफिस : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई - 400 051

सार्वजनिक सूचना - प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री के लिए निविदा सह नीलामी

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ("आईसीआईसीआई बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित उक्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 23 नवम्बर, 2015 को मांग सूचना जारी कर मै. एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ऋणी"), मै. एन एम इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड ("कार्पोरेट गारंटर" एवं प्रतिभूति प्रदाता"), मनीष जैन (एचयूएफ) ("गारंटर"), सुश्री श्रेया जैन (रजनीश जैन एचयूएफ के कोपरसेनर / रजनीश जैन के कानूनी उत्तराधिकारी"), श्री मनीष जैन ("प्रबंध निदेशक तथा गारंटर"), श्री मोहन लाल जैन ("गारंटर"), श्रीमती सुमन जैन ("गारंटर"), श्रीमती कमला जैन ("गारंटर") तथा श्रीमती संगीता जैन ("गारंटर तथा रजनीश जैन/एचयूएफ के कोपरसेनर ("रजनीश जैन के कानूनी उत्तराधिकारी") यहाँ के बाद सामूहिक रूप से "नोटिसी" के रूप में विदित हैं, और बाद में 15 मई, 2019 को नीचे दी गई सम्पत्ति ("सुरक्षित सम्पत्ति") पर भौतिक कब्जा ले लिया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई सुरक्षित सम्पत्ति की ई-नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है, जो कुछ भी वहाँ है तथा बिना किसी दायित्व" पर आयोजित किया जायेगा।

प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ग्राम छिजारसी कुलीचगनर, परगना, डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में स्थित भूमि (एन एम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के स्वामित्व में) • सम्पत्ति खाता नं. 251, खसरा नं. 514 माप 1.7690 हेक्टेयर्स • खाता नं. 354, खाता नं. 513, माप 0.158 हेक्टेयर्स की सम्पत्ति के 1/2 भाग की सम्पत्ति • खाता नं. 354, खाता नं. 513, माप 0.158 हेक्टेयर्स की सम्पत्ति के 1/2 भाग की सम्पत्ति • खाता नं. 225, खाता नं. 512, माप 0.21466 हेक्टेयर्स की सम्पत्ति के 2/3 भाग की सम्पत्ति • खाता नं. 225, खाता नं. 512, माप 0.10733 हेक्टेयर्स की सम्पत्ति के 1/3 भाग की सम्पत्ति के साथ उस पर सभी बिल्डिंग्स तथा सुपर स्ट्रक्चर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स तथा सभी प्लांट एवं मशीनरी (एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व में) वहाँ की भूमि से जुड़ी अथवा वहाँ की भूमि से जुड़ी कोई भी स्थाई वस्तु।
आरक्षित मूल्य	रू. 23,53,00,000.00
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	रू. 2,35,30,000.00
ईएमडी प्रेषण	"आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड" के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा
परिसम्पत्ति का निरीक्षण	अगस्त 21, 2019 (1:00 बजे अप. से 3:00 बजे अप.)
ऑनलाइन आवेदन/ईएमडी/केवाईसी दस्तावेज आदि जमा करने की अंतिम तिथि	अगस्त 27, 2019 को 5:00 बजे अप. से पूर्व
बोली/ईएमडी व अन्य केवाईसी दस्तावेज जमा करने के लिये पता	श्री सुभाशीष गुप्ता (प्राधिकृत अधिकारी) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	अगस्त 28, 2019 (11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे दोपहर) यदि बोली नीलामी बिक्री के पूर्णता तक अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो प्रति 5 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
बोली गुणक	₹ 1,00,000/-

नियम एवं शर्तें:

1) ऑनलाइन नीलामी, नीलामी एजेन्सी की वेबसाइट अर्थात https://icicibank.auctiontiger.net पर होगी, यह ऑनलाइन नीलामी मै. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (Auctiontiger) के माध्यम से आयोजित होगी तथा वेबसाइट https://icicibank.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
2) निरीक्षण, नीलामी एवं शर्तों, निविदा जमा करने से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये कृपया सम्पर्क करें: श्री सुभाशीष गुप्ता अथवा श्री राजेन्द्र शर्मा, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत प्रतिनिधि, +91-95609-07462/+91-98990-28400 अथवा subhashish.gupta@icicibank.com/rajendra.sharma@icicibank.com को लिखें।
3) नोटिसी को 31 अक्तूबर 2015 से रू. 97,09,70,473.45 (रुपये सत्तानवे करोड़ नौ लाख सत्तर हजार चार सौ तेहत्तर व पैंतालीस पैसे) उसपर आगे ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ संविदात्मक दरों पर कुल बकाया चुकाने का अंतिम मौका दिया जाता है। उक्त बकाया मॉर्टगेजर / नोटिसी द्वारा अगस्त 27, 2019 या उससे पहले भुगतान करना आवश्यक है, जिसके विफल रहने पर सुरक्षित परिसम्पत्तियों को अनुसूची के अनुसार बेचा जायेगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा एक बार फिर से नोटिसी(ज) को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व सहायक खर्च सहित उस पर अद्यतन ब्याज, लिक्विडेटेड क्षतियों तथा अन्य चार्जेज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूति परिसम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष राशि यदि कोई हो ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जायेगी। यदि किसी भी कारण से नीलामी विफल होती है बैंक नियमावली के नियम 8 के उप-नियम 5 के दिये गये प्रावधान के अनुसार अथवा सरफेसी अधिनियम तथा नियमावली के वर्णित प्रावधानों के अनुसार नोटिसी को आगे कोई सूचना दिये बिना निजी संधि अथवा किसी अन्य माध्यमों से उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री करने के लिये स्वतंत्र होगा।

हस्ता/-
दिनांक: अगस्त 08, 2019 — स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिये

खबर कोना

पीसीबी ने कहा, आर्थर का करार नहीं बढ़ाया जाएगा

लाहौर, 7 अगस्त (भाषा)।

विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को कहा कि मुख्य कोच मिकी आर्थर और उनके सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। पीसीबी ने आर्थर, बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर, गेंदबाजी कोच अजहर महमूद और ट्रेनर ग्रांट लुडेन के अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला लेते हुए कहा कि बेहतर प्रक्रिया से नियुक्तियां की जाएगी। पीसीबी की क्रिकेट समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। पाकिस्तान विश्व कप में नॉकआउट चरण में भी नहीं पहुंच सका था। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि पीसीबी अब चारों पदों के लिए विज्ञापन देगा और उच्च स्तर पर आवेदन मंगवाएगा। सुझाव पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी को दे दिए गए हैं। मनी ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और उसका मानना है कि अब नए सिरे से आगाज करना होगा। पीसीबी की ओर से मैं मिकी आर्थर, ग्रांट फ्लावर, ग्रांट लुडेन और अजहर महमूद को धन्यवाद देता हूं। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना भी देते हैं।

रैंकिंग सुधारना है महिला टीम का लक्ष्य : डालिमा

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान डालिमा छिब्बर का मानना है कि इस समय एशिया में रैंकिंग सुधारना और ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मुकाबले खेलना अहम है। डालिमा को फुटबॉल के प्रदर्शन के बूते कनाडा में पढ़ाई की स्कालरशिप मिली है। इससे उन्हें पेशेवर फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा। वह इस हफ्ते के अंत में रवाना हो जाएंगी। भारतीय टीम में खेलने के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रेक में मैं वापस आऊंगी। जब भी मौका मिलेगा राष्ट्रीय टीम के लिए खेलूंगी। इंडियन विमेन लीग में गोकुलम केरला के लिए खेलने वाली इस फुटबॉलर ने कहा कि मुझे पढ़ाई के साथ कनाडा में पूरी दुनिया के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला है। इससे मैं वापस आकर टीम के लिए योगदान करना चाहूंगी। विदेशी क्लबों से पेशकश के बारे में पूछने पर डालिमा ने कहा कि मुझे पेशकश मिल रही है लेकिन अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहती।

धवन की वापसी से चौथे नंबर पर उतर सकते हैं राहुल

भारत-विंडीज की भिड़ंत आज

प्रोविडेंस (गयाना), 7 अगस्त (भाषा)।

अभ्यास सत्र में भाग लेते भारतीय टीम के खिलाड़ी। (फाइल)

टी-20 शृंखला में वेस्ट इंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद भारत गुरुवार को मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय शृंखला के पहले मैच में उतरेगा। विश्व कप सेमी फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार के बाद यह भारत का इस प्रारूप में पहला मैच होगा। विश्व कप के दौरान चोटिल हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इस मैच के साथ एक दिवसीय प्रारूप में वापसी करेंगे।

भारत की ओर से 130 मैचों में 17 शतक जड़ने वाले धवन एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हुए दिखेंगे। ऐसे में लोकेश राहुल को चौथे नंबर पर उतरना पड़ सकता है। कप्तान विराट कोहली अपने पसंदीदा तीसरे नंबर पर उतरेंगे। केदार जाधव के पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और यह इस पर निर्भर करेगा कि ऋषभ पंत को 'फ्लोटर' के रूप में किस क्रम पर उतारा जाता है। मध्यक्रम के एक अन्य स्थान के लिए दावेदारी मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बीच होगी। पांडे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और समय आ गया है कि टीम प्रबंधन अय्यर को मौके देने पर विचार करे। एक हफ्ते के अंदर दो देशों में तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे जबकि नवदीप सैनी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगे।

विश्व कप सेमी फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार के बाद हालांकि विराट कोहली की टीम एकजुट होकर वापसी करने में सफल रही और हाल में संपन्न टी-20 शृंखला में वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराया। ब्रिटेन में हुए विश्व कप में रेकार्ड पांच शतक जड़ने वाले रोहित 50 ओवर के प्रारूप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने के इरादे से उतरेंगे।

ट्रॉयल के बिना मैरी कॉम और लवलीना के चयन से नाराज हैं निकहत

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन को हालिया प्रदर्शन के आधार पर आगामी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। इस फैसले से पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निकहत जरीन काफी खफा हैं। छत्तीस वर्ष की मैरी कॉम इस साल इंडिया ओपन और हाल में इंडोनेशिया में हुए टूर्नामेंट में दो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उन्हें 51 किग्रा वर्ग में चुना गया है। विश्व और एशियाई कांस्य पदकधारी लवलीना 69 किग्रा वर्ग में भाग लेंगी।

निकहत (23 वर्ष) ने हाल में थाईलैंड टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था और वह 51 किग्रा के ट्रायल में मैरी कॉम को चुनौती देने की उम्मीद लगाए हुए थीं। इस हैदराबादी मुक्केबाज ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि उन्हें मंगलवार को वनलाल दुआती के खिलाफ ट्रायल बाउट में 'भाग लेने से रोका' गया और ऐसा मुख्य चयनकर्ता राजेश भंडारी ने किया।

भंडारी ने हालांकि स्वीकार किया कि मैरी कॉम को चुनने का फैसला बीएफआइ के शीर्ष अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करने के कुछ दिन पहले लिया गया था। विश्व चैंपियनशिप रूस में तीन से 13 अक्तूबर तक खेली जाएगी। भंडारी ने कहा कि हमें मैरी कॉम के कोच (छोटेलाल यादव) का प्रस्तुतिकरण मिला और इस पर विचार करने के बाद हमें महसूस हुआ कि मैरी कॉम ने ट्रायल के बिना चुने जाने के लिए काफी कुछ किया है। बीएफआइ से इस मुद्दे पर सलाह ली गई थी।

उन्होंने कहा कि मैरी कॉम ने इंडिया ओपन के सेमी फाइनल में निकहत को हराया था और राष्ट्रीय शिविर में भी वह लगातार अन्य मुक्केबाजों से बेहतर रही हैं। निकहत भी एक शानदार मुक्केबाज हैं और आने वाले समय में उन्हें भी मौका मिलेगा। लेकिन इस समय यह फैसला पूरी तरह से प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर लिया गया है। निकहत ने अपने पत्र में लिखा कि ये सब काफी निराशाजनक है और इससे वह हैरान हैं।

विश्व युवा चैंपियनशिप की पूर्व रजत पदक विजेता और एशियाई कांस्य पदकधारी निकहत ने लिखा, 'बहुत हैरानी और निराशा की बात है कि चयन समिति के चेयरमैन राजेश भंडारी ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुझे सूचित किया कि बाउट आज नहीं होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंदरूनी बातचीत चल रही है कि मुझे भविष्य के लिए रखा जा रहा है और मुझे इतनी कम उम्र में नहीं उतारा जाएगा।'

उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत हैरान हूं, मैं 2016 में विश्व चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हूं और अगर मैं तब ठीक थी तो 2019 में मैं निश्चित रूप से इतनी युवा नहीं हो सकती इसलिए यह कोई कारण नहीं हो सकता। निकहत ने बीएफआइ से ट्रायल कराने की मांग की जो अन्य वर्गों में गुरुवार तक कराए जाएंगे।

पुणेरी पलटन को हराकर गोवा सेमी फाइनल में

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

गोवा चैलेंजर्स ने बुधवार को यहां पुणेरी पलटन को 11-4 से हराकर अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग (यूटीटी) के तीसरे सत्र के सेमी फाइनल में जगह बनाई। गोवा चैलेंजर्स की चेंग आई चिंग ने पुणेरी पलटन की आहिया मुखर्जी को 3-0 (11-8, 11-1, 11-5) से हराकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद पुरुष एकल में पुणे के चुआंग चीह युगांग ने गोवा के अल्वारो राबल्स को 2-1 (11-9, 10-11, 11-5) पराजित करके अपनी टीम को दो अंक दिलाए। गोवा के एंथनी अमलराज और चेंग ने मिश्रित युगल में चुआंग और आहिया की जोड़ी को 2-1 (11-7, 9-11, 11-7) से हराया। अमलराज ने पुरुष एकल में भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा हरमीत देसाई को 3-0 (11-7, 11-7, 11-10) से हराया जबकि महिला एकल में अर्चना कामथ ने सैबाइन विंटर को 2-1 (8-11), 11-6, 11-9) से शिकस्त दी।

मांट्रियल में पहले दौर में हारे किर्गियोस

मांट्रियल, 7 अगस्त (एएफपी)।

निक किर्गियोस एटीपी मांट्रियल मास्टर्स के पहले दौर में ब्रिटेन के काइल एडमंड से 3-6, 4-6 से हारकर बाहर हो गए। दो दिन पहले वाशिंगटन में एटीपी 500 सीरीज खिताब जीतने वाले किर्गियोस उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके।

सीनियर के समर्थन से आत्मविश्वास बढ़ा : पंत

प्रोविडेंस (गयाना), 7 अगस्त (भाषा)।

ऋषभ पंत कभी-कभी रन नहीं बना पाने के कारण 'निराश' हो जाते हैं लेकिन भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों के समर्थन से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहले दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नाकाम रहे पंत ने मंगलवार को तीसरे मैच में कप्तान कोहली के साथ मिलकर टीम की सात विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे भारत ने वेस्ट इंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ किया।

पंत ने 'बीसीसीआइ टीवी' के लिए उप कप्तान रोहित शर्मा से कहा कि मैंने अपनी पारी के बारे में अच्छी चीजें सुनी। मैं रन नहीं बना पा रहा था और हताश हो रहा था। लेकिन, मैं अपनी प्रक्रिया पर कायम रहा और इससे आज वांछित नतीजे मिले। धीमी पिच पर 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने कप्तान कोहली की 45 गेंद में 59 और पंत की 42 गेंद में नाबाद 65 रन की पारी की बदौलत आसान जीत दर्ज की।

पंत ने कहा कि कई बार ऐसा समय आया जब रन नहीं बना पाने के कारण मैं हताश हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि प्रदर्शन करने के लिए मैं क्या अलग कर सकता हूं। ऐसा समय भी आया जब मैंने सही फैसले किए और तब भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। क्रिकेट में ऐसा होता है और यह खेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं हमेशा अपने बेसिक्स पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं। अपने अंदर की आवाज सुनता हूं और प्रक्रिया का पालन करता हूं।

कोहली के साथ 106 रन की साझेदारी के बारे में पूछने पर पंत ने कहा कि जब मैं और विराट खेल रहे थे तो हम बड़ी साझेदारी के बारे में सोच रहे थे और फिर अंतिम सात-आठ ओवर में तेजी से रन बनाते। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि वह अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आते।

सुब्रतो कप का डायमंड जुबली चरण 20 से

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

'सुब्रतो कप' के डायमंड जुबली चरण में इस साल 16 अंतरराष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। यह टूर्नामेंट 20 अगस्त से सब जूनियर लड़कों (अंडर-14) व जूनियर (अंडर-17) लड़कों और बालिका वर्ग में खेला जाएगा। अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के विजेता स्कूल को चार-चार लाख जबकि उप विजेता को ढाई-ढाई लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

निविदा आमंत्रण सूचना

कमिश्नर, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (विद्युत)/नजफगढ़, द.दि.न.नि. द्वारा द.दि.न.नि./उ.दि.न.नि./पू.दि.न.नि. के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत संविदाकारों से **दिनांक** 07.08.2019 की **निविदा आमंत्रण सूचना सं. 02/टीसी/ईईई/एनजीजेड/एसडीएमसी/2019-20** द्वारा स्ट्रीट लाइट पोल कार्य हेतु ऑनलाइन मद दर एकल बोली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा राशि:** 2,90,77,107/-, **निविदा लागत:** 1500/-, **धरोहर राशि:** 5,99,000/-, **निविदा दस्तावेजों की बिक्री के लिए आरंभ तिथि:** 07.08.2019, **अंतिम तिथि:** 22.08.2019 है। उपरोक्त निविदाओं से संबंधित किसी प्रकार के शुद्धिपत्र को केवल ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई प्रेस प्रचार नहीं किया जाएगा। सभी विवरण वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर उपलब्ध हैं। संपर्क न. 011-28013254 है।

-हस्ता./-

R.O. No. 33/DPI/S/2019-20 अधिशासी अभियंता विद्युत/एनजीजेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

(₹ लाखों में)

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए समीक्षित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (समीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखा परीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (समीक्षित)
परिचालनों से कुल आय	223791	938695	233604
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असामान्य तथा/या असाधारण मदों से पहले)	-6499	-85877	-61721
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	-6499	-85877	-61721
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मदों के बाद)	-3028	-54348	-39802
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि के लिए सम्मलित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-3028	-54348	-39802
भुगतान किया इक्विटी शेयर पूंजी	60206	56491	56491
आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई	420668	420668	477073
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक 10/- रुपये के) (जारी तथा बंद किये गये परिचालनों के लिए) -			
1. मूलभूत :	-0.53	-9.62	-7.05
2. डाइल्यूटेड :	-0.53	-9.62	-7.05

टिप्पणी: स्टॉक एक्सचेंजों के पास सेबी के अधिनियम 33 (सूचीबद्ध तथा अन्य प्रकटन अनिवार्यताओं), अधिनियमों, 2015 के अंतर्गत दायर तिमाही/इयर टू डेट के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का उक्त सार है। स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर तिमाही/इयर टू डेट के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारुप उपलब्ध है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

गोविन्द एन. डोंग्रे, कार्यकारी निदेशक | फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक | एस. हरिशंकर, एमडी एवं सीईओ | चरन सिंह, गैर कार्यकारी अध्यक्ष

फोन या ईमेल के माध्यम से अपने इंटरनेट बैंकिंग ब्यौरे, जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड या अपने क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के नंबर/सीवीवी/ओटीपी किसी को ना बताएं।

टॉल फ्री नं: 1800 419 8300

गांगुली ने कहा, भारतीय क्रिकेट को भगवान बचाए

नई दिल्ली, 7 अगस्त (भाषा)।

बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी द्वारा हितों के टकराव के आरोपों में राहुल द्रविड़ को नोटिस भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट को भगवान ही बचाए। गांगुली की बात का ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी समर्थन किया है। बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी जस्टिस (सेवानिवृत) डीके जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजय गुप्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर द्रविड़ को नोटिस दिया।

> "भारतीय क्रिकेट में नया फैशन। हितों का टकराव। खबरों में बने रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। भगवान भारतीय क्रिकेट को बचाए। द्रविड़ को बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी से हितों के टकराव का नोटिस मिला। – सौरव गांगुली

> "समझ नहीं आता कि यह सब किस दिशा में जा रहा है। भारतीय क्रिकेट के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है। इन खिलाड़ियों को नोटिस भेजना उनका अपमान करना है। क्रिकेट की भलाई के लिए उनकी सेवाओं की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट को वाकई भगवान बचाए। -हरभजन सिंह

गांगुली ने ट्वीट किया,'भारतीय क्रिकेट में नया फैशन। हितों का टकराव। खबरों में बने रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। भगवान भारतीय क्रिकेट को बचाए। द्रविड़ को बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी से हितों के टकराव का नोटिस मिला।' हरभजन ने कहा कि सच में। समझ नहीं आता कि यह सब किस दिशा में जा रहा है। भारतीय क्रिकेट के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है। इन महान खिलाड़ियों को नोटिस भेजना उनका अपमान करना है। क्रिकेट की भलाई के लिए उनकी सेवाओं की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट को वाकई भगवान बचाए।'

द्रविड़ को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। गुप्ता ने कहा कि द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक और इंडिया सीमेंट्स समूह के उपाध्यक्ष भी हैं जो आइपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक कंपनी है। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, गांगुली और सचिन तेंदुलकर को भी हितों के टकराव के नोटिस जा चुके हैं।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
CIN: L35911DL1984PLC017354, फोन: 011-46044100, फैक्स: 011-26143321
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	डिस्टिन्क्टिव नं. से	डिस्टिन्क्टिव नं. तक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
		शेयरों के अंकित मूल्य रु 10/- प्रत्येक				
1	HML0141749	पी एल क्लारा	1610966	1611015	32229	50
			19540335	19540344	296978	10
			19540345	19540346	296979	02
			33706025	33706074	378608	50
			33706075	33706086	378609	12
2	HML0017420	राशीद यूसुफ शेख	16041029	16041038	204066	10
			16041039	16041040	204067	02
			2022092	20222103	321995	12
3	HML0087019	भगवानदास निरूसवाल	4370966	4371015	87429	50
			16268019	16268028	244528	10
			16268029	16268030	244529	2
			21091297	21091346	347111	50
			21091347	21091358	347112	12
4	HML0137358	रीता एच शाह, पारूल एच शाह	11934314	11934363	113900	50
			11934364	11934413	113901	50
			19943238	19943257	308069	20
			19943258	19943262	308070	5
			35206522	35206571	413300	50
			35206572	35206621	413301	50
			35206622	35206646	413302	25
		शेयरों के अंकित मूल्य रु 2/- प्रत्येक				
5	HML0141749	पी एल क्लारा	161127036	161127655	519645	620
6	HML0037824	मीनाक्षी कपाडिया, चंद्रबाला कपाडिया	45058466	45059085	508833	620
7	HML0036457	रसीक चंदूलाल कोठारी	44967031	44967900	508637	870
8	HML0094699	रीता सरकार, कनाईलाल दे सरकार	158404466	158404715	515056	250
9	HML0017420	राशीद यूसुफ शेख	43940356	43940475	506556	120
10	HML0089449	आर शिवा कुमार, के रामास्वामी	47761491	47763990	514232	2500
11	HML0087019	भगवानदास निरूसवाल	47527306	47527555	513872	250
			165996846	165997215	525692	370
12	HML0137358	रीता एच शाह, पारूल एच शाह	165622426	165623675	524720	1250
13	HML0072778	निरंजन के ठक्कर, ज्योति एन ठक्कर	46799561	46800440	512376	880

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.08.2019

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 263, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।